खण्ड-286, अंक-7
बुधवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1892
(16 दिसम्बर, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 286 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १६ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०४

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषि पाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस , श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त , श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री

केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंस, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री

सत्यमेव जयते

नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ , श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह , श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महोलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कासिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री

राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ती देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री

शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—मुख्य मन्त्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश, शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र तथा राज्य स्वास्थ्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तमदास कपूर भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १६ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चीनी मिलों का चालू होना

**१—श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की कौन-कौन सी चीनी मिलें दिनांक २६-११-७० तक चालू नहीं हुई हैं? वे कब तक चालू हो जावेंगी ?

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहिनी)—

२६ नवम्बर, १९७० तक प्रदेश की निम्नलिखित चीनी मिलें नहीं चालू हुई थीं:—

क्रम-सं०	मिल का नाम	चलने की तिथि
१	इकबालपुर	.. २ दिसम्बर, १९७०
२	लक्सर	.. ७दिसम्बर, १९७०
३	मोहिउद्दीनपुर	.. ३ दिसम्बर, १९७०
४	सिम्भावली	.. २ दिसम्बर, १९७०
५	बरेली	.. २ दिसम्बर, १९७०
६	बिजनौर	.. ५ दिसम्बर, १९७०
७	बाराबंकी	.. ६ दिसम्बर, १९७०
८	बुढ़वल	.. १ दिसम्बर, १९७०
९	मसौधा	.. ४ दिसम्बर, १९७०
१०	शाहगंज	.. २७ नवम्बर, १९७०
११	बभनान	.. ३० नवम्बर, १९७०
१२	बैतालपुर	.. १ दिसम्बर, १९७०
१३	देवरिया	.. १ दिसम्बर, १९७०
१४	पडरौना	.. ३ दिसम्बर, १९७०
१५	कठकुइंयां	.. २ दिसम्बर, १९७०
१६	भटनी	.. ८ दिसम्बर, १९७०
१७	डोईवाला	..
१८	सखौतीटांडा	..
१९	गौरीबाजार	..
२०	खड्डा	..

इनमें से क्रम-संख्या १ से क्रम संख्या १६ तक अंकित चीनी मिलें २६ नवम्बर, १९७० के बाद ऊपर दिखाई हुई तिथि पर चालू हो गई हैं। शेष ४ मिलों की चलने की सम्भावित तिथि नीचे दी हुई है—

क्रम-संख्या	मिल का नाम	चलने की विशेष सम्भावित तिथि	विशेष विवरण
१	डोईवाला	.. १६ दिसम्बर, १९७०	
२	सखौती टांडा	.. दिसम्बर का तृतीय सप्ताह	
३	गौरीबाजार	.. दिसम्बर मध्य	
४	खड्डा	.. क्योंकि इस मिल को चलने की ठीक तिथि निश्चित नहीं है इसलिए इस मिल का गन्ना व्यावर्तित कर दिया गया है।	

श्री ओमप्रकाश सिंह—

क्या उप मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि इन मिलों के देर से चलने का क्या कारण है?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इस कारण कि वे पिछले समय देर तक चली थीं और इस समय उनमें सफाई व मरम्मत आदि का काम हो रहा है।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

क्या सरकार को पता है कि बरेली चीनी मिल जो दो तारीख को चली थी, उसी दिन बन्द हो गई है? ऐसा पता चला है कि मिल की मशीनों के पीतल के पुर्जे आदि निकाल लिए गये हैं, क्योंकि मिल वाले उसको चलाना नहीं चाहते हैं वह अभी तक नहीं चली है, तो क्या सरकार इसकी भी जांच कराने की कृपा करेगी?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इसकी जांच कराई जायेगी और इसे अवश्य चलवाया जायगा।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विष्णु प्रताप सिंह शुगर मिल, खड्डा, जिला देवरिया जहां पिछले साल ही बहुत गन्ना पड़ा हुआ था, वह मिल इस साल अभी चल गई है या नहीं? और वहां के काश्तकारों का गन्ना इस बार पूरा कट हो पायेगा या नहीं?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इसके विषय में जिला अधिकारियों, प्रोवर्स और मैनेजमेंट की एक मीटिंग हुई थी। मगर वह मिल चल नहीं पाई है, क्योंकि उसमें रिपेयर की काफी आवश्यकता थी।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह—

वहां के काश्तकारों का गन्ना बहुत खड़ा हुआ है और अब भी रिपेयर के कारण मिल रुकी हुई है, तो वहां के किसानों के गन्ना का क्या होगा? तो क्या सरकार कोई विशेष प्रयास कर रही है मिल चलवाने का?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

उसका गन्ना तो और तरफ भेज दिया गया है ।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

जो फैक्टरियां देर से चली हैं, वे गन्ना कैसे पूरा करेंगी, क्या गन्ना दूसरी फैक्टरियों को दे दिया जायगा ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

अगर जरूरत हुई तो औरों को दिया जायगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय उप मंत्री जी को जानकारी है कि गन्ना पेराई का सीजन १५ अक्तूबर से प्रारंभ हो जाता है लेकिन अधिकांश मिलें दिसम्बर से चालू हुई हैं, तो देर से चालू होने का कारण क्या है, ऐसा तो नहीं है कि चीनी मिलें, यह रोग बन गई हैं ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इसका जवाब पहले दिया जा चुका है । चूंकि देर से चली थीं इसलिए मरम्मत वगैरह, सफाई वगैरह हुई है, थाड़ी सी देर हो गई है वहां पर ।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय उप मंत्री जी को मालूम है कि कुछ चीनी मिलें चल रही हैं लेकिन उनके क्रय-केन्द्र नहीं चालू किये गये हैं, क्या यह क्रय केन्द्र चालू करने का आदेश करेंगे ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है ।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि गत वर्ष समय पर मिलें न चलने से लाखों क्विन्टल गन्ना गन्ना उत्पादकों का खड़ा रहा, उसके हिसाब से इस वर्ष सरकार बढ़े हुए गन्ने को मिलों को देने के लिए क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इस साल पिछले साल से गन्ना कम है और पूरी पेराई होने की आशा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी दो आश्वासन सदन को देंगे—पहला यह कि चूंकि मिलें देर से चालू हुई हैं सारा गन्ना जो रिजर्व एरिया में है पेर दिया जायगा; दूसरा यह कि अगले साल यह देरी नहीं होने दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

अगले साल की बात मत पूछिए उसकी इजाजत नहीं देता हूं । पहला हिस्सा ठीक है ।

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

सरकार की तरफ से पूरा प्रयास होगा ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, अभी देवरिया जिले के हमारे एक मित्र ने खड्डा मिल के बारे में कहा है कि पिछले साल का गन्ना पड़ा हुआ है और वह जानकारी चाहते हैं कि वह मिल चल रही है

या नहीं, क्या यह सही है कि उस मिल की आर्थिक स्थिति, मशीन बिल्कुल ऐसी भग्नावशेष हो गई हैं वह चल सकती हैं या नहीं चल सकती है, यह जानकारी सरकार को है ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी--

खड्डा शायद २४ तारीख तक चल पाए ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जो पुराना गन्ना खड़ा हुआ है वह तमाम का तमाम पेर दिया जायगा और वह उनके सट्टे में नहीं जोड़ा जायगा ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी--

आपके सुझाव पर विचार किया जायगा ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि वर्तमान गन्ना क्रय कर कानून में इस प्रकार का संशोधन किया जाय कि किस तारीख से मिल चले, यह अधिकार केन कमिश्नर को सौंप दिया जाय ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी--

यह नीति संबंधी प्रश्न है, इस पर विचार किया जायगा ।

ग्राम बेलसर, जिला गोंडा निवासी स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त शुक्ल की पत्नी द्वारा आत्म-हत्या

**२--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या सरकार को पता है कि दिनांक १६-२० जून, १६७० की रात में ग्राम बेलसर, थाना तरबगंज, जिला गोंडा में स्वर्गीय पंडित नरायनदत्त शुक्ल की विधवा पत्नी का कत्ल करके उनके घर में उनकी लाश को रस्सी से लटका दिया गया था ? यदि हां, तो इस मामले की रिपोर्ट क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह)--

दिनांक १६ जून, १६७० को ग्राम बेलसर के चौकीदार ने थाना तरबगंज पर मौखिक सूचना दी कि स्वर्गीय पंडित नरायनदत्त शुक्ल की विधवा पत्नी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना के आधार पर जांच की गई और मृत्यु का कारण आत्म-हत्या पाया गया। इस मामले में थानाध्यक्ष द्वारा अनुसंधान जारी है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

लिखा हुआ है कि इस सूचना के आधार पर जांच की गई और मृत्यु का कारण आत्महत्या पाया गया। तो क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन से आधार थे जिनके अनुसार आत्महत्या साबित हुई ? क्या पोस्ट मार्टम कराया गया ?

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

मान्यवर, न किसी से रंजिश बतलाई गई और न कोई चोट जिस्म पर पाई गई और इसी कारण कहा गया है कि आत्महत्या है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

आखिर में लिखा है कि अनुसंधान जारी है तो क्या आधार है जिन पर अनुसंधान हो रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय, इसमें एक कमी जरूर रही कि लाश का पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया। इस बात की जांच कराई जा रही है कि पोस्ट मार्टम क्यों नहीं कराया गया है और सब इंसपेक्टर से जवाब तलब किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच के अनुसार फांसी लगाकर आत्महत्या की गई, तो इस आत्महत्या के पीछे क्या मोटिव था ?

श्री अध्यक्ष---

क्या मतलब है ?

श्री गोविन्द सिंह---

इस आत्महत्या के पीछे क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो बतला दिया। उन्होंने बतलाया कि मोटिव नहीं मालूम है।

श्री गोविन्द सिंह---

उन्होंने बतलाया कि पोस्ट मार्टम क्यों नहीं कराया गया, मोटिव के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष---

आप फिर से दोहरा दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस आत्महत्या करने के क्या कारण थे, वह भी इस जांच में आए हैं या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैंने तो बतलाया कि वह अकेली स्त्री अपने घर में थी। किसी से कोई रंजिश नहीं बतलाई गई। बाद में भी कोई शिकायत नहीं आई। उसके हाथ में अंगूठी और गले में पान का पत्ता भी मौजूद था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हत्या की गई है।

श्री अध्यक्ष---

इसलिए आत्महत्या समझ लिया।

श्री ओमप्रकाश सिंह---

क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि लाश का पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया, तो जो थानेदार उसके लिये जिम्मेदार है, उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय, मैं तो बता चुका हूं कि कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। गांव के सभी लोग वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही पंचायत नामा भरा गया था फिर भी इस बात की आवश्यकता तो थी ही कि पोस्ट मार्टम करवा लिया जाय। वहां पर थानेदार नहीं थे और वहां पर सब इंसपेक्टर ही पहुंचे थे। क्योंकि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था इसलिये थानेदार को यह कार्य सौंपा गया है कि वह इसकी जांच करके कार्यवाही करें।

चीनी मिल मजदूरों से सम्बन्धित बोनस कमेटी

****३—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल मजदूरों के संबंध में निर्मित बोनस कमेटी की सिफारिशों को कब तक लागू करेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)—

सिफारिशों को १४ अक्तूबर, १९७० को लागू कर दिया गया है।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बोनस कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बावजूद बहुत-सी चीनी मिलों ने मजदूरों को बोनस नहीं दिया है और क्या कोई कार्यवाही सरकार करेगी ताकि वह बोनस उन मजदूरों को दिलवाया जाय ?

श्री हिम्मत सिंह—

मुझे इस बात की सूचना नहीं है कि अभी तक कुछ मिलों में मजदूरों को बोनस मिला है अथवा नहीं। १४ अक्तूबर से यह लागू हो गया है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमेशा ही इसी प्रकार का उत्तर देकर टाल दिया करते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि १४ अक्तूबर से बोनस कमेटी की सिफारिशें लागू कर दी गई हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन-सी सिफारिशें हैं जो लागू की गई हैं ?

श्री हिम्मत सिंह—

जो सिफारिशें लागू की गई हैं वे १४ अक्तूबर, १९७० के सरकारी गजट में प्रकाशित कर दी गई हैं जिसको प्रत्येक सदस्य के पास भिजवा दिया गया है। यह आशा की जाती है कि हर एक सदस्य ने उनको पढ़ लिया होगा।

श्री गोविन्द सिंह

मान्यवर, जिस ढंग से मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया है वह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह इसका इस प्रकार से भी उत्तर दे सकते थे कि इसके लिये उनको सूचना की आवश्यकता है।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, इसके लिए स्पष्ट निर्देश आप मंत्री जी को दें कि जो प्रश्न यहां पूछा जाय उस प्रश्न का सीधा-सीधा उत्तर यहां दें।

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय सदस्य ने उनको नहीं पढ़ा है तो श्रम मंत्री जी यदि उनके पास वे सिफारिशें हों तो पढ़ कर सुना दें।

श्री हिम्मत सिंह---

मान्यवर, वे सिफारिशें बहुत अधिक हैं करीब दो पन्नों में। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं अन्यथा वे मेरे कमरे में आ कर उन सिफारिशों को देख सकते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---

जिस गजट का हवाला मंत्री जी ने दिया है और जिसमें वे सिफारिशें हैं तो क्या वें सभी सिफारिशें मजदूरों पर लागू की गई हैं अथवा नहीं ?

श्री हिम्मत सिंह---

१४ अक्तूबर, १९७० को गजट जारी किया गया है और उसमें जो सिफारिशें दी हुई हैं वे सभी लागू की गई हैं।

श्री सुखपाल पांडेय---

कुछ चीनी मिलों में बोनस नहीं दिया गया है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि वहां पर बोनस अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हिम्मत सिंह---

मैं इसकी अवश्य जांच करवा लूंगा कि कौन-कौन-सी ऐसी मिलें हैं जिन्होंने अभी तक मजदूरों को बोनस नहीं दिया है।

जिला बुलन्दशहर में सोनपुर माइनर का कटना

**४---श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि २९ नवम्बर, १९७० को रजबहा डासना की सोनपुर माइनर, ग्राम देवनगर, जिला बुलन्दशहर के पास कट गई थी ? यदि हां, तो कितना रकबा और किस-किस ग्राम का जो बोया जा चुका था, डूब गया और कितना नुकसान हुआ ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)---

रजबहा डासना को सोनपुर रजबहा ग्राम देवली के निकट कृषकों के द्वारा अनुचित सींच के लिए काट दी गई थी। इससे ग्राम देवली, भटौना व क्यामपुर में क्रमशः २४ एकड़, १ एकड़ व १ एकड़ क्षेत्र में पैदावार को हानि हुई। कुल हानि को अनुमानित धनराशि १०,४०० रुपये के लगभग है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो इन तीन गांवों में नुकसान हुआ है, उसके अतिरिक्त क्या बुलन्दशहर और मेरठ के भी कुछ गांवों की भूमि जलमग्न हुई है इस कटाव से। अगर ऐसा नहीं है तो क्या और भी कटान हुई ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी कुछ सूचना है तो वह पूरी सूचना सरकार को दे दें। सरकार निश्चित रूप से पता लगायेगी और उचित कार्यवाही करेगी।

श्री जगवीर सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह जो रजबहा काटा गया, तो उसका पानी कितनी देर तक बहता रहा और फिर कितनी देर बाद इसको बन्द किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि यह बहुत डिटेल का प्रश्न है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, यह रजबहा २६ तारीख के लगभग सवा ३ बजे कटा और इसकी रिपोर्ट २६ को ही ११ बजे दिन में सहायक अभियन्ता को मिली और वह ३० तारीख को ११ बजे दिन में यह बन्द करा दिया गया ।

श्री जगवीर सिंह---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ किसानों ने नाजायज तरीके से काट लिया था । जिन किसानों ने काटा था, सरकार ने उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

थाने में एक काश्तकार ने इसकी रिपोर्ट लिखाई थी कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने इस नहर को काट दिया है । थाने के जरिए इस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री जगवीर सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह जो नुकसान आपने १०,४०० रु० का बतलाया तो उस नुकसान को जोड़ते समय यह भी हिसाब लगाया गया है कि किसानों ने कितनी खाद खेत में डाली थी और कौन-सा बीज बोया था, ताकि उनको पूरा नुकसान दिलवा सकें ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मेरे पास उपलब्ध थी वह मैंने सदन के सम्मुख रख दी ।

श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ यह रिपोर्ट लिखाई गई थी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई और कितनी गिरफ्तारियां हुईं ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरे पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

यह नहर चूंकि विभाग से संबंध रखती है, इसलिए माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि विभाग ने क्या कार्यवाही की क्योंकि पुलिस तो कुछ कार्यवाही करने में समर्थ नहीं हुई ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन, नियमानुकूल जो कार्यवाही होती है वह सारी कार्यवाही होगी ही और वह की जायगी ।

तारांकित प्रश्न

जिला टिहरी-गढ़वाल में विद्यालय

*१---श्री गोविन्द सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टेहरी गढ़वाल में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रस्तावित थे तथा कितने खोले गये ? और बाकी लक्ष्य की पूर्ति क्यों नहीं की गई ?

शिक्षा राज्य मंत्री (राजा विजयकुमार त्रिपाठी)—

तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में टेहरी गढ़वाल जिले में दो पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले गये, दो जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल स्तर तक तथा एक हाई स्कूल को इन्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत किया गया ।

जिलेवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं था ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये स्कूल किन-किन स्थानों पर खोले गये ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

राजकीय कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय, बुरासपांडी, टेहरी गढ़वाल में उपयोजना संख्या ६१,१२७ के अन्तर्गत खोला गया है और अनुदायिक आधार पर एक कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय मुनि-की-रेती एरिया में उपयोजना संख्या ६१,१२६ के अन्तर्गत खोला गया ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण के बारे में तीसरी योजना में जिला परिषद् ने सिफारिश की थी ? यदि हां, तो क्या यह किया गया ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो स्कूल खोले गये हैं, उनके भवन निर्माण किये जा चुके हैं ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या शिक्षो मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष टेहरी गढ़वाल में कुछ स्कूलों का उच्चीकरण करने के लिए सरकार ने आश्वासन दिया था तो सरकार उस आश्वासन को पूरा कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

नाम बतला दीजिए । किस स्कूल का है ।

श्री इन्द्रमणी—

छः स्कूल थे । जूनियर हाई स्कूल, हिंडोलाखाल, जूनियर हाई स्कूल, कीर्तिनगर, जूनियर हाई स्कूल, कमान, जूनियर हाई स्कूल, थल्यू जौनपुर, जूनियर हाई स्कूल, गूलरदोबी और जूनियर हाई स्कूल, तोल संड ।

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

इस समय इस तरह की सूचना नहीं है । यदि कोई आश्वासन दिया गया है तो उसको पूरा करने का प्रयास किया जायगा ।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात का सदन को आश्वासन देंगे कि तृतीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उतने स्कूल नहीं खुले तो इसकी कोई जांच करायेंगे कि क्या कारण थे, क्यों नहीं खुल पाए ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

जो लक्ष्य निर्धारित किये थे और यदि पूरे नहीं हुए हैं तो इस संबंध में जरूर जांच कराई जायेगी।

जिला प्रतापगढ़ में विद्युत् तथा सिंचाई साधनों में वृद्धि

*२—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि केंद्रीय सिंचाई मंत्री, डा० के० एल० राव ने राज्य सरकार को जिला प्रतापगढ़ में विद्युत् प्रसार तथा सिंचाई साधनों को बढ़ाने हेतु दिनांक २ मई, १९६९ को अपने सुझाव एक विस्तृत रिपोर्ट में प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो उन सुझावों को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक कितनी कार्यवाही की गई ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जयराम यादव—

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सिंचाई मंत्री, डा० के० एल० राव ने २ मई, १९६९ को जो रिपोर्ट दी थी वह उनकी जानकारी में है या नहीं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसकी जानकारी है और इसी संबंध में सारी सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं।

श्री जयराम यादव—

उस रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य बातें हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

कुछ सिंचाई संबंधी सुझाव हैं और कुछ विद्युत संबंधी हैं।

श्री जयराम यादव—

माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुकम्मिल सूचना कितने दिन बाद एकत्रित करके दे सकेंगें ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो १५ रोज के अन्दर आ जायगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि २ मई, ६९ को जो रिपोर्ट डा०के० एल० राव ने दी थी सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं के बारे में क्या शासन ने उनमें से एक भी सुझाव स्वीकार किया है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

अगर मैं पूरी सूचना देने की स्थिति में होता तो यह सूचना दे दी जाती। अब यह प्रश्न आगे आयेगा उस समय माननीय सदस्य पूरी जानकारी चाहेंगे तो वह सारी जानकारी दे दी जायगी। विद्युत् विभाग से भी इसका सम्बन्ध है लिहाजा इस के लिये सूचना एकत्रित करने में थोड़ी देर लगेगी।

*३--श्री जयराम यादव--

[२ रे शुक्रवार के प्र० सं० ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४-५-श्री कल्पनाथ सिंह--

[मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

ओबरा के सिंचाई कर्मचारियों की मांगें

*६--श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या सिंचाई मंत्री को दिनांक १४ अप्रैल, १९७० को एक प्रतिवेदन इरीगेशन इम्पलाइज यूनियन, मिर्जापुर के प्रतिनिधि ने प्रश्नकर्ता के द्वारा दिया था और मंत्री जी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई?

श्री कल्पनाथ सिंह--

जी हां। ओबरा के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में विचार कर आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है। विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२४-८२६ पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

लगभग १३० वर्कचार्ज कर्मचारी जो अभी तक सेवा में नहीं लिये गये हैं उनको कब तक सेवा में ले लिया जायगा?

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस संबंध में ऐसा था कि उनका विवरण पूरा नाम, पद, योग्यता आदि सब प्रायोजनाओं तथा मंडलों को भेजा जा चुका है और कहा गया है कि जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं उनको काम पर रख लिया जाय। उन में से काफी कर्मचारी रख भी लिये गये हैं। जिन कर्मचारियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि नहीं रखे गये हैं स्थानों की उपलब्धता पर उन्हें भी रख लिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों को पी० आर० सी० रिपोर्ट के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है उनको क्या माननीय मंत्री वेतन दिलाने का आदेश देंगे?

श्री कल्पनाथ सिंह--

ऐसा है कि पी० आर० सी० की रिपोर्ट में एक उद्धरण दिया जा चुका है और माननीय सदस्य, मेरा खयाल है उससे अवगत होंगे, उसी मजबूरी के नाते इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या वर्क चार्ज कर्मचारियों को रेगुलर करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी?

श्री कल्पनाथ सिंह--

विभाग के कुछ नियम हैं उन नियमों के अनुसार कार्यवाही इस सिलसिले में होती ही रहती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक मांग यह थी कि कुछ रेगुलर कर्मचारियों को वर्कचार्ज में कर दिया गया है जिसका उत्तर दिया गया कि नहीं किया गया । मैं निवेदन करूंगा कि मेरी सूचना को सही मान कर क्या माननीय मंत्री किसी निष्पक्ष अधिकारी से इस बात की पुनः जांच करायेंगे कि कुछ ऐसे रेगुलर कर्मचारी हैं जिनको वर्कचार्ज में कर दिया गया है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

अगर माननीय सदस्य लिख कर यह सूचना सरकार की नोटिस में लायेंगे तो सरकार इस सम्बन्ध में अवश्य आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जिस यूनियन ने आपको प्रतिवेदन दिया वह इस ओबरा प्रायोजना में सब से पुरानी यूनियन है क्या सरकार उसकी सदस्य संख्या को देखकर जो प्रतिनिधि यूनियनें हैं उनको मान्यता प्रदान करने का आश्वासन देगी ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्य पूरी जानकारी दें और यदि वह नियमानुकूल होगी तो उस पर अवश्य विचार होगा ।

जिला गोरखपुर में नौतनवां-सुनौली मार्ग पर पुल

*७--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कौड़िया, जिला गोरखपुर नौतनवां-सुनौली मार्ग पर १२ वर्ष पूर्व पुल का निर्माण कितनी लागत से हुआ था ? अब तक कितना रुपया टोल टैक्स का वसूल हुआ और कितना बाकी है ? क्या सरकार उक्त पुल को टोल टैक्स से मुक्त करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)--

यह पुल ८,७४,००० रु० की लागत पर बना था । अक्टूबर, १९७० के अन्त तक ८,३६,८५३.५८ रु० वसूल हुआ और ३७,१४६.४२ रुपये बाकी हैं । पुल के निर्माण की कुल लागत वसूल हो जाने के पश्चात् इस पुल को पथ-कर से मुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी । आशा है कुल रकम फरवरी, १९७१ के तीसरे सप्ताह तक वसूल हो जायगी ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह वसूली की गई वह कितने वर्षों से हुई ?

श्री रामधारी शास्त्री--

इस पुल का निर्माण अक्टूबर, १९५८ में हुआ था और यह वसूली १८ नवम्बर, १९५८ से हो रही है ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जो कृपया बतलायेंगे कि इस टोल टैक्स को वसूली करते हुये सन् १९५८ से अब तक लगभग १३ वर्ष हो गये हैं तो क्या इस वसूली में कुछ गड़बड़ी हुई है क्योंकि यह धनराशि पहले ही वसूल हो जानी चाहिये थी और अब तक नहीं हुई है । इसके सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जो जांच कराने का कष्ट करेंगे ? और उसे तत्काल रिलीज कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामधारी शास्त्री---

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष में १० हजार रुपया टैक्स की शक्ल में वसूल हुआ था और कोई शिकायत, जैसा कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं, सरकार के पास नहीं है जिसकी जांच कराई जा सके ।

*८---श्री मंजूर अहमद---

[३रे गुरुवार के प्र० सं० ९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

माध्यमिक शिक्षा परिषदों के अध्यक्षों तथा सचिवों का सम्मेलन

*९---श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद), श्री राजेश्वर सिंह (जिला बरेली) तथा श्री शौनाथ सिंह (जिला बिजनौर)---

क्या यह सरकार को मालूम है कि अभी हाल में दिनांक २२, २३ जून या उसके आस-पास सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन ने तमाम प्रदेशों के चेयरमैन और सिक्रेटरियों की कोई कान्फ्रेन्स देहली में बुलाई थी ? यदि हां, तो इस कान्फ्रेन्स में क्या-क्या निर्णय हुये और क्या यह निर्णय सरकार के पास भेजे गये ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी---

जी हां । निर्णयों का सारांश संलग्न है । इन पर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२७ पर)

श्री नौनिहाल सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का यह विचार कब तक अंतिम रूप ले लेगा ?

श्री विजयकुमार त्रिपाठी---

इस पर विचार किया जा रहा है । कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती, जैसे ही विचार कर निर्णय ले लिया जायेगा, बतला दिया जायेगा ।

श्री नौनिहाल सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि माननीय शिक्षा मंत्री इसको कब तक क्रियान्वित कर सकेंगे, इसका आश्वासन दे सकेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जब सेन्ट्रल बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने बहुत से सुझाव दिये थे । उनमें से अनेकों सुझाव ऐसे हैं जिसमें कि जो हमारे यहां की माध्यमिक शिक्षा परिषद् है वह जिस ढंग से परीक्षा लेती है और परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करती है, उससे कुछ भिन्न भी है और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे हमारा मेल नहीं खाता है । अतः हम समझते हैं कि ऐसा करने में शायद छात्रों की योग्यता के सम्बन्ध में कमजोरी आ जायेगी । अतः उन पर अभी शीघ्र निर्णय लेना सम्भव नहीं है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद का विकेन्द्रीकरण

*१०—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद की मान्यता समिति के सम्मुख अनेक शिक्षा संस्थाओं के प्रार्थना-पत्र मान्यता देने हेतु शिक्षा सत्र १९६९-७० में विचाराधीन थे ? क्या सरकार इन प्रार्थना-पत्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद् का विकेन्द्रीकरण करने का विचार रखती है ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

शिक्षा सत्र १९६९-७० में कुल १,८७० मान्यता सम्बन्धी आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे। माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विकेन्द्रीकरण का विषय शासन के विचाराधीन है।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये जो १,८७० मान्यता सम्बन्धी पत्र सरकार को प्राप्त हुये थे उन पर उसने विचार करना प्रारम्भ किया और कब तक उस पर विचार करती रही ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

ये जो १,८७० आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे, उन पर जैसे-जैसे प्राप्त होते गये विचार होता रहा। ३० जून, १९७० तक १,६५४ आवेदन-पत्रों पर निर्णय हो गया था और अवशेष २१६ आवेदन-पत्र ३० जून, १९७० के पश्चात् प्राप्त हुये।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को सच मान कर कि यह मान्यता के आवेदन पत्रों पर जून में निर्णय नहीं लिया गया और जुलाई में स्कूल खुल गये। निर्णय अक्टूबर के अन्त में लिया गया। ऐसी हालत में क्या मंत्री जी पूरी जांच करायेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जुलाई से पहले ही इसका निर्णय ले लिया जाया करे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

रिकगनीशन कमेटी इसके बारे में निर्णय करती है, कभी-कभी बैठकें न होने से और कभी-कभी सदस्यों के न आने से निर्णय जल्दी नहीं हो पाते, देर हो जाती है। इस सम्बन्ध में विभाग विचार कर रहा है कि किस प्रकार से जल्दी निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस रिकगनीशन कमेटी पर बहुत काम रहता है और व्यस्त रहने के कारण सदस्य लोग ज्यादा दिन इलाहाबाद में रह नहीं पाते तो क्या मंत्री जी रेंज के डिप्टी डायरेक्टर्स की एक समिति बनायेंगे जो विद्यालयों को मान्यता के बारे में निर्णय ले लिया करे। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सरकार इस पर विचार कर रही है कि निर्णय जल्दी लिया जा सके। दूसरे इस पर भी विचार किया जा रहा है कि एक स्थान पर केन्द्रीयकरण न होकर प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर निर्णय लिया जा सके लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य का प्रस्ताव है वैसा कोई विचार सरकार का नहीं है।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रार्थना-पत्रों की संख्या बहुत है और जो स्कूलों के मैनेजर और प्रेसीडेंट होते हैं उनको अपने केसेज के बारे में प्रदेश के भिन्न-भिन्न कोनों से चल कर इलाहाबाद आना पड़ता है, उसमें उनको अत्यन्त कष्ट होता है। क्या सरकार इस बात को देखते हुये मंडल स्तर पर मान्यता समितियों का निर्माण करेगी जिससे लोगों का कष्ट भी कम हो जाय और मान्यता भी जल्दी मिल जाय ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माध्यमिक परिषद् द्वारा जितनी भी कार्यवाही संचालित होती है उस सब के संबंध में शासन का ध्यान है दूर-दूर से लोगों को आने में दिक्कत होती है इसलिये शासन ने यह फैसला लिया है कि इसका विकेन्द्रीकरण किया जाय। विकेन्द्रीकरण करने में कुछ वित्तीय अड़चनें हैं, उनके दूर हो जाने पर विकेन्द्रीकरण किया जायगा ताकि लोगों को कठिनाई न हो।

श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह माना कि सरकार विकेन्द्रीकरण की नीति पर विचार कर रही है। वे विकेन्द्रीकरण के लिये कौन-सा फारमूला इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लोगों को सुविधा हो और जल्दी मान्यता मिल जाया करे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अगर हम उन बातों को बताने की स्थिति में होते तो बता ही दिया गया होता।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि स्कूलों के मैनेजर लोग जो सदस्यों पर असर डालते हैं वे विकेन्द्रीकरण में बाधक हो रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि ७०–७१ में जो आवेदन-पत्र रिकगनीशन के लिये प्राप्त हुए हैं उन पर विचार करने से पूर्व ही विकेन्द्रीकरण के बारे में निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मैंने पहले ही यह निवेदन किया कि आप जितनी जल्दी करना चाहते हैं उससे अधिक जल्दी हम करना चाहते हैं लेकिन उसके बीच में वित्तीय विभाग आ जाता है। जब तक उससे छुट्टी न मिले तब तक दिक्कत रहेगी। जब तक उससे छुट्टी न मिले तब तक हम नहीं बता सकते।

श्री अध्यक्ष—

ज्वाइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी होने से ऐसा आप नहीं कह सकते। आप वित्तीय विभाग की शिकायत सदन में न करें।

श्री श्रीपति मिश्र—

मुझसे निश्चित आश्वासन मांगा गया था इसलिये मैंने कह दिया कि वित्त विभाग इस बारे में बवेरीज कर रहा है।

श्री अध्यक्ष---

आप केवल यह कह दीजिये कि वित्तीय व्यवस्था हो जाने पर यह काम कर दिया जायगा। लेकिन यह कहना मुनासिब नहीं कि वित्त विभाग अड़चन डाल रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतायेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसकी पूर्ति वे कब तक कर पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है कि मैंने कह दिया उसी को वे सपोर्ट कर रहे हैं।

बालिका इन्टर कालेज, बांदा में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा इसकी जांच

*११---श्री महीरजध्वज सिंह (जिला बांदा) तथा श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)---

क्या सरकार बतायेगी कि मेरे आरोप-पत्र दिनांक ८ मार्च, १९७० पर जो मैंने बांदा बालिका इन्टर कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रधानाचार्या व लिपिक महोदय के विरुद्ध दिया था व जिसकी जांच बालिका विद्यालय निरीक्षिका चतुर्थ मंडल ने की थी, क्या कार्यवाही की गई ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी---

बालिका विद्यालय निरीक्षिका चतुर्थ मंडल की जांच आख्या सन्तोषजनक नहीं थी और इस कारण दिनांक ८ मार्च, १९७० के आरोप पत्र पर संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा दिनांक १७ नवम्बर, १९७० को पुनः जांच की गई। जांच आख्या पर शिक्षा निदेशक की संस्तुतियां प्रतीक्षित हैं। उनके प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। फिलहाल प्रधानाचार्या को एटा और लिपिक को झांसी स्थानान्तरित कर दिया गया है।

*१२---श्री महीरजध्वज सिंह तथा श्री पन्नालाल---

क्या सरकार को ज्ञात है कि निरीक्षिका महोदया ने सिफारिश की है कि इनकी सेवायें समाप्त कर दी जायें ? यदि हां, तो सिफारिश कब की गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पन्नालाल---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो संस्तुतियां प्रतीक्षित हैं वे कब तक आ जायेंगी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

माननीय सदस्य जरा प्रश्न को साफ कर दें।

श्री पन्नालाल---

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि निर्देशक महोदय की संस्तुतियां जो प्रतीक्षित हैं वे कब तक आ जायेंगी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

शीघ्र ही आ जायेंगी।

श्री पन्नालाल—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि वे ४ बजे तक हाउस के सामने ही आ जायेंगी।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री स्वामीप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि निरीक्षिका महोदया की जांच को रद्द करने के क्या कारण थे?

श्री श्रीपति मिश्र—

उन्होंने जो जांच की थी उसमें बहुत से आरोपों को प्रमाणित माना था और कुछ को निराधार माना था। जिनको प्रमाणित माना था उसके कारण नही दिखाये थे जिससे उनको प्रमाणित माना जाना मुनासिब लगता हो। इसलिये उच्च अधिकारी से जांच कराई गई।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो तथ्य प्रमाणित माने गये थे उनके लिये उनसे कारण क्यों नहीं पूछे गये कि इनका क्या प्रमाण है?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह सब कारण उनसे पूछे गये जिसका उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया इसीलिये दूसरी जांच बिठाई गई।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, प्रदेश की मंडलीय निरीक्षिकाओं को एक मंडल में तीन साल से अधिक नहीं रहना चाहिये। लेकिन ६-६ साल से एक मंडल में वे कार्य कर रही हैं जिनमें इलाहाबाद भी आता है। इससे प्रभावशाली मैनेजर उन पर प्रभाव डाल कर गलत रिपोर्ट लिखा लेते हैं। इसकी क्या मंत्री जी जांच करायेंगे और इसका आश्वासन देंगे कि किसी भी मंडल में निरीक्षिकाओं को तीन साल से ज्यादा होने पर उनका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा?

श्री श्रीपति मिश्र—

आपके सुझाव पर हम अवश्य विचार करेंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची

*१३—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि गत १० वर्षों से सार्वजनिक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की वरीयता के अनुसार क्रम-सूची नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामधारी शास्त्री—

जी हां। १९६० के कुछ तथा उसके बाद स्थायीकरण के लिये चुने गये अभियन्ताओं की ज्येष्ठता अभी नहीं निर्धारित हो पायी है। कारण यह है कि ज्येष्ठता निर्धारित करने के सिद्धान्त के बारे में विचार होता रहा।

श्री नौनिहाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि १९६० से पहले ज्येष्ठता निर्धारित करने के क्या सिद्धान्त थे और उनके अनुकूल इनकी ज्येष्ठता निर्धारित करने में क्या कठिनाई थी?

श्री रामधारी शास्त्री--

१९६२ से पूर्व इनकी नियुक्ति के दो स्रोत थे। एक तो सीधे भरती से अस्थायी पदों के लिये लोक सेवा आयोग से चुनाव द्वारा। यह ७५ प्रतिशत होता था और दूसरे ओवरसियर और कम्प्यूटरों की तरक्की द्वारा। यह २५ प्रति शत होते थे। जो १ नम्बर पर उत्तर दिया उसमें एक सेलेक्ट कमेटी डिपार्टमेन्ट की थी वह सिफारिश करती थी और उन लोगों को स्थायी कर दिया जाता था। दूसरे नम्बर के लिये चीफ इंजीनियर की सिफारिश सरकार के पास आती थी और सरकार अपनी सिफारिश के साथ लोक सेवा आयोग को भेजती थी और उनका एप्रूवल आने के बाद उनको स्थायी कर दिया जाता था।

श्री नौनिहाल सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस सिद्धान्त को निर्धारित करने के बारे में दस वर्ष तक विचार होता रहा। तो इसका अर्थ मैं यह समझूं कि विचार हो चुका। यदि यह ठीक है तो उसके क्या सिद्धान्त बनाये गये हैं और उसमें कितने इंजीनियर्स ऐसे हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग में जिनकी वरीयता के अनुसार क्रम-सूची अभी तक नहीं बनी है ?

श्री रामधारी शास्त्री--

सिद्धान्त निर्धारित करने के संबंध में शासन ने सब से पहले १९६३ में चीफ इंजीनियर्स और जितने सेक्रेटरी हैं विभाग में उनकी एक समिति बनायी। उस समिति ने कोई सिफारिश नहीं की इसलिये १९६६ में सरकार ने श्री जी० डी० शुक्ला की अध्यक्षता में एक समिति बनायी और उस की सिफारिश मई, १९६९ में प्राप्त हो गई। चूंकि विभिन्न अभियन्त्रण समान हैं इसलिये उनकी ५-६ मीटिंग हुई हैं। अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है और उसके बाद लोक सेवा आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। उसके बाद निश्चित सिद्धान्त निर्धारित किये जा सकेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जो नई पद्धति बनने जा रही है यह कब तक लागू हो जायेगी क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग में वरीयता का प्रश्न निर्धारित न होने के कारण बहुत भ्रष्टाचार है लोगों की वरीयता के निश्चित करने में ?

श्री रामधारी शास्त्री--

माननीय सदस्य क विचार से सरकार की सहमति है और जितनी जल्दी हो सकेगा उस पर अमल किया जायेगा।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)--

अगले वर्ष से बहुत-सी सड़कों का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा और बहुत-सी जगह आप नये सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स के सर्किल्स खोलने को प्रोपोज कर रहे हैं किन्तु वरीयता अभी आप निर्धारित नहीं कर रहे हैं इससे दिक्कत हो रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि १९७०-७१ में जो नई सड़कों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ होने वाला है उसके पहले ही क्या वरीयता का सिद्धान्त निश्चित कर देंगे ?

श्री रामधारी शास्त्री--

सरकार जल्द से जल्द इसे करना चाहती है। हमें विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में यह काम हो जायगा।

श्री नौनिहाल सिंह--

कितने इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनकी क्रम-सूची वरीयता के अनुसार नहीं बनायी गयी है ?

श्री रामधारी शास्त्री—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्द सिंह—

चूंकि इस सम्बन्ध में अभी तक वरीयता के नियम नहीं बन पाये हैं तो उन लोगों के परमोशन किये गये हैं वह किस आधार पर किये गये हैं ?

श्री रामधारी शास्त्री—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या यह सही है कि केवल सिफारिशों के आधार पर परमोशन किये गये हैं ?

श्री रामधारी शास्त्री—

जी नहीं।

श्री कृष्णचन्द्र—

क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह फाइनेन्शल ईयर समाप्त होने के पहले वरीयता के सिद्धान्त को निश्चित करके सरकिल खोलने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे ?

सर्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—

सरकिल खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक एक्जिक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का प्रश्न है उन की सीनियारिटी फिक्स कर दी गई है।

*१४—श्री मोहनलाल कपूर—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

माध्यमिक शिक्षक संघ, देहरादून द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र

*१५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून के माध्यमिक शिक्षक संघ ने दिनांक २९ सितम्बर, १९६९ को सर्किट हाउस, देहरादून में प्रदेश के शिक्षा निदेशक को शिष्ट मण्डल के रूप में मिल कर एक ४१ सूत्री मांग-पत्र दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त मांग-पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह प्रतिवेदन जिसके बारे में यह प्रश्न किया गया है, यह सरकार को प्राप्त हो चुका है ?

राजा विजयकुमार त्रिपाठी—

यह प्रतिवेदन अभी तक शासन के पास नहीं पहुंचा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि २९ सितम्बर, १९६९ को माध्यमिक शिक्षकों ने इकट्ठा होकर यह प्रतिवेदन सरकिट हाउस में दिया था और अधिकारियों ने

बहुत से लोगों के सामने इसको स्वीकार किया था, इसकी जांच करायेंगे कि अभी तक माध्यमिक शिक्षकों का प्रतिवेदन यहां क्यो नहीं आया तथा इसके ऊपर कार्यवाही तुरन्त इस सत्र में करेंगे ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

शिक्षा निदेशक से इस बात का जवाब पूछा गया है कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक क्यों नहीं भेजा और यह प्रतिवेदन जो उन्होंने दिया था वह उन्होंने शासन के पास अभी तक क्यों नहीं भेजा, और यदि माननीय सदस्य इससे अधिक चाहते हैं तो लिखित भेज दें जांच करा ली जायगी ।

*१६—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपर)—

[७ वे गुरुवार के प्र० सं० १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला गोरखपुर में डुन्डी पोह कट के निर्माण से ग्रामों के मार्गों का अवरुद्ध होना

*१७—श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री को मालूम है कि गोरखपुर जनपद के श्रीनगर ताल सम्बद्ध पवहनाला के जल निकासी के लिये सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नहर के कारण कम्हरिया बजुर्ग आदि नहर पर पड़ने वाले गांव दो भागों में विभक्त हो गये हैं तथा कम्हरिया बुजुर्ग होते हुये परसौना गांव को ओर जाने वाला सार्वजनिक मार्ग वर्षाकाल में पूर्णतया अवरुद्ध हो जाता है और आवागमन के साथ अनेक गांवों के किसानों को कृषि कार्य का चला सकना भी सम्भव नहीं रह जाता है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

ऐसी कोई नहर सिंचाई विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है । वैसे डुन्डी नदी से एक कट पोह नाले तक जिसका नाम डुन्डी पोह कट है । कई वर्ष पूर्व बनाया गया था । इस कट पर पड़ने वाले कम्हरिया बुजुर्ग आदि ग्रामों के क्षेत्र विभक्त हो गये हैं और परसौना ग्राम की ओर जाने वाला मार्ग तथा कृषि कार्य अवरुद्ध हो जाता है ।

*१८—श्री रामलगन दुबे—

यदि हां, तो क्या सरकार इस नहर पर कम्हरिया गांव के पास सार्वजनिक मार्ग पर शीघ्र एक पुल निर्माण की व्यवस्था करा देगी ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

अभी तक इस स्थान पर पानी भरा हुआ है । जल की निकासी के पश्चात्, ही सर्वेक्षण कार्य किये जायेंगे ।

श्री रामलगन दुबे—

इस बात को देखते हुये कि यह डुन्डी पवह कट १५, १६ वर्ष पहले बना है जिसकी वजह से १५, २० गांव जो आर पार हैं उनका कृषि कार्य और आवागमन वर्ष में पूरे ६ महीने तक पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है तथा पवह कट के ऊपर की तरफ परसौना गांव में हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं जहां पर दोनों तरफ के बच्चों को आने जाने के रास्ते ६ महीन पूर्णतः बन्द हो जाते हैं तो इन कठिनाइयों को देखते हुए माननीय मन्त्री जी शीघ्रातिशीघ्र इस पुल का निर्माण करा देने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण का कार्य चालू कर दिया गया है । उसके बाद जो स्थिति होगी देख ली जायगी ।

*१९-२०—श्री कृष्ण स्वरूप—

[मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

नोटः—तारांकित प्र० सं० १८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, इलाहाबाद की अध्यापिकाओं की सेवा समाप्ति

*२१—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, इलाहाबाद की प्रबन्ध समिति ने २३ अध्यापिकाओं को २१ मई, १९७० से निकाल दिया है? क्या यह भी सत्य है कि इनमें से अनेक अध्यापिकायें दो या ५ वर्ष से अधिक की अवधि से विद्यालय में पढ़ा रही थीं ? यदि हां, तो किस कारण से निकाला गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*२२-२३—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२४—श्री मुमताज मोहम्मद खां—

[७वें गुरुवार के प्र० सं० १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला टिहरी-गढ़वाल में जलकूर नदी पर पुल

*२५—श्री गोविन्द सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस वर्ष जिला टिहरी-गढ़वाल में मोटणां नामक स्थान पर रोणद रमोली के रास्ते पर जलकूर नदी पर पुल बनाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—

जी नहीं। इस समय इस पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

*२६-२७—श्री रामलाल राही—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा नियुक्त जिला विद्यालय निरीक्षकों का स्थायीकरण

*२८—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा), श्री राम पूजन पटेल, (जिला इलाहाबाद) श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राजितराम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वर्ष १९६३ में प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के पदों पर कितने व्यक्ति चुने गये और उनमें से कितने इस समय उक्त पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

६ व्यक्ति।

सभी कार्य कर रहे हैं।

*२९—श्री भगेलू सिंह, श्री रामपूजन पटेल, श्री राम चरण तथा श्री राजित राम पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि जो उक्त जिला विद्यालय निरीक्षक अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं उनमें से कितने को अब तक स्थायी किया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

किसी को भी नहीं। स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है।

के० बी० डिग्री कालेज, माछरा, जिला मेरठ में गबन

*३०—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री १ मई, सन् १९७० के प्रश्न संख्या १७ (नत्थी 'घ') के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि के० बी० डिग्री कालेज, माछरा, जिला मेरठ, में गबन सम्बन्धी आरोप-पत्र सरकार को कब प्राप्त हुआ और उसकी जांच कब से तथा किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित आरोप पत्र १२ जून, १९५७ को प्राप्त हुआ। उसकी जांच पुलिस अधिकारी द्वारा २०-१०-१९६८ से कराई जा रही है।

*३१-३२—श्री रियासत हुसैन—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

टिहरी-गढ़वाल में पांजणाधारकोट नहर के निर्माण के फलस्वरूप जमीन का मुआवजा

*३३—श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में पांजणाधारकोट (सिलगढ़) सिंचाई नहर जिसका निर्माण विभाग द्वारा सन् १९६०-६१, १९६१-६२ में हुआ उस नहर के निर्माण से जो किसानों की जमींन मकान आदि की क्षति हुई है उसका मुआविजा दिया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि भूमि बिना कीमत के उपलब्ध होगी। सम्बन्धित ग्राम सभा प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किये थे कि नहर के बनाने के लिये जिनकी भूमि ली जायेगी, उसका मुअवजा सरकार से कोई नहीं लेगा।

नहर के बनाने में किसी मकान को क्षति नहीं पहुंची थी, इसलिये मकान का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला बलिया में जझोन-सोनवानी सड़क

*३४—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

दिनांक २० अप्रैल, १९७० के प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जिला में जसोद और सवाही नामक कोई स्थान या गांव हैं यदि नहीं तो सड़क नं० ४ जसोद से सवाही के निर्माण का प्रश्न किस कारण से विचाराधीन है?

श्री गिरधारीलाल—

सड़क का सही नाम जझोन सोनवानी है न कि जसोद सवाही।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों पर निर्वाह निधि योजना का लागू होना

*३५--श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगेकि इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ के अन्तर्गत अमेन्डमेन्ट ऐक्ट सन् १९५८ अध्याय ३ की धारा १६-जी के नियम ७७ में वर्णित निर्वाह निधि योजना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिये भी है ? यदि हां, तो यह योजना प्रदेश में कितने जिलों में लागू की गई और कब से ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्नगत योजना मान्यता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समस्त कर्मचारियों पर यथासंभव लागू की जाती है। परन्तु अभी तक इस योजना को धनाभाव के कारण चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों पर लागू करना संभव नहीं हो सका।

जिला कानपुर के ग्राम खमैला के निवासियों द्वारा नहर गंग शाखा पर पुल की प्रार्थना

*३६--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिले की तहसील डेरापुर के खमैला गांव के निवासियों का नहर गंगशाख इटावा के मील नं० ९५-९६ के बीच पुल निर्माण करने हेतु सितम्बर, १९६९ में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई और उक्त स्थान पर अब तक पुल का निर्माण कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री बलवीर सिंह--

प्रश्न का प्रथम भाग--

जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग--

उक्त प्रार्थना पत्र पर आवश्यक जांच की गई और यह पाया गया कि उक्त स्थान पर पुल का निर्माण सम्भव नहीं है क्योंकि उक्त स्थान पर रास्ता नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त स्थान पर इटावा ब्रांच के समानान्तर इधर उधर दो और राजबहे चलते हैं। इस प्रकार ३ पुलों के बनने में लगभग ८०,००० रुपया व्यय होगा जो कि आर्थिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। इसके निर्माण हो जाने से केवल लगभग १०० एकड़ क्षेत्र में अमैला के कृषकों को ही लाभ होता।

*३७--श्री राम सिंह--

[३रे गुरुवार के प्र० सं० ९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३८--श्री रामसिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*३९--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*४०--श्री निर्भयनारायण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला बलिया में बहेरा नाला का इनकैचमेंट एरिया

*४१—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया) तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि बलिया जिले में तूतियार श्रीनगर बन्ध पर बने बहेरा नाला रेगुलेटर के बनाते समय बहेरा नाला का इनकैचमेन्ट एरिया क्या था ?

श्री बलवीर सिंह—

अभिलेखों के निरीक्षण से सही-सही पता नहीं चल पाया कि बहेरा नाला रेगूलेटर बनाते समय बहेरा नाला का कैचमेन्ट एरिया क्या लिया गया था ।

जिला नैनीताल में खिरौला माइनर के निर्माण में अनियमितताएं

*४२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल के खैरोला माइनर जिसका निर्माण कार्य १० मार्च, १९६९ ई० से प्रारम्भ हुआ, कितने ठेकेदारों ने उस कार्य को किया और इस निर्माण कार्य में अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—

खिरौला माईनर का निर्माण कार्य दस ठेकेदारों द्वारा सम्पादित किया गया ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

इसके निर्माण में सितम्बर, १९७० तक ८१,१२३ रुपया व्यय हो चुका है ।

*४३—श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री सजीवन लाल—

क्या यह सही है कि जब दिनांक ६ जून, १९७० को सिंचाई मंत्री जी हल्द्वानी पधारे थे उस समय खैरोला माइनर की शिकायतों पर तुरन्त जांच का आदेश एस० सी० नैनीताल को दिया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट से क्या तथ्य प्राप्त हुये और उस पर मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां, जांच के आदेश अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मंडल, नैनीताल को दिये गये थे ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

इस जांच से केवल कार्य आरम्भ होने के बाद वर्क आर्डर देने की अनियमितता का ही तथ्य स्थापित हुआ । यह केवल अनियमितता की बात थी । किसी की सत्यनिष्ठा के विरुद्ध विशिष्ठ-रूप से कोई बात प्रमाणित नहीं हुई । अतः मामले में अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

*४४—श्री शेरसिंह दानू—

[२रें गुरुवार के प्र० सं० ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शिक्षा विभाग में पति पत्नी का स्थानान्तरण एक ही स्थान में होना

*४५—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि पति-पत्नी यदि दोनों शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें स्थानान्तरित करके दोनों को एक स्थान पर रखने के सम्बन्ध में सितम्बर, १९६२ में राज्य सरकार ने एक परिपत्र भेज कर विभागीय अधिकारियों को यह आदेश दियेथे कि परिपत्र के अनुसार कार्यवाही की जावे ? यदि हां, तो निदेशक शिक्षा के कार्यालय में इस प्रकार के कितने प्रार्थना-पत्र इस समय विचाराधीन है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

इस समय कोई ऐसा प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है ।

मदन मोहन मालवीय कालेज, गुरसहायगंज, फर्रुखाबाद में निकट सम्बन्धियों की नियुक्ति

*४६—श्री महरम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहनमालवीय कालेज, गुरसहायगंज (फर्रुखाबाद) में शिक्षा संहिता के नियमों के विरुद्ध सन् १९६९ से प्रबन्धकारिणी समिति के कुछ सदस्यों ने अपने पुत्रों को उक्त कालेज में अध्यातक नियुक्त किया था और कालेज के प्रधानाचार्य ने अपने एक निकट सम्बन्धी को भी सन् १९६८-६९ में आध्यापक नियुक्त किया था ? यदि हां, तो इस प्रकार की नियुक्ति किस तिथि से और क्यों की गई और ऐसे अध्यापकों ने कालेज में कितने दिन वैतनिक कार्य किया तथा क्या सरकार ऐसी अनियमितताओं पर तुरन्त वैधानिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सत्र १९६९-७० के सत्र के मध्य में किसी योग्य अध्यापक प्राप्त न होन के कारण इस विद्यालय की प्रबंध समिति ने एक सदस्य के पुत्र को अध्यापक के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त कर लिया था और ३१ मार्च, १९७० को उक्त अध्यापक की सेवाय प्रबंध समिति द्वारा ही समाप्त कर दी गई । प्रधानाचार्य के किसी भी निकट सम्बन्धी को सन् १९६८-६९ में अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया । अतः अब किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४७—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

परीक्षा में निरीक्षण करने वाले अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी माना जाना

*४८—श्री शम्भुनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि हाल में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक पत्र प्रदेशीय सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करते समय अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी माना जाय ताकि उनके ऊपर होने वाले हमले पर या माने जाने पर उन्हें सरकारी कर्मचारी की भांति मुआविजा मिल सके ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी हां। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*४९---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

इलाहाबाद के मेजा, करछना तथा बारा क्षेत्रों में राजकीय नल कूप

*५०---श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेजा करछना एवं बारा क्षेत्र, इलाहाबाद में कितने नलकूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगवाने की योजना है और उसके कब तक लगने की सम्भावना है ?

श्री बलबीर सिंह---

राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम अब उपलब्ध सम्साधनों के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष बनता है। अतएव चतुर्थ पन्च वर्षीय योजना काल म बनन वाल नलकूपों की सूचना देना सम्भव नहीं है।

आर० वी० एम० इन्टर कालेज, तिलहर, जिला शाहजहांपुर के अध्यापकों का बकाया वेतन

*५१---श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि आर०वी० एम० इन्टर कालेज, तिलहर, जिला शाहजहांपुर के अध्यापकों की तनख्वाह अप्रैल, १९७० से जुलाई, १९७० तक की बाकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त तनख्वाह दिलाये जान हेतु आदेश देगी ?

श्री श्रीपति मिश्र---

वेतन का भुगतान अब जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय की शुल्काय तथा अनुदान से किया जा रहा है। अक्टूबर क प्रथम सप्ताह तक कवल जुलाई १९७० का भुगतान प्रबन्धक द्वारा शुल्काय जमा न करने के कारण बाकी था।

प्रदेश में कक्षा १० तक निःशुल्क शिक्षा प्रबन्ध

*५२---श्री रामगोपाल संड---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के दसवीं कक्षा तक के सबल विद्यार्थियों की फीस माफ करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों की फीस कब तक माफ कर देंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र---

प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा कक्षा १० तक निःशुल्क है तथा बालकों से कक्षा ६ तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आर्थिक कठिनाई के कारण बालकों की शिक्षा कक्षा १० तक निःशुल्क करना सम्भव नहीं है।

*५३-५४---श्री नरेन्द्र सिंह---

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ७९-८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला फर्रुखाबाद में जूनियर हाई स्कूलों को क्षतिपूर्ति अनुदान

*५५—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कौन कौन मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है जिनको १९६९–७० वर्ष का लड़कियों का शिक्षा शुल्क मुक्त होने के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति का अनुदान नहीं दिया गया ? क्या इस वर्ष दिलाने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

संलग्न तालिका में उल्लिखित १० विद्यालयों का क्षतिपूर्ति अनुदान ६९–७० में स्वीकृत नहीं किया जा सका था। उक्त अनुदान का भुगतान इस वर्ष कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८२८ पर)

विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों के सम्बन्ध में सिफारिशें

*५६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्र सरकार द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने २५ अगस्त, सन् १९६७ को राज्य के समस्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को एक परिपत्र भेजा था ? यदि हां, तो वह परिपत्र क्या है और उसका पालन किन-किन विश्वविद्यालयों और उनके अधीन डिग्री कालेजों ने किया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। यह परिपत्र विश्वविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त गैर सरकारी डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधनों के संबंध में है। संबंधित डिग्री कालजों तथा प्रदेशीय विश्वविद्यालयों ने इस परिपत्र का पालन किया है।

जिला कानपुर के ग्राम बहेड़ा सतौरा आदि से बरसाती पानी निकालने हेतु ड्रेन का निर्माण

*५७—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के ग्राम बहेरा सतौरा उड़नवापुर महोई परौख के बीच से बरसाती (बाढ़ का) पानी जिससे यहां की दो हजार एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो जाती है को बचाने के लिये एक ३ मील का नाला खुदवाने का आदेश सिंचाई मंत्री ने जून, १९७० में दिया था ? यदि हां, तो उक्त नाले के निर्माण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और उक्त नाला कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां, माननीय सदस्य का पत्र जून, १९७० में इस विषय में प्राप्त हुआ था जिसे मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को इस उद्देश्य से भेजा गया कि वह अपना प्रतिवेदन भेजे। उन्होंने सूचित किया है कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के ग्राम बहेड़ा सतौरा उड़नवापुर महौर परौख में बरसाती पानी से १,००० एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है। इस क्षेत्र के पानी की निकासी के लिए ६ मील लम्बी ड्रेन का निर्माण करना होगा इस नाले के सर्वेक्षण कराने के उपरान्त यदि व्यय के अनुपात में लाभप्रद योजना बन सकती है तो आवश्यक प्रस्ताव राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् के सामने रखा जायगा।

जिला गोरखपुर के वैदिक धर्म सजीवनी संस्कृत विद्यालय को अनुदान

*५८—श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के नौतनवां बाजार स्थित वैदिक धर्म सजीवनी संस्कृत विद्यालय को वर्ष १९६६-६७, १९६७-६८, १९६८-६९ और १९६९-७० में कितना-कितना अनुदान स्वीकार किया गया तथा दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में सुपरवाइजरों की पदोन्नति

*५९—श्री फिरंगीप्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री जांच कर बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत सुपरवाइजर एवं फोरमैन पद से कितने लोगों की पदोन्नति मई, १९७० में सहायक अभियन्ता पद पर हुई है ?

श्री बलवीर सिंह—

सत्रह सुपरवाइजरों के अनन्तिम रूप से सहायक यांत्रिक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के आदेश मई, १९७० में जारी किये गये ।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू करना

*६०—श्री राम पूजनपटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्थागत संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय के अध्यापकों का वेतनक्रम कब तक कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार लागू करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

संप्रति ऐसा करना संभव नहीं है ।

*६१—श्री चन्द्र नारायन सिंह—

[पुनर्विचार पर अस्वीकृत]

ऐग्रीकल्चर इन्स्टीटयूट, नैनी के अध्यापकों का बकाया बढ़ाया हुआ महंगाई भत्ता

*६२—श्री रामगोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एग्रिकल्चर इन्स्टीट्यूट, नैनी, इलहाबाद में अध्यापकों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त, १९६९ से प्रबन्ध समिति ने प्राप्त कर लिया है पर अध्यापकों को केवल ४० रु० मासिक महंगाई भत्ता देते हैं ? यदि हां, तो सरकार अध्यापकों को महंगाई भत्ता दिलाने के लिये कौन-सा पग उठा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट, नैनी, इलाहाबाद के अनुदान हेतु अनुमोदित पदों पर कार्यरत अध्यापकों को बढ़ी दर से देय महंगाई भत्ता अनुदान संस्था को स्वीकृत किया जा चुका है पर संस्था द्वारा अपनी दरों के अनुसार ४० और ४५ रु० महंगाई भत्ता इस तर्क के साथ दिया जाता है कि संस्था द्वारा दिया गया वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलाकर अध्यापक की कुल परिलब्धियां

अनुदान हेतु अनुमोदित वेतन तथा शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता के योग से अधिक हो जाती है। किन्तु संस्था का यह तर्क शासन को मान्य नहीं है और बढ़ी हुई दरों के अनुसार देय महंगाई भत्ता अध्यापकों को दिलाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

लिफ्ट सिंचाई उपखण्ड, बांदा के सहायक अभियन्ता तथा सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायतें

*६३—श्री बलसिंगार (जिला आजमगढ़) तथा श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें बांदा जिला के ग्राम मदनपुर के प्रधान तथा उस गांव की जनता की ओर से लिफ्ट सिंचाई उपखण्ड बांदा के सहायक अभियन्ता तथा सुपरवाइजर आदि के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग तथा अन्य भ्रष्टाचार के संबंध में जो प्रार्थना-पत्र, दिनांक २९ मई, १९७० को प्राप्त हुआ है, उन बातों को किसी विधायक ने प्रमाणित किया है ? यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां। मामले में सरकार द्वारा जांच की जा रही है तथा संबंधित सहायक अभियन्ता व सुपरवाइजर का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

जिला बांदा में मदनपुर पम्प कैनाल पर व्यय

*६४—श्री दल सिंगार तथा श्री भीमा प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में मदनपुर पंप कैनाल बनने का प्रस्तावित व्यय कितना था ? वास्तविक कितना रुपया खर्च हुआ ? उक्त कैनाल कब बनना आरंभ हुई और कब बन कर तैयार हुई ?

श्री बलवीर सिंह—

मदनपुर पंप नहर की अनुमानित लागत ६,५०,००० रु० थी, और अब तक ६,५५,००० रुपये व्यय हो चुकी है। इस पंप नहर पर निर्माण कार्य सितम्बर, १९६८ में प्रारंभ किया गया था, और सितम्बर, १९७० में पूर्ण हुआ।

एल० टी० प्रशिक्षण हेतु मनोनयन

*६५—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७०–७१ में एल० टी० प्रशिक्षण के लिये कितने अभ्यर्थियों का मनोनयन किया गया और उनके मनोनयन का क्या आधार था ? क्या शिक्षा मंत्री मनोनीत अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

१९७०–७१ में एल० टी० प्रशिक्षण के लिये १९४ अभ्यर्थियों, अभ्यर्थिनियों को नामांकित किया गया जिनकी सूची संलग्न है। नामांकन शासन के विवेक पर आधारित है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८२९–८३२ पर)

*६६—श्री हरी सिंह विष्ट—

[३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६७—श्री रामचन्द्र थिकल—

[३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, आजमगढ़ की प्रधानाचार्य

*६८—श्री दर्लसिंगार—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, आजमगढ़ की प्रधानाचार्या अपने उक्त पद पर उक्त जिले में कितने दिनों से नियुक्त हैं ? क्या यह सही है कि अपने सेवा काल के प्रारम्भ से अब तक वह इसी जिले में रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

लगभग साढ़े पांच वर्षों से ।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*६९—७०—श्री सजीवन लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*७१—श्री देवकीनन्दन विभव—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

जिला बुलन्दशहर में ओलावृष्टि के फलस्वरूप सिंचाई कर में छूट

*७२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इस वर्ष ओलाग्रस्त तहसील सिकन्दराबाद व बुलन्दशहर, जिला बुलन्दशहर में फसल नष्ट होने पर भी सिंचाई कर वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

सिकन्दराबाद तथा बुलन्दशहर तहसीलों में उन खेतों में जिन्हें ओला द्वारा हानि हुई थी सिंचाई कर में नियमानुसार मिन्हाई / छूट / देने के पश्चात् बाकी सिंचाई कर विभागीय नियमानुसार वसूल किया गया है ।

प्रदेश में सिंचाई की दरों में कमी की मांग

*७३—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के किसानों पर सिंचाई की दरें कम करने का विचार रखते हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

सिंचाई साधनों के रख-रखाव के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के कारण वर्तमान सिंचाई दरों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सनातन धर्म इन्टर कालेज, इटावा के अध्यापकों का बकाया वेतन

*७४—श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि श्री सनातन धर्म इन्टर कालेज, इटावा में कुछ अध्यापकों को लगभग एक वर्ष से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक वेतन न दिये जाने का क्या कारण है तथा वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस विद्यालय की प्रबंध समिति को मान्यता सम्बन्धित विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण केवल ७ ऐसे अध्यापक हैं जिनकी वैध अथवा अवैध नियुक्तियों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है और उन्हीं का वेतन भुगतान का मामला रुका है ।

*७५—श्री रामलाल राही—

[३रे गुरुवार के प्र० सं० ९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

खीरी–लखीमपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध जांच

*७६—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी लखीमपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध अनियमित व अवैधानिक कार्य के किये जाने के सम्बन्ध में सी० आई० डी० द्वारा या अन्य किसी प्रकार की जांच चल रही है ? यदि हां, तो वह कौन से आरोप हैं और अब तक सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। वैभागिक जांच चल रही है। आरोप हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से व्यक्तिगत काम लेना, उनसे रुष्ट होने पर उन्हें दूर स्थानान्तरित करना, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पलिया, जिसका अनुदान निलम्बित है, के कुछ अध्यापकों को वेतन देना और कुछ को न देना, पक्षपातपूर्ण नीति का अपनाना, अपने कार्यालय के एकाउन्टेन्ट की शिकायतों को दबा देना, सरकारी जीप का सैर सपाटे के लिये उपयोग करना आदि। चूंकि जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है, अतः सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध फिलहाल कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिला नैनीताल में एम० बी० डिग्री कालेज तथा इन्टर कालेज में हड़ताल

*श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में एम० बी० डिग्री कालेज तथा इटन्र कालेज ६ सितम्बर, सन् १९७० से अनिश्चित काल के लिये किस कारण से बन्द हो गए है? और इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

कथित डिग्री कालेज में छात्रों ने प्रधानाचार्य के व्यवहार से असन्तुष्ट होने तथा विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा एक प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति हेतु चयन किये गये अभ्यर्थी के प्रस्ताव को अमान्य कर देने के कारण ६–९–१९७० से हड़ताल की जो २१–९–१९७० को समाप्त हो गई। इण्टर कालेज में छात्रों ने प्रभारी प्रधानाचार्य के व्यवहार तथा प्रबन्धसे असंतुष्ट होकर ७–९–७० से हड़ताल की। विद्यालय १–१०–७० को खुल गया है। कुछ और अनियमितताओं के कारण विद्यालय का अनुपालन अनुदान निलम्बित कर दिया गया है और उसके प्रशासक की नियुक्ति की नियमानसार कार्यवाही की जा रही है।

†७८—श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

[३रे गरुवार के प्र० सं० ९८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला प्रतापगढ़ में रानीगंज-पट्टी सड़क का निर्माण

*७९—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत रानीगंज से पट्टी तक सड़क निर्माण हेतु आकस्मिक निधि से लगभग ९ लाख ५५ हजार रुपयों का अनुदान स्वीकृत है ? यदि हां, तो दिनांक १० सितम्बर, १९७० तक कितना निर्माण-कार्य किया गया ?

श्री गिरधारी लाल—

प्रश्नगत् सड़क का निर्माण ६.७७ लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत है। प्रारम्भिक कार्यवाही के पूर्ण न होने के कारण १०-६-७० तक इसका निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

*८०—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त—

[३रे गुरुवार के प्र० सं० ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८१—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बरेली और पीलीभीत जिलों के बीच में हाफिजगंज तथा नवाबगंज बाई पास हेतु ली गयी जमीन का मुआवजा

*८२—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली और पीलीभीत जिले के बीच में कसबा हाफिज गंज और नवाबगंज पर पीलीभीत रोड (सड़क) को बाहर बाहर (बाई पास) निकाला गया है ? यदि हां, तो इसमें कितनी भूमि अधिग्रहण की गई है? भूमि का मुआविजा कब तक देने का विचार है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। हाफिजगंज बाई पास के लिए ५२.३७ एकड़ भूमि तथा नवाबगंज बाई पास के लिए ३४.७२ एकड़ भूमि अधिग्रहीत (रिक्यूजीशन) की गई थी। हाफिजगंज बाई पास के लिए अधिग्रहीत भूमिका वर्ष १९६९ तक के आवर्तक मुआवजे का १७५१२.३९ रुपये का एवार्ड घोषित किया जा जा चुका है, जिस में से १६०३२.६९ रुपये की धनराशि भू-स्वामियों को बांटी जा चुकी है। नवाबगंज बाई पास के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे का एवार्ड घोषित करने एवं उसे शीघ्र बांटने की कार्यवाही की जा रही है।

*८३—श्री गेंदासिंह तथा श्री नरेंद्रसिंह—

[३रे गुरुवार के प्र० सं० १०० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला मेरठ के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा लिपिकों का पुनरीक्षित वेतन-क्रम

*८४—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों तथा लिपिकों के पुनरीक्षित वेतन क्रम का निर्धारण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को कोषागार से वेतन दिलाना

*८५—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को समय से व पूर्ण वेतन मिलने के लिए राजकीय कोषागारों से वेतन दिलाने का सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो यह व्यवस्था प्रदेश के विद्यालयों में कब तक लाग हो जायगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित वेतन वितरण व्यवस्था हेतु विधान परिषद् में विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

जिला परिषद्, बुलन्दशहर के अध्यापकों का बकाया वेतन

*८६—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, बुलन्दशहर के प्राइमरी पाठशालाओं के कितने अध्यापक ऐसे हैं कि जिनका १ जनवरी, सन् १९६९ से १ सितम्बर, सन् १९७० की अवधि तक में एक मास या इससे अधिक का वेतन जिला परिषद्, बुलन्दशहर की ओर बकाया है और अध्यापकों को उसका भुगतान नहीं किया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*८७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, बुलन्दशहर के अध्यापकों का वेतन किन कारणों से रोका गया है, उसके भुगतान की व्यवस्था करने पर क्या सरकार तुरन्त ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला गोरखपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों का वेतन भुगतान

*८८—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री जांच कर बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोरखपुर के कितने विद्यालयों का वेतन भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वर्तमान सत्र में हो रहा है ? क्या इनमें स्वावलम्बी उ०मा० विद्यालय, विशुनपुरा, गोरखपुर भी है ? यदि हां, तो क्या सभी अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां से चेक वेतन भुगतान हेतु पाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और प्रत्येक का कितने महीन का वेतन बाकी है?

श्री श्रीपति मिश्र—

६ विद्यालयों का वेतन भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा हो रहा है । इनमें स्वावलम्बी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विशुनपुरा भी है । वहां के अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी वेतन भुगतान हेतु सामान्य चेक पाते हैं । उनका तीन महीने का वेतन अवशेष है।

जिला परिषद्, जौनपुर द्वारा सीनियर बेसिक विद्यालयों का दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरण

*८९—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् जौनपुर ने शिक्षा सत्र, १९७०–७१ में किन-किन सीनियर बेसिक विद्यालयों को उनके पुराने स्थानों से हटा कर दूसरे स्थानों पर कर दिया ? तथा क्यों और अपने पुराने स्थान पर कब-कब से चल रहे थे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

६०--श्री रामगोपाल संड--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री जयराम यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बलिया बेरिया बांध पर गंगा नदी के कटान को रोकने हेतु व्यय की गयी धनराशि

३--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि बलिया जिला बैरिया बांध पर गाय-घाट के सामने गंगा की कटान को रोकने के लिये दिनांक १ जनवरी, १९७० से दिनांक २५-७-७० तक सरकार ने कितनी-कितनी धनराशि किन-किन कार्यों पर खर्च की है और केंद्रीय सरकार से इस वर्ष इस बांध के रक्षार्थ कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

श्री बलाबीर सिंह--

प्रश्न का प्रथम भाग--

इसका ब्योरा संलग्न तालिका संख्या १ में दिया हुआ है ।

प्रश्न का दूसरा भाग--

इस बांध के लिये केंद्रीय सरकार से अलग से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३३ ८३४ पर)

४--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त कटान को रोकने के लिए इस वर्ष भी लोगों को ठेका या वर्क आर्डर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं का ठेका या वर्क आर्डर किस-किस दर से कब-कब दिया गया है ?

श्री बलबीर सिंह--

प्रश्न का प्रथम भाग--

जी हां ।

प्रश्न का दूसरा भाग--

इसका ब्योरा संलग्न तालिका संख्या २ में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३३-८३४ पर)

५--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

इलाहाबाद क्षेत्र के गैर सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों के निलम्बित अध्यापक

६--श्री रामगोपाल संड--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा उप निदेशक, इलाहाबाद के क्षेत्र के अन्तर्गत जिलेवार गैर-सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में ऐसे कितने शिक्षक दिनांक ३० जून, १९७० को थे जो एक वर्ष से अधिक से निलम्बित रह चुके थे किन्तु जिन्हें दिनांक ३० जून, १९७० तक चार्जशीट नहीं मिली ? इस प्रकार निलम्बित कितने अध्यापकों को नियमित रूप से जीविका निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इलाहाबाद क्षेत्र के जिला कानपुर तथा फतेहपुर के गैर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों के क्रमशः एक एक शिक्षक ३०-६-१९७० को एक वर्ष से अधिक काल से निलम्बित थे किन्तु जिला फतेहपुर के निलम्बित शिक्षक को ३०-६-७० तक चार्जशीट नहीं मिली थी । उक्त दोनों जिलों के शिक्षकों को नियमित रूप से जीविका निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा था ।

जिला परिषद्, बरेली के अध्यापकों का स्थानान्तरण

७--श्री चेतराम गंगवार--

क्या पंचायतोराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बरेली के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं के कितने अध्यापक पिछले ५ वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार इनके स्थानान्तरण पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जिला परिषद्, बरेली के अन्तर्गत पाठशालाओं के ५३२ अध्यापक पिछले ५ वर्षों से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ।

नहीं, अध्यापकों के स्थानान्तरण के संबंध में किसी निश्चित अवधि का बंधन नहीं है ।

१५ दिसम्बर, १९७० को हुये विभाजन में सूचियों पर गलत हस्ताक्षर बनाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न पर बड़े खेद के साथ आपके द्वारा सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि सदन में सबसे बड़ी व्यवस्था जब मतदान किसी विषय पर होता है तो उसकी होती है । कल जो मतदान हुआ उसकी मैंने जांच की और उसकी शिकायत भी मैंने की थी कि कल के मतदान में लाबी में भारी गलतियां हुई हैं । उसके लिये आपने भी जांच के निर्देश दिये और उसकी जांच हो रही है । हमारी माननीय सदस्या, इलाहाबाद वहां पर थीं । सात गलतियां तो ऐसी थीं कि जो रिकार्ड से मालूम हुई हैं और साबित हैं, सात गलत वोट कल दिये गये हैं । श्री धर्मवीर के बारे में तो आपने कल ही एलान भी किया था, उनके अलावा हमारे श्री कन्हैया लाल सोनकर जो सदस्य हैं उनके नाम पर श्री किशन लाल के दस्तखत गलत हो गये हैं, श्री हर नारायण के अंग्रेजी में दस्तखत थे जबकि वह हिन्दी में करते हैं, निर्भय नारायण सिंह नहीं थे उन के दस्तखत भी बनाये गये हैं, राम पाल सिंह की सुप्रीम कोर्ट में पेटीशन चल रही है वह वोट कर नहीं सकते, उनके भी दस्तखत मौजूद हैं, इसी तरह से श्री श्रीनिवास जी अंग्रेजी में दस्तखत नहीं करते वह हिन्दी में करते हैं । इसी तरह से श्री धर्मवीर जी के अलावा ७-८ नाम ऐसे हैं जो गलत जोड़े गये हैं और अभी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जांच बाकी है । इस तरह से जो २२३ का एलान हुआ है उसमें ७–८ नाम घटा लिये जायं । इस तरह से पूरी जांच के बाद मेरी प्रार्थना है कि कल की वोटिंग का जो फल घोषित हुआ है उसको श्रीमन्, निरस्त करें, उसको नहीं मानना चाहिये । इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आगे के लिए सबकी सलाह से कोई ऐसी व्यवस्था आप करें कि जिससे ठीक से वोटिंग का कार्य हो सके । यह बड़े शर्म की बात है कि हममें से कुछ लोग इस तरह का कार्य करते हैं । अंग्रेजी में हस्ताक्षर कोई न करे इस तरह के आपके आदेश हो जायं और इस मामले में पूरी जांच की जाय । वोटिंग के संबंध में ऐसी परम्परा उचित नहीं है ।

उद्योग मंत्री (श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी)––

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रार्थना करना है.....

(व्यवधान)

तिवारी जी ने जो कहा वह ठीक है लेकिन दुर्भाग्य से यह परम्परा तो हमारी पार्लियामेंट से ही पड़ी है जबकि प्रिवी पर्सेज पर वोटिंग के समय वहां के सरकारी पक्ष के लोगों ने दो-दो बार वोटिंग की, वहीं से गलत परम्परा का आरम्भ हुआ है....

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)––

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी बात आप सुन लें ...

(व्यवधान)

क्या मैं माननीय त्रिपाठी जी से पूछ सकता हूं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

आप कृपया बैठें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

एक सदस्य––

अगर विरोधी पक्ष का यही रवैया रहा तो नेता विरोधी दल भी नहीं बोल पायेंगे ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि वह आप की आज्ञा के विरुद्ध बोल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष––

मैं उनको इजाजत नहीं दे रहा हूं.....

(व्यवधान)

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल––

इस तरह से तो नेता विरोधी दल भी नहीं बोल पायेंगे ।

श्री अध्यक्ष––

मैंने उन्होंने जो नाम लिये वह सुन लिये और उनकी बात भी शांति से सुन ली....

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी––

मैं व्यवस्था मांग रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है । मैं पहले उनकी बात सुन लूं ।

श्री त्रिवेणी---

आपको व्यवस्था देनी होगी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इसके माने यह हैं कि सरकारी पक्ष वोटिंग में गड़बड़ी करे...

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठें....

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी---

उसकी चुनौती पार्लियामेंट में दी गई होती तो बात थी लेकिन इसके माने यह हैं कि गलत'...

(व्यवधान)

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यदि कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का बार-बार उल्लंघन करता है और उनके आदेश पर भी नहीं बैठता है तो उसके खिलाफ जो कार्य-वाही नियमों में है वह कार्यवाही, अध्यक्ष महोदय, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं करते ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप शांति से सुन लें, मैंने त्रिपाठी जी को बोलने की इजाजत दी थी ...

(व्यवधान)

आप शान्ति से सुन लीजिये और फिर प्रश्न कीजिये ।

श्री त्रिवेणी---

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और आप मुझे आज्ञा नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

श्रीमन्, माननीय त्रिवेणी जी को अपने स्थान पर बिठा दीजिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, संसदीय प्रणाली और संविधान की रक्षा के लिये मैं भी उत्सुक हूं । मैंने तो एक उदाहरण दिया। मैं नहीं चाहता कि दल बदलू हों लेकिन यह इधर से हुआ या उधर से, कोशिएन्स की पुकार भी उधर से हुयी, डिसिप्लिन तोड़ा गया, गलत वोटिंग कहां से हुयी, इधर से या उधर से, यह भी उधर से ही हुयी । मेरे विचार में वे यह समझते हैं कि जो प्रधान मंत्री ने किया वह ठीक है और दूसरे जो करें वह गलत है । उनकी तरफ से जो किया जाय वह ठीक, बाकी सब गलत । यदि इससे मैटीरियल एफेक्ट होता तो ठीक भी था लेकिन मुझे याद है कि लोक सभा के अध्यक्ष ने भी एक बार, जब उनसे पूछा गया, कह दिया था, ऐसे ही अवसर पर, कि जो होना था वह हो गया। उस समय माननीय अटल बिहारी जी ने अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि इसके बारे में एक जांच कमेटी बैठायी जाय । मैं कह रहा था कि जो

उनके लिये मीठी है वह दूसरों के लिए कड़वी है और जो दूसरों के लिये मीठी होती है वह इनके लिये कड़वी होती है । पता नहीं किस हिम्मत से ऐसे लोग कह रहे हैं जो खुद भागी हैं ऐसी अनियमितताओं के करने में ।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि एक दफा ऐसा ही मैंने देखा कि गलत दस्तखत कर दिये हैं तो मैंने उसकी एन्क्वायरी की । नारायण दत्त जी ने भी बाहर मुझसे कहा और मुझे इन्क्वायरी करनी पड़ी । वैसे कायदा तो यह है कि अगर कोई अव्यवस्था हो रही है और कायदे से डिवीजन नहीं हो रहा है तो आप लोगों में से कोई या हमारे जो कायकर्ता वहां पर खड़े हों, उसी वक्त उनको प्वाइंट आउट करना चाहिये । उसके बाद नारायण दत्त जी ने मुझसे बताया कि बाद में भी शिकायत हो सकती है तो मैंने उसको पढ़ा कि बात सही है और मैं बाद में भी इन्क्वायरी कर सकता हूं । इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे पास लिखकर भेजते हैं तो मैं इंक्वायरी करूंगा, उसका निर्णय क्या होगा यह तो बाद की बात है । आपकी सिफारिश कि मैं उस मतदान को निरस्त कर दूं इस के बारे में मुझे कहना है कि अगर निरस्त करने के लायक होगी तो निरस्त कर दी जायगी और अगर नहीं होगी तो कम से कम आपको बता दूंगा कि ये करेक्ट फीगर्स हैं । यह चीज मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में दी हुयी है । मने उसके बाद जो फसला दिया तो २ वोटों का फर्क था लेकिन बाद में पता चला कि यह ६ से ज्यादा है तो मुझे देखना पड़ेगा कि करेक्ट फीगर्स क्या हैं । मैं चाहूंगा कि सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाऊं और अगर कोई हल निकल सके तो निकाला जाय । इसकी शिकायत सब जगह है और हर जगह कोई न कोई रास्ता निकाल लिया है, जैसे बम्बई में इसकी चर्चा हुई कि उनके यहां भी ऐसी बात हुई और बाहरी लोगों ने यह कहा कि फर्जी दस्तख़त भी हो जाते हैं और दरवाजे भी ख़ोल लेते हैं दफ्तर के कार्यकर्त्ताओं को धक्का देकर । तो ये चीजें बड़ शर्म की हैं और मुझे बड़ी लज्जा मालूम होती है कि मैं इसका प्रबन्ध नहीं कर सका । तो मैंने सदन के विभिन्न पार्टियों के नेताओं को बुलाया लेकिन कोई नेता ही नहीं आया । ऐसे मामलों के संबंध में एक मीटिंग करने की बहुत जरूरत है ताकि सभी नेतागण अपने-अपने सुझाव दें और एक ऐसा रास्ता निकाल लें कि ऐसी चीजें भविष्य में इस सदन में न हों ।

महाराष्ट्र सदन में यह हुआ । उन्होंने यह देखा कि अगर हाथ उठाने को कहा गया तो कुछ सदस्य दोनों हाथ उठा लेते हैं । इसलिए यह किया गया कि विभाजन मांगने पर अध्यक्ष हाथ उठाने को नहीं कहेंगे बल्कि खड़े होने के लिए सदस्यों को कहेंगे । जिससे सही गिनती हो सके । यह प्रयोग सफल हो गया । बहुत से ऐसे सदस्य होंगे जो डिवीजन नहीं चाहेंगे । यह भी नहीं चाहेंगे कि हर एक आदमी के दस्तखत हों । सदस्य खड़े होने पर गिनती हुई और मालूम हुआ कि अमुक पक्ष की मैजारिटी इतनी है । उतनी मान लेते हैं । अगर लोगों ने यह कहा कि सब चाहते हैं कि डिवीजन में सदस्यो के दस्तखत होने चाहिये । तो सदस्यों की लिस्ट घुमाते हैं । खड़े होने वाले सदस्य हां, या नहीं की लिस्ट पर दस्तखत कर देते हैं लेकिन बेईमानी नहीं होगी । उन्होंने मुझे यह सलाह दी कि यह प्रथा सफल हुई और इसी को सब विधान सभाओं में जारी करना उचित होगा । मैं इसलिए सभी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग बुला लेता हूं जिससे यह मसला हमेशा के लिए तय हो जाय । क्योंकि सब पार्टियों के लिए यह शर्म की बात है। अगर किसी पार्टी को यह कह दिया जाय कि आपकी पार्टी ने अमुक प्रकार से बेईमानी की और इस और उस पार्टी के लिये वह बदनामी की बात होगी । इसको रोकना चाहिये और सख्ती से रोकना चाहिये । अभी जो हुआ है उसकी मैं इन्क्वायरी कराऊंगा । दोनों तरफ के सदस्यों के बारे में इन्क्वायरी कराऊंगा ।

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, काउंटिंग के बाद उपाध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया उसमें सिर्फ इस बात की घोषणा की कि मेरे दस्तखत के अलावा बाकी दस्तखत सही हैं। श्री नारायण दत्त तिवारी न जो प्रश्न उठाया, उसको आप देखें। मैं यहां बैठा हूं और मैं मंत्री भी हूं। यह कहां की स्वस्थ परम्परा है। ऐसे लोगों के बारे में जो सरकार में बैठे हुए हैं उनके भी दस्तखत हो जांय। उन्होंने अपने यहां खुद ही गलत दस्तखत बनाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों तरफ के नेता इस बात का निर्णय कर लें ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे। समाचार पत्रों में यह निकला है कि सिर्फ मेरे नाम के अलावा सब सही था। उसमें निकला है कि धर्मवीर के अलावा, जिनके दस्तखत दोनों जगह थे, सब सही था। मैं यहां कहना चाहता हूं कि धर्मवीर सिंह" अपने नाम के बाद "सिंह" लिखते हैं। अखबार में धर्मवीर निकला है। उपाध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम अनाउन्स किया था। मैं चाहता हूं कि इस बिषय में अब कोई ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिये, इस प्रकार की।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी के बाद मुझे कहा था आपने.....

(अनेक सदस्यों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर।)

(व्यवधान)

श्री नगीनासिंह (जिला बलिया)--

अभी मंत्री जी ने कहा कि मैं मंत्री हूं। कोई पहचान नहीं हो पाती मंत्रियों की। इसलिये मेरा सुझाव है कि मंत्रियों के लिये कोई ड्रेस बना दी जाय ताकि हम पहचान सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मेरा सुझाव है कि जब मतदान हो तो हर टेबुल पर चार-चार कर्मचारी होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मीटिंग में आप लोग होंगे तो इकट्ठे सब प्रकार के सुझाव हो जायेंगे।

(शोर और व्यवधान के बीच)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप हमें दो मिनट सुन लें.....

श्री अध्यक्ष--

८-८ आदमी एक साथ बोल रहे हैं, कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा है। अगर आप लोग नहीं बैठेंगे तो मुझे सदन को स्थगित करना पड़ेगा। इस समय कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि पार्लियामेन्ट में जाली वोटिंग होती है। श्रीमन्, उनको मालूम होगा कि वहां पर बटन दबा कर वोटिंग होती है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बटन भी वहां पर दो-दो दबा देते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय उद्योग मंत्री ने इस काम के लिये प्राइम मिनिस्टर को दोषी बताया, यह बड़े शर्म की बात है (शोर)...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैंने उनको दोषी नहीं कहा.... (शोर)

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मैं जन संघ छोड़ कर कांग्रेस (आर) में आ गया हूं, यह सभी जानते हैं, किन्तु मेरे जाली दस्तखत उभर कर दिये गये ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें, कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा है । आपके खिलाफ तो किसी ने कुछ कहा नहीं ।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं, माननीय नेता जनसंघ दल, श्री माधव प्रसाद जी की बड़ी कद्र करता हूं, उनका एक ऊंचा व्यक्तित्व है और मैं भी उसी दल का सदस्य रहा हूं । मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं जो उन्होंने इन्दिरा जी का नाम लिया, मुझे उनके नाम से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि प्रिवीपर्स का मामला जो सुप्रीमकोर्ट से गिर गया है उसके लिए जनता उसको कभी बख्सेगी नहीं । तो मैं कह रहा था कि नेता जनसंघ ने फर्माया है कि दल बदलुओं का तांता इधर से शुरू हुआ, इस बारें में मैं आपसे चाहूंगा कि आप नियमावली की उपयुक्त धारा के अनुसार सदन में डिस्कसन करा लें, तो वास्तविकता का पता चल जाएगा कि इसके लिए वाकई में दोषी कौन है । मालूम हो जायगा कि वे व्यक्ति दोषी हैं जिन्होंने दल छोड़ा या उनका दल यानी उनका नेतृत्व दोषी रहा है जिससे विवश होकर कुछ लोगों को दल छोड़ना पड़ा है । मैं कहना चाहता हूं कि दल बदल के लिए नेतृत्व दोषी है जो पार्टी को क्षति पहुंचाता है । जब जूनियर हाई स्कूल फेल लोगों को मंत्री बना दिया जाय और राजा यादवेन्द्रदत्त जैसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, तो यही स्थिति होगी । तो मैं चाहूंगा आप इस पर विवाद करा लें जिससे यह कोढ़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और कोई भी व्यक्ति दल न बदले ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर मैं व्यवस्था नहीं दे सकता हूं और न यह व्यवस्था देने का मुझे अधिकार है, दल न बदला जाए यह यहां का सवाल नहीं है ।

श्री कृष्णस्वरूप द्वारा सदन के बाहर नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब सदन की सिटिंग्स बराबर हो रही हैं और एक उत्तरदायी गवर्नमेंट यहां पर है तो क्या कोई मिनिस्टर एक अहम मसले पर इस सदन के बाहर कह सकता है अथवा नहीं ? मैं आपका ध्यान नेशनल हेराल्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें एक स्थान पर राज्य कृषि मंत्री, श्री वैश्य का एक वक्तव्य छपा है । जिसमें उन्होंने कहा है कि हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को फिर से रिकांसिडर कर रहे हैं । मुझे इस संबंध में यह

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

निवेदन करना है कि पिछल सदन में तत्सम्बन्धी मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह जी ने भी इस प्रकार का एक वक्तव्य जब सदन हो रहा था, अखबारों को दिया था, अपने कार्यालय में बैठकर। उस समय भी मैंने यह प्रश्न उठाया था। यह पार्लियामेंटरी एटीकेट को बुरी तरह से तोड़ा जाना है। मैंने उस समय आपसे प्रार्थना की थी कि इस प्रकार के कार्यों पर प्रतिबन्ध अवश्य लगना चाहिए। मुझे दुःख है कि आज फिर वही अवसर आया जबकि एक जिम्मेदार मंत्री ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है।

मान्यवर, इसका जो परिणाम है, उसकी ओर आपका ध्यान अब आकर्षित करना चाहता हूं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप करीब-करीब बनकर तैयार ही है। वर्ष ७०-७१ का वर्ष चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष है और उसका हमने पिछले बजट में प्राविधान कर दिया है, धनराशि पास कर दी है और उसके हिसाब से कार्य भी शुरू हो गया है। किन्तु यदि इस प्रकार से सरकार में अराजकता आ जाए और वह यह कहे कि प्रारूप में चेंज होने की सम्भावना है तो जिले में जगह-जगह कार्य नहीं हो सकेगा और मार्च ३० तक वह रुपया ज्यों का त्यों पड़ा रह जायगा तो मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि प्लान सचमुच रिकास्ट किया जा रहा है, रिकंसीडर किया जा रहा है तो अधिकृत रूप से माननीय मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में हाउस को कान्फीडेंस में ले कर जल्द से जल्द इसके पहले कि सदन स्थगित हो बताएं कि किन मदों में, किन दृष्टियों से फोर्थ फाइव ईयर प्लान को रिकंसीडर किया जा रहा है? इस बीच में जरूर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस तरह के जिम्मेदार व्यक्ति, जिस समय सदन चल रहा है, अपना वक्तव्य देते हैं, यह कहां तक पार्लियामेंटरी ट्रेडिशन्स के अनुकूल है। यदि नहीं है तो यह भी व्यवस्था चाहता हूं कि इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये आप कौन-सा कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे प्रतिबन्ध पहले लगाना है मेम्बरों पर। जो प्रश्न आप उठाना चाहते हैं एक अखबार का सवाल है, आप मेरे पास लिखकर भेज देते, अनुचित हुआ है तो मैं फैसला दे देता। लेकिन आपने व्यवस्था का प्रश्न उठा कर उसे लाना चाहा। उसमें क्या लिखा है क्या शब्द हैं, मैंने उसको देखा नहीं। तो कृपा करके लिख कर भेजिए। जब मेरी स्वीकृति हो जाय तब अगर चर्चा करना जरूरी हो तो मैं चर्चा करवाऊंगा, निर्णय भी दूंगा। इसका फैसला मैं दे चुका हूं कि अगर नीति का प्रश्न है तो पहले बाहर नहीं कहना चाहिए जब सदन चल रहा हो। मैंने चरणसिंह जी को कह दिया था। यह प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का तो नहीं है लेकिन एटिकेट का है। और यह एटिकेट है कि जब सदन चल रहा हो तो सदन में ही पहिले नीति की घोषणा सरकार द्वारा होना उचित है। उन्होंने इस बात को कबूल भी किया था। इस बारे में किसी मंत्री ने प्रथा का उलंघन किया हो तो मुझको लिख कर भेज देना चाहिये। मैं यही कहूंगा कि क्यों किया फिर जो सम्बन्धित मंत्री स्पष्टीकरण देंगे वह सदन को देंगे। लेकिन एकदम से बात मंत्री जी के बारे में उठा देना, यह चीज अनुचित है। मेरे पास शिकायत भेज दीजिये। नित्यानन्द जी से भी मैंने कहा था कि अगर आप यकायक सदन में उठायेंगे तो यहां शोर होगा। लेकिन उन्होंने उठा दिया। कितना समय बरबाद हुआ। आर्डर पेपर पर जो चीज है उसको लेना चाहिये। अगर आप लिख कर दे देते तो आर्डर पेपर पर मैं उसे रखवा देता, क्योंकि नियम ३१५ (१४) और (१५) में है कि अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं और व्यवस्थाएं। व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं इसमें सदन का समय बचेगा। अगर सात-सात-आठ-आठ सदस्य इकट्ठे खड़े हो जाय, और जोर से बोलने लगें, व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है, और जिसकी आवाज कान में आ जाय और जो आंख से दिखायी दे जाय, उसको कह दूं तो यह शिकायत पांडेय जी करने लगेंगे कि हम को मौका नहीं देते हैं उनको देते हैं। कल नित्यनन्द जी से भी मैंने कहा था कि मेरे कमरे में आयें, उन्होंने कहा कि मैं यह प्रश्न उठाऊंगा

तो मैंने कहा कि अगर उठाएंगे तो हंगामा होगा, जो कुछ आपको कहना है लिख कर दें। यह तरीका सब से अच्छा है। इस प्रकार यह आर्गडियल विधान सभा बन जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना कह कर मैं आगे का कार्यक्रम लेता हूं। आगे का कार्यक्रम है विशेषाधिकार का सवाल।

'तरुण भारत' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

तरुण भारत के खिलाफ कुछ लिखा गया है।

तरुण भारत में जो लिखा है उसे मैंने पढ़ा। इसमें जो ज्यादती की है वह यह है कि इसने संक्षेप में जो उस रोज कहा गया उसको छाप दिया लेकिन जो मैंने फैसला दिया इस बात के लिये कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है बल्कि अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला है। जो पहले के निर्णय में यह बात कही वह इसने नहीं छापा है और बाकी सभी छापा है। नारायणदत्त तिवारी जी की शिकायत थी कि उनकी बात नहीं छपेगी वह भी छाप दी गई तो इससे मालूम होता है कि इनकी नियत यह थी कि जो मैंने निर्णय दिया था कि यह अनुचित है वह बात प्रकाशित न हो। यह प्राग्दर्शन में आ जाता है कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। मैं कभी भी यह पसन्द नहीं करता हूं कि अखबार के ऊपर ज्यादा नियंत्रण हों, चूंकि उनकी भी एक शक्ति है। मैं इस विषय में इतना सुना देना चाहता हूं कि इंगलैण्ड में पार्लियामेंटरी अफेयर्स पर एक कमेटी बैठी थी और उन्होंने जो कंवेंशन आफ प्रिविलेज के बारे में कहा वह यह है :

"A question of privilege tried in the House is one in which the House is judge, jury, prosecuting and defending counsel, warders and the gaol itself in fact, everything but the defendant."

यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में सदन जब जांच करता है तो स्वयं ही जज है, ज्यूरी है, प्रोसीक्यूटर भी है, जेल भी है, केवल सदन उसमें डिफेन्डेन्ट नहीं होता है। संकेत यह था कि पार्लियामेन्ट में अत्याचार होता है और कोर्ट में जैसा निष्पक्ष विचार होता है वह नहीं होता है। जब प्रिविलेज कमेटी में मामला विचारार्थ जावेगा तो वह वकील को नहीं आने देगी और उसमें मुलजिम को डर लगा रहता है कि कौन सी सजा देने वाले हैं और वह डर से बोल भी नहीं सकता है। इस प्रकार की टीका इंगलैण्ड में होने लगी थी। ऐसी स्थिति का ५० साल बाद कन्ट्रोल करने की कोशिश की कि पार्लियामेन्ट के सामने विशेषाधिकार का प्रश्न एक दम न आया करे बल्कि एक और कमेटी बैठे और वह सोच ले कि शिकायत ऐसी महत्व की है कि जिसे प्रिविलेज कमेटी में विचारार्थ भेजा जाय या नहीं। जब यह चीज चल रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह चीज पेपर वाले पसन्द नहीं करते कि पार्लियामेंट के प्रिविलेज आफ डिफाइन विधान द्वारा नहीं करते और किसी वक्त कोई बात पकड़ ली और सजा दे देते हैं। इसलिये मैं ज्यादातर प्रयत्न करता हूं कि अखबारों की कोई शिकायत हो तो बहुत ज्यादा सख्ती न बरती जाय और कोई छोटी-मोटी उनसे गलती हुई और अखबारों ने गलत कोई बात छाप दी तो उसे माफ कर देना चाहिये। लेकिन जहां पर अध्यक्ष का फैसला है वह न छपे और यह कहना कि बाहर वालों के ऊपर यहां आक्षेप नहीं करना चाहिये तो ऐसी चीज जब आती है तो अध्यक्ष ने जो कहा है वह छाप देना चाहिये। अखबार एकदफा गलती कर लें और वह मेरे पास आयें कि इस बार क्षमा कर दीजिये, जो आप कह रहे हैं वह छाप देंगे और वह यह लिखित दें कि सदन से क्षमा चाहते हैं तो यह उचित रास्ता हो सकता है। माननीय नित्यानन्द जी यहां बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं बता दूंगा कि और अखबारों ने भी ऐसा किया है। कितना निकाल देना चाहिये यह मैंने नहीं कहा था, कुछ कम ज्यादा हो गया होगा। लेकिन जो फैसला मैंने दिया वह हरेक अखबार ने निकाला सिवाय तरुण भारत के। यह पहली गलती है। २४ घंटे के अन्दर अगर वह अपनी गलती मान कर लिखित मुझे दे दें तो ठीक है नहीं तो प्राग्दर्शन में जो कार्यवाही होती है उसके लिये मैं कमेटी में भेज दूंगा।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन, विशेषाधिकार की बात चल रही है तो कल आपके सामने ही यहां पर निश्चयपूर्वक दो विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई। पहले तो तब हुई जब मंजूर अहमद ने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ।

श्री अध्यक्ष—

वह लिखित नहीं आया।

श्री उदित नारायण—

इसमें यह है कि आपके सम्मुख हुआ हो। दूसरा यह कि रामसेवक यादव का जो बयान है मंत्री जी ने कहा उसमें चोटों का जिक्र नहीं है। इन्होंने कहा कि रिपोर्ट मंगा कर देख लें। तो क्या आपने उसको मंगाकर देखने का कष्ट किया। अगर श्रीमन, इन्होंने गलत कहा था तो इनके प्रति विशेषाधिकार का प्रश्न हो जायेगा और यदि उन्होंने गलत कहा था तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न हो जायगा। इस तरह श्रीमन, हर सूरत में विशेषाधिकार का प्रश्न उठ गया। मैं समझता था कि श्रीमन, उसको खुद लेंगे क्योंकि आपने कहा था कि आप उसको देखेंगे आपने उसको नहीं लिया तो सदन उसको ले।

श्री अध्यक्ष—

जो बयान था उसकी कापी आप दिखायेंगे? आप उसे दिखा दीजिये।

श्री उदित नारायण—

वह मेरे पास है। मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

This reign of terror was....

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसकी आपको इजाजत नहीं दी। मैं देख लूंगा। वह देने के लिये तैयार हैं।

श्री उदित नारायण—

कल आपको देखना था। कल उन्होंने क्यों नहीं दिया?

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको मंगवा लेता हूं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जो सूचना आपको दी जा रही है मंत्री जी ने जान बूझ कर इस सदन को गुमराह किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको पढ़ने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर मैं आपको विशेषाधिकार के अवहेलना के बारे में बता रहा था।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखित रूप में दीजिये।

दैनिक "आज" के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसके अलावा एक दो और हैं। एक श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा जी का है। वह कहते हैं कि इन्टरटेनमेंट टैक्स को जो डबल करने के बारे में है छापा गया है, वह ठीक नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

मान्यवर, आप पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष—

उप मंत्री श्रीमती इन्द्रमोहिनी ने विधान सभा में उत्तर प्रदेश मनोरंजन विधेयक प्रस्तुत किया। प्राय: सभी सदस्यों ने इस विधेयक को प्रस्तुत किये जाने का समर्थन किया। सिनेमा के पहले और दूसरे दर्जे के टिकटों पर १०० प्रतिशत मनोरंजन कर लगाने के लिये यह विधेयक लाया गया था।

अब इसमें कई पत्र लिखते हैं कि ज्यादातर लोग उसके पक्ष में थे और इस मत के थे और आप समझते हैं कि ज्यादातर हमारे पक्ष के थे। यह चीज इतनी छोटी सी है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उस पर आ नहीं सकता है।

श्री कृष्णचन्द्र—

मान्यवर, आपका फैसला सर आंखों पर होगा। इसमें कौन सी ऐसी बात निहित है? मान्यवर, जिस समय माननीया उप मंत्री जी ने मनोरंजन कर में वृद्धि का संशोधन विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया यह घटना उस समय की है। मान्यवर, मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है वह वाराणसी से प्रकाशित होने वाले 'आज" पत्र के सम्बन्ध में है। पत्र ने जो छापा है वह सत्य और तथ्य से दूर है। उस पत्र ने जो छापा है उस पर मुझ को शिकायत है। उसमें प्रकाशित किया गया है कि उक्त विधेयक का प्राय: सभी सदस्यों ने समर्थन किया। मान्यवर, सत्य और तथ्य यह है कि जिस समय यह विधेयक पेश हुआ विरोधी दल के सभी सदस्यों ने इसका विरोध किया इस आधार पर कि इसका बोझ गरीब आदमियों पर पड़ेगा। ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से जितने सदस्य बोले उनमें से भी कुछ ने इस विधेयक का विरोध किया था। आज तरुण भारत का जिक्र किया गया। यह दूसरी घटना है। समाचार पत्र ऐसे प्रतीत होते हैं वे कि एक दल से सम्बद्ध हो गये है और वे जानबूझ कर इस प्रकार के समाचार छापते हैं। अगर एडीटोरियल में कुछ भी लिखें तो उससे हमें कुछ भी ताल्लुक नहीं है परन्तु विधान सभा के कार्यों की जो रिपोर्टिंग होती है उसका महत्व होता है कि यह सत्य ही प्रकाशित हो। रिपोर्टिंग अब्जेक्टिव होनी चाहिये। उस पर किसी दल के विचारों की छाप नहीं होनी चाहिये। मेरी यह शिकायत है कि वाराणसी से प्रकाशित होने वाले 'आज' ने सदन की कार्यवाही की वास्तविक रिपोर्टिंग नहीं की है और उस समाचार को छापा है इसलिये उसने विशेषाधिकार को भंग किया। इसी कारण मैंने उस रिपोर्ट को श्रीमन् के समक्ष रखा। उस पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि यह बहुत छोटी सी बात है। उनको यह अन्दाजा था कि बहुमत के लोगों ने इसका समर्थन किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र—

प्रोसीडिंग्स आपके सामने हैं। ६० प्रतिशत लोगों ने इसका विरोध किया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रेस वालों का यह अधिकार है कि वह यहां पर बैठें, देखें और सुनें, फिर लिखें। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि वह विधेयक पास भी हो गया। इ सलिये ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिसमें विशेषाधिकार का प्रश्न निहित है। यह तो बहुत छोटी बात है, इसमें किसी के ऊपर हमला नहीं किया गया है। बल्कि यह उनका अन्दाज था और उसी के आधार पर यह बात लिखी गई। इसकी तो स्वतंत्रता उनको होनी चाहिये। यह हो सकता है कि उनका अन्दाज गलत हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठता हो।

श्री इन्द्रलाल द्वारा श्री जगदीशप्रसाद के विरुद्ध समिति के सम्मुख गलत कागजात प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक यह दूसरा पत्र है, उसे मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं—"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ६२ के अन्तर्गत मुझे यह सूचना देनी है कि विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के पंचम प्रतिवेदन की कार्यवाही के प्रकरण पर श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री छज्जूमल, निवासी, कालाढूंगी, जिला नैनीताल द्वारा फर्जी व बोगस कागजात प्रस्तुत किये गये हैं जिसके कारण समिति को गलत सूचनायें प्राप्त हुई। इस प्रकार सदन की समिति को (भ्रमित कर) गुमराह किया गया और श्री जगदीश प्रसाद ने जानबूझ कर सदन को धोखे और भ्रम में डाला और सदन के विशेषाधिकारों का अवमान किया। अतः मेरा निवेदन है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय"।

फिर से जांच के सम्बन्ध में कोई सवाल नहीं है। लेकिन जहां तक फर्जी कागजात पेश किये गये हैं तो मैं समझता हूं कि उस पर जांच करने का फैसला माननीय उपाध्यक्ष जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शायद दे दिया है कि फिर से जांच करा लेंगे। मैंने भी श्री उपाध्यक्ष को इसकी सूचना दे दी है कि एक दफा फिर से दृष्टि डाल लें कि फर्जी कागजात तो नहीं हैं।

विविध विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह सूचना चाहता था कि मैंने १०३ के अन्तर्गत कुछ प्रस्ताव दिये हैं और आपने स्वीकार भी किये हैं, तो आपने उसके लिये कोई तिथि निश्चित की कि नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने शायद उस पर फैसला दे दिया है और कोई डेट भी फिक्स की है। एक तो आपका ६० दिन का था उसको मैंने स्वीकार किया है, एक आश्वासन समिति का सवाल है, और एक शायद उठता ही नहीं। उसके सम्बन्ध में मैं आपको थोड़ी देर बाद, बता दूंगा। आप मिल लीजिये।

१९७०–७१ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी, आप प्रस्ताव कर रहे थे सामान्य विवाद के बारे में, वह कब तक होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय एक बज रहा है। इसलिये १-२ बजे तक सामान्य विवाद हो, २ बजे से जो मुख्य कटौती के प्रस्ताव हैं उन पर बहस होगी डेढ़ घण्टे की—पहले शिक्षा विभाग का लिया जायगा। यह विश्वविद्यालय आर्डीनेन्स के बारे में है जो वापस नहीं हुआ। बाकी आधा घण्टा सामान्य प्रशासन पर।

श्री अध्यक्ष—

यह आप तय कर लीजिये ६ मदों को पहले पेश किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

शिक्षा पर कटौती है। उस पर पहले डेढ़ घंटा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

पहले कैसे लेंगे? आर्डर में लिया जायगा। पहले से क्रमपूर्वक ६ मदें पास होती चली जायं और फिर १० को ले लिया जाय।

विद्युत् मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

आप जरा साफ कर दीजिये। दो बजे तक साधारण डिबेट होगी और दो से साढ़े ३ तक शिक्षा पर बहस होगी और उसके बाद सब एक साथ ले लिये जायंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

शेष पर चार बजे से बिना बहस के मतदान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

४ बजे से मतदान होगा।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बिना डिसकशन के ४ बजे से मतदान होगा। मैं यह समझूं कि दो बजे तक जनरल डिसकशन होगा। दो से साढ़े ३ तक शिक्षा पर बहस होगी और उसके बाद ४ बजे से बिना डिसकशन के सब पर मतदान हो जायगा।

एक सदस्य—

दो बजे शिक्षा पर कटमोशन मूव होगा और साढ़े ३ बजे तक बहस चलेगी।

श्री अध्यक्ष—

साढ़े ३ बजे तक बहस चलेगी और ४ बजे से वोटिंग हो जायगी।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ठीक है। यह तो अपोजीशन का प्रिविलेज है। जो सुझाव उनका होगा वह मान्य होगा।

श्री अध्यक्ष—

श्री नारायणदत्त तिवारी जी से आप क्लीयर कर दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

शिक्षा वाली ग्रान्ट दो बजे पहले ली जायगी।

श्री अध्यक्ष—

यानी ६ को फिलहाल छोड़ दिया जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कम से करना चाहते हैं तो पहले ६ को पास कर दिया जायगा। १० पर यानी शिक्षा पर विश्वविद्यालय अध्यादेश के खिलाफ डेढ़ घंटा बहस होगी।

श्री अध्यक्ष—

६ पहले पास कर लिया जायगा। डिवीजन नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हाँ, यही बात है।

श्री अध्यक्ष—

१० के लिये कटौती पेश होगी और उस पर बहस डेढ़ घंटे चलेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

४ बजे तक बहस चलेगी।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, ४ बजे शेष ग्रान्ट्स ले लेंगे।

सहकारिता उप मंत्री (श्री महीलाल)—

तिवारी जी ने विशेष रूप से शिक्षा पर जोर दिया है। बाकी जितने अनुदान हैं पास कर दिये जायंगे। अगर ऐसा है तो मेरा सुझाव है कि शेष अनुदान जिन पर विवाद नहीं होना है उनको पहले स्वीकार कर लिया जाय और शिक्षा पर मतदान हो जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

मैं समझता हूं कि क्रम से चला जाय। पहले सामान्य विवाद हो जाय। फिर १ से ६ तक पास होता चला जाय। उन पर वोट हो जाय। फिर १० पर बहस हो जाय और १० पर बहस होने के बाद शेष ग्रान्ट्स ले ली जायं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री शांति प्रपन्न शर्मा से) आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ?

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

जरा स्पष्ट नहीं हुआ। तिवारी जी चाहते थे कि २ बजे शिक्षा पर कटौती का प्रस्ताव ले लिया जाय और उस पर डेढ़ घंटा बहस हो जाय और नेता विरोधी दल ने कहा कि क्रम से चला जाय। हमको दोनों में कोई एतराज नहीं लेकिन जरा स्पष्ट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

स्पष्ट यह है कि १ से ६ तक पहले ग्रान्ट्स ले ली जायंगी। १० को उनके पास होने के बाद २ बजे लिया जायगा और वह ४ बजे तक चलेगी और फिर ४ बजे से शेष पर वोटिंग होगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

१ से ६ तक की ग्रान्ट्स पर वोट होगा या नहीं ?

श्री ना० रायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह हमारा अधिकार नहीं है कि मैं यह बोलूं कि किस प्रकार वोटिंग होगी ।

श्री अध्यक्ष—

तो दो बजे तक १ सें ९ तक आईटम्स की वोटिंग होगी । उसके बाद आइटम नं० १० पर डिस्कशन होगा और वह ४ बजे तक चलेगा । बाकी मदों पर ४ बजे वोटिंग शुरू हो जायगी ।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

इसका यह अर्थ हुआ कि दो बजे से ही वोटिंग शुरू हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

हां ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कार्यक्रम सुनाया है, हम लोग पीछे बैठे हैं बिल्कुल उसे सुन नहीं पाये हैं । आप कृपा करके अपनी आवाज तेज करके बोलें ताकि हम लोग भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप सुनिये । यह सजेसन है कि अभी जनरल डिसकशन होगा और १ आइटम से लेकर ९वें आइटम तक वोटिंग दो बजे तक होगी । उसके बाद आइटम संख्या ९ के बाद १०वें नम्बर पर शिक्षा से सम्बन्धित विषय पर बहस होगी । और वह ४ बजे तक चलेगी और ४ बजे उस पर वोटिंग होगी । उसके बाद सभी विषयों पर जो बाकी रह जायेंगे बिना बहस के वोटिंग होगी ।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि सहकारिता और सामान्य प्रसासन पर भी वे बोलना चाहेंगे, तो इसे आप स्पष्ट करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर इशारा करते हुए) क्या आप सहकारिता और सामान्य प्रशासन पर भी बहस करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं, अब नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

केवल शिक्षा पर ही बहस करना चाहते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर इशारा करते हुए) विरोधी दल की तरफ से आप बोलना चाहते हों तो बोलें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे ? ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप ही बोले, यही प्रथा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, हमारे सन्मुख २९, ५५, ५५, ४०० रु० का एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ है । यह इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट है । श्रीमन्, यह अनुपूरक बजट हमारे प्रदेश की वित्तीय पद्धति का सामान्य अंग बन गया है और सामान्यतः सरकार को हर वर्ष अब दो अनुपूरक बजट लाने पड़ते हैं । जिस प्रकार योजनाओं का विस्तार हुआ है उसको देखते हुए यह तो निर्विवाद है कि अनुपूरक बजट लाने ही होंगे और इस नाते जो अनुपूरक बजट लाया गया है उसको सिद्धान्ततः संविधान में भी स्वीकार किया गया है और इस सदन में भी परम्परागत रूप से स्वीकार किया गया है । अतः इसको स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु अपेक्षा यह थी कि अनुपूरक बजट, नई सरकार की जो नीतियां हैं और बड़ी-बड़ी चर्चा उन नीतियों की की जाती है तथा जिसका ढिंढोरा बहुत पीटा जाता है, सभी दशाओं में यह संविद सरकार उनका एक दर्पण होगी किन्तु यदि इस दृष्टि से इस बजट को देखा जाय तो बड़ी निराशा होती है । इस संविद सरकार में उनके कार्यक्रमों की बड़ी चर्चा होती है । जो संविद की पार्टियां हैं उनके भी बड़े-बड़े चुनाव घोषणा पत्र हैं और उसमें बड़े-बड़े वायदे किये गये हैं । किसी भी कार्यक्रम की झांकी जो इन पांच पार्टियों की है या अन्य किसी कार्यक्रम की झांकी इस अनुपूरक अनुदान के अन्दर नहीं मिल पा रही है । मैं यह अपेक्षा करता था कि जिन बातों की चर्चा अभी हाल में हुई है यानी जो प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र हैं—पूर्वी जिले, बुन्देलखंड के जिले और पर्वतीय जिले, जिनके बारे में आल इन्डिया रेडियो पर भी आया और समाचार पत्रों में भी माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान आया कि उनके लिये एक विकास बोर्ड बनाया जा रहा है तथा एक निगम के बनाने की चर्चा थी। जिस पर करोड़ों रुपया व्यय किया जायगा, उसके बारे में इस अनुपूरक बजट में अवश्यक चर्चा होनी चाहिये थी, लेकिन नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्वी जिलों के एम० एल० एज० की मीटिंग बुलायी थी जिसमें उन्होंने जो घोषणा की थी उसका कोई चित्रण, कोई मापदण्ड इस अनुपूरक बजट में मिलना ही चाहिये था । वह नहीं है । इससे स्पष्ट है कि जो प्रचार इस संविद सरकार के जरिये से हो रहा है, वह केवल दिखावा है, केवल भुलावा है । यह जनता को भुलावे में डालना है, सदन को भुलावे में डालना है और स्वयं अपने आपको भुलावे में डालना है क्योंकि यह सरकार स्वयं गतिहीन है और मजबूरी में बनायी गयी है । किसी भी सरकार की बहुत सी मजबूरियां होती हैं । वह जल्दी से काम करना चाहती है लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं कर सकती । लेकिन इस सरकार की मजबूरी है कि यह सरकार मजबूरी में बनी है । इसके पास अपना कोई कार्यक्रम नहीं है, इसका कोई ढंग नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह अनुपूरक बजट रसहीन और रंगहीन है । इसमें दो मुख्य व्यवस्थायें की गयी है ।

इसमें एक तो १० रुपया की मद मांगी गयी फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिये । सरकार कृषि पूर्ति संगठन के माध्यम से १० करोड़ रुपये का खाद बांटना चाहती है ।

(इस समय १ बज कर १० मिनट पर, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए) ।

श्रीमन्, यह सरकार यह भूल जाती है कि इस संबंध में पहले भी गलतियां हुई है । जो पैसा बिना लोगों पर टैक्स लगाये, संस्थागत वित्त के जरिये से प्राप्त हो सकता है, उसके लिये बजट में प्राविधान करना आवश्यक नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है, आप अनुदान संख्या ४७ के पृष्ठ ७३ को देखें—इसमें लिखा हुआ है—"निजी एजेन्सियों द्वारा अपेक्षाकृत कम उर्वरक बांटे जा रहे हैं और यह शंका है कि यदि कृषि पूर्ति संगठन अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध न कर सका तो उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति न हो सकेगी" । दूसरी संस्थाओं के जरिये से जो खाद बांटा जा रहा है वह कम बांटा जा रहा है इसलिये संगठन के द्वारा बांटने का प्रस्ताव है । उसके लिये १० करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । यह प्रश्न पिछली सरकार के सामने भी आया था और उसने भी इस संबंध में कुछ निर्णय लिया था । आज यू० पी० को० फेडरेशन यह कह रहा है कि वह इस हालत में है वह अधिक खाद भी बांट सकता है उसको यह खाद बांटने के लिये अधिकार

दे दिया जाय। उसके पास संगठन मौजूद है। उसके लिये फिर आप यह सरकारी रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं। वह जनता से कर्ज लेकर अथवा बैंक से रुपया लेकर इस काम को कर लेगा। लेकिन आप उसके लिये १० करोड़ रुपया का प्राविधान करने जा रहे हैं, जबकि इस रुपये को आप दूसरे कामों में लगा सकते थे। लेकिन कोआपरेटिव फेडरेशन का यह सुझाव इस सरकार ने नहीं माना।

दूसरा सुझाव यह है कि जो कृषि पूर्ति संगठन है इसको एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को ट्रान्सफर कर दिया जाय। जो हमारा कृषि उद्योग निगम बना है उसको एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन में ट्रांसफर कर दिया जाय। यह आटोनमस बाडी है। वह बैंक से रुपया लेकर अपना काम चलायेगा और राज्य पर उसका अधिभार नहीं पड़ेगा। वह प्रदेश में खाद बांटने का काम बैंक से रुपया लेकर चलायेगा।

श्रीमन्, मैं सुझाव दूंगा कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम रखे जायें कि जो बोझा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेज के जरिये उठाया जा सकता है, दूसरे कारपोरेशन उठा सकते हैं उसको सरकार अपने ऊपर न ले और उसका बोझा बजट के ऊपर न पड़े। हमने अपने यहां जो संस्थायें बनाई हैं वे दूसरी संस्थाओं से ऋण लेकर अपना काम चलायें और सरकार के ऊपर उनका बोझा नहीं पड़ना चाहिये। हमारा प्रदेश आज इंस्टीटयूशनल फाइनेंसेज के मामले में, खर्च करने के मामले में अनेक प्रदेशों से बहुत पिछड़ा हुआ है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र तथा तामिलनाड प्रदेश हैं। इन्होंने अकेले स्टेट बैंक से २०-२० करोड़ रुपया खाद खरीदने के लिये लिया है। आज यदि हमारे कारपोरेशन का काम ठीक हो तो उसको स्टेट बैंक से रुपया मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आपकी हाउसिंग स्कीमों में मदद दे सकता है। हमारे प्रदेश में हाउसिंग फेडरेशन बना हुआ है। उसको इस गुना ऋण लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन से मिल सकता है। आज मकानों की हमारे यहां बहुत कमी है और हाउसिंग बोर्ड के पास रुपया नहीं है। इसको बने हुए ३-४ साल हो गये हैं लेकिन इसका काम अब शुरू हुआ है। यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है कि हम संस्थायें तो कायम कर रहे हैं लेकिन उनको ताकत नहीं दे पाते हैं। उनके लिये हम रुपया बजट से दे रहे हैं जब कि उनको दूसरे इंस्टीट्यूशन्स से मिल सकता है।

श्रीमन्, यह मेरा सुझाव है। इस बारे में कुछ प्रयास जरूर शुरू किये गये हैं लेकिन उनको तीव्र किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त फाइनेन्स डिपार्टमेंट तथा गवर्नमेंट के अन्य विभागों में एक कोआर्डीनेशन होना चाहिये, समन्वय होना चाहिये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से बहुत रुपया मिल सकता है। स्कीम बनाने में कुछ दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से जो आपकी हार्टीकल्चर की योजनायें हैं उनको एग्री-कल्चरल कारपोरेशन, बम्बई से रुपया मिल सकता है। सिर्फ स्कीम आपको बनानी हैं। आपके वित्त विभाग में जो एक सेल है उसको एक विभाग के रूप में काम करना चाहिये और सारे विभागों में जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेज की योजनायें हैं उनका सैंट्रल कोआर्डीनेशन होना चाहिये। आपके जिले में जहां कोई स्कीम बननी है उसके लिये यहां से एक्सपर्ट आदमी जाय और वहां स्कीम बनवाये। इस तरह से आपकी स्कीमें बन सकती है। वह प्रोफार्मा अपने साथ ले जाय। जिले का अधिकारी स्कीम नहीं बना सकता है क्योंकि उसको तजुर्बा नहीं होता है, उसको जानकारी नहीं होती है। होता क्या है? कारस्पान्डेन्स में सालों लग जाते हैं। कभी यह नहीं लिखा, कभी वह नहीं लिखा। इस तरह से बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। स्कीम बनाने वाले एक्सपर्टस को यहां से भेजा जाय और वह स्कीम बनाये तथा उसको चलाने के लिये अन्य संस्थाओं से रुपया लिया जाय तो बजट के ऊपर बहुत बड़ा भार हल्का हो सकता है।

इसी तरह से फमिन रिलीफ के लिये ३ करोड़ रुपया रखा गया है यह सूखा, अकाल तथा अति वर्षा आदि की प्रति वर्ष की घटनायें बन गई हैं। फेमिन रिलीफ के कार्य में भारत सरकार भी बाध्य है कि यदि एक करोड़ रुपय से ऊपर खर्च होता है तो उसका बहुत बड़ा प्रतिशत, ७०-७५

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रतिशत भारत सरकार देती है। तीन करोड़ रुपया इस अनुपूरक बजट में मांगा गया है। इसका मूल बजट में ही प्राविधान किया जाना चाहिये ताकि भारत सरकार से सहायता ली जा सके। बहुत से मामलों में भारत सरकार से सहायता मिल सकती है लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। उनमें से एक उदाहरण फेमिन रेलीफ फंड का भी है। तो अगले वर्ष से उसका ठीक से प्राविधान होना चाहिये। और एक बात सब से बड़ी यह है कि पिछले वर्षों में राजनीतिक गतिविधियों के कारण, अस्थिर शासन के कारण रुपया खर्च होने में बड़ी दिक्कत हुई। १९६७ से अधिक रुपया हम बजट में प्राविधान करते गये हैं लेकिन खर्च उतना नहीं हो पाया। मिसाल के लिये मेरे पास एकाउन्टेन्ट जनरल की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, १९६९ की है। जब संविद सरकार थी १९६७ में तो उस समय यह कहा गया था उसके बजट में कि ५५ लाख रुपये का सरप्लस होगा। लेकिन अन्त में ११ महीने के संविद शासन के बाद जब बजट सामने आया तो जो बचत हुई वह २० करोड़ ७० लाख रुपये की थी। कहां ५५ लाख का सरप्लस एस्टीमेट किया गया और बचत हुई २० करोड़ ७० लाख की। ऐसे ही राजस्व प्राप्तियों में भी २५ करोड़ ज्यादा राजस्व मिला जितना एस्टीमेट किया गया था उससे। ये वास्तविक आंकड़े हैं जो ए० जी० के यहां से मिले हैं। तो कहीं न कहीं हमारी प्रणालियों में दोष है जिसके कारण जो हम बजट में खर्च के लिये प्राविधान करते हैं वर्ष के अन्त में उसे हम खर्च नहीं कर पाते। इसके कारणों पर विचार होना चाहिये। शासन कोई आये विभागीय प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि जितना खर्च रखा गया है वह हो सके। इसके लिये यह आदेश दिये गये थे सरकार द्वारा कि जनवरी, फरवरी और मार्च में जो विभागीय खर्च होते हैं उनको कम से कम किया जाय और हर महीने में बराबर खर्च होता जाय। जो फरवरी, मार्च के महीने में लैप्स हो जाता है या फरवरी और मार्च में ही ज्यादा खर्च होता है उसको रोकना चाहिये और वित्त विभाग और दूसरे विभागों के बीच में एक ऐसा सम्पर्क रहना चाहिये जिससे कि जो खर्चे हैं हर विभाग में उनकी वास्तविकता पर सही नियन्त्रण रहे। मैं इस सम्बन्ध में जो एकाउन्टेंट जनरल की दूसरी रिपोर्ट है अनुपूरक बजट के बारे में उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। इस से यह मालूम होता है कि १९६८-६९ के वर्ष में कुल मिला कर ५३ करोड़ रुपये का प्राविधान था जिसमें से लगभग १८ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया जा सका। जिन अनुदानों के लिये अनुपूरक बजट मांगा गया था उस पर खर्चा मूल अनुदान के बराबर नहीं हुआ ७ अनुदानों में, और चार अनुदानों में साढ़े १६ करोड़ रुपया खर्च नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ ७ पूरक अनुदानों में २४ करोड़ ५५ लाख रुपया ज्यादा खर्च हुआ। इसका अर्थ यह है कि बहुत से विभाग जब अनुपूरक के लिये भी अपना एस्टीमेट बनाते हैं तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं तो वह सही एस्टीमेट सप्लीमेंटरी का भी नहीं भेज पाते। इससे वर्ष के अन्त में यह तो खर्च नहीं होता या जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाता है और इससे वित्तीय असन्तुलन हो जाता है। इस सम्बन्ध में भी हमें प्रयास करना चाहिये ताकि वित्तीय असंतुलन बच सके। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव दूंगा कि जो निर्माण कार्य संबंधी खर्च है उस पर हमें ज्यादा सतर्कता के साथ कार्य करना चाहिये। सड़कों को ही लीजिये। इस वर्ष भी इस अनुपूरक बजट में काफी सड़कों के लिये पैसा मांगा गया है। मूल बजट में भी बहुत रुपया मांगा गया था। चौथी योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य के लिये तो आपने २० करोड़ की मंजूरी कर दी और स्टाफ उसके लिये मुकर्रर नहीं हुआ। रोड रोलर के लिये पैसा मन्जूर नहीं हुआ कि ५७ करोड़ रोलर पी० डब्लू० डी० वाले खरीदेंगे।

इसका एस्टीमेट पी० डब्लू० डी० हो या वित्त विभाग, किसी का भी एस्टीमेट शुरू में ही आना चाहिये कि इतने रोड रोलर की जरूरत है और इतने ओवरसियरों की जरूरत है और इतने अतिरिक्त इंजीनियरों की जरूरत है। नतीजा क्या है कि सड़क बनाने का काम शुरू नहीं होता है, कह दिया जाता है कि स्टाफ नहीं है। सर्वे करने वाले नहीं है। तो फिर कहां से सड़कें बनने वाली हैं। इसका नतीजा यह होता है कि रुपया लैप्स हो जाता है। लोग शिकायत करते हैं कि फलां सड़क मन्जूर हो गई लेकिन वह बनती नहीं है। इसी प्रकार से सिंचाई योजना का भी प्रश्न है। निर्माण कार्यों के लिये यह सब प्रबन्ध पहले से ही हो जाय तो वह काम सही रूप से आगे चलेगा।

पिछले वर्ष सौभाग्य से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ था कि मैं बजट भाषण प्रस्तुत करूं। उसमें इस बात का सिद्धान्त माना गया था कि लैप्स की प्रणाली को रोका जाय। निर्माण कार्यों के लिये कोई भी व्यवस्था हो लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार के सिद्धान्त के प्रश्न पर सरकार का ध्यान रहना और उस सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए उस पर कार्यवाही करनी चाहिये। साथ ही जो हमारे पुराने नियम हैं, मैनुअल हैं वे बहुत पुराने हो गये हैं। पी० डब्लू० डी० का जो मैनुअल है वह बहुत पुराना है। हमें नये मैनुअल बनाने चाहिये और इसको बदलना चाहिये। इस दिशा में दूसरे प्रदेश प्रगति ला रहे हैं। तो उनको देखकर हमें इस ओर बढ़ना चाहिये। वे नियम जहां एक ओर कठोर होने चाहिये जिससे एक पैसा ठीक तरह से खर्च हो, वहां वे इस तरह के भी होने चाहिये जिससे हमारे सारे विकास के कार्य रुक न पायें। यह देखा गया है कि केवल नियम की आड़ में बहुत से काम रुक जाते हैं। तो इन दोनों बातों का समावेश हमारी उन मैनुअल के अन्दर होना चाहिये। चाहे वह हमारी फाइनेंशियल हैंड बुक हो और चाहे वे हमारे दूसरे नियम हों, या मैनुअल हों उन सब पर पुनर्विचार होना चाहिये। जहां तक मेरी सूचना है शायद इस सम्बन्ध में कुछ काम शुरू हुआ भी है लेकिन वह काम तेजी के साथ होना चाहिये जिससे प्रदेश का लाभ हो। नियम बदलने से जो हमारे निर्माण और डेवलपमेंट के कार्य हैं उन पर कार्यवाही जल्दी हो सकेगी और वे नियम आधुनिक हो सकेंगे।

इस अनुपूरक बजट में एक प्रस्ताव यह है कि नान प्लान आइटम के अन्दर कि कुछ पुलिस की बटालियन बढ़ाई जा रही है। योजना के बाहर कुछ तहसीलों को जीपें दी जा रही है और कुछ सामान्य प्रशासन के कार्य किये जा रहे हैं। यह ठीक है कि पुलिस के लिये जो बहुत सी मांगे है जिनकी सिफारिशें पुलिस कमीशन के जरिये से हुई थीं, उनको पूरा किया जाय। शान्ति व्यवस्था के लिये अगर इस तरह से कुछ अधिकार देने हैं तो उसमें सिद्धान्ततः हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा यह सुझाव भी है कि पुलिस और सामान्य प्रशासन को दक्ष बनाने के लिये, गतिशील बनाने के लिये जो दूसरी कार्यवाही है उनके लिये सरकार को क्या करना चाहिये। इस अनुपूरक बजट के पढ़ने से मालूम होता है कि तहसीलों में देने के लिये कुछ जीपें मन्जूर की गई हैं पुलिस के लिये वायरलेस बढ़ाया जा रहा है। कुछ कांस्टेबिल बढ़ाये जा रहे हैं लेकिन यदि पूरी दिशा का उनको ज्ञान नहीं होगा तो जो कदम आगे बढ़ने के लिये उठाये गये हैं उससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिये जो नान प्लान आइटम का खर्चा है, योजना के बाहर का खर्चा है उस खर्च का विभाग सही एस्टीमेट अभी से बना दे तो वह अगले साल के मूल बजट में अभी से आ सकता है। अगर इस प्रकार से होने वाला खर्चा विभाग पहले से ही सही रूप में बता देगा तो उसका एस्टीमेट मूल बजट में आ जायगा। जिसके कारण जो उनको अनुपूरक बजट में देना पड़ता है उनकी मांग होती है उससे वह बच जायगे। इस लिये फालो अप होने वाला खर्चा पहले से मालूम होगा, तो बाद को मांग नहीं करनी पड़ेगी और वह मूल बजट में आ जायगा। आप सब यह जानते है कि हमारा यह प्रयास है कि जितने भी हमारे साधन है वह सब योजनाओं को पूरा करने में लगाये जांय।

वह साधन तीसरी, चौथी और पांचवीं योजनाओं के कामों में लगायें जायं, इस दृष्टि कोण से हमें देखना होगा। हमें नान-प्लान का एक्सपेंडिचर कम करना चाहिये और प्लान एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे फाइनेंशियल प्लान्ड आइटम्स पर अधिक से अधिक हो। मुझे विश्वास है कि इस सरकार का भी यही दृष्टिकोण एक्सपेंडीचर के सम्बन्ध में होगा। इसके साथ आगे के लिये कार्य करने की जो प्रणालियां हैं उनके सम्बन्ध में भी एक बात मैं कहूंगा कि जिस तरह से हमारे टेहरी डेम की योजना है और लिखा गया है कि वहां एक पावर हाउस बनेगा इस के माने यह है कि टेहरी योजना को सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन ने मंजूर कर लिया है लेकिन एक बात लेखा परीक्षा रिपोर्ट में देखने को मिली कि जो ओबरा का बांध था, वहां का पावर हाउस बिना डिजाइन के बनाया गया और बिना किसी योजना के कार्य आरम्भ कर दिया गया। इसके मानें यह हुये कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एकाउन्टेंट जनरल को आपत्ति थी कि बिना डिजाइन के कार्य के पूरा हुये वहां पर काम आरम्भ कर दिया गया। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार को हाइडल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इर्रीगेशन के डिजाइन व सर्वे डिवीजन को मजबूत करना चाहिये और पी० डब्लू० डी० के आगे के कार्यों की योजना आने से पहले ही

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पूर्व हो जाना चाहिये ताकि योजनान्तर्गत रुपया मंजूर होते ही कार्य आरम्भ हो जाय। इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी और उनका समर्थन करेगी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों का मैं कुछ निवेदन के साथ समर्थन करना चाहता हूं। माननीय नारायण दत्त जी ने यह सही ही कहा था कि संविद के जो घोषित कार्यक्रम हैं वे इस अनुपूरक अनुदान में परिलक्षित नहीं हो रहे हैं, मुझे भी यह बात खटकती है। मैं भी आशा करता था कि इन अनुपूरक अनुदानों में संविद सरकार के कुछ घोषित कार्यक्रमों की रूप रेखा हमारे सामने प्रस्तुत होगी लेकिन शासन की मजबूरियों को मैं समझता हूं, हमारे साथी शर्मा जी उधर बैठे हैं उस वक्त भी मैं उन की मजबूरियों को समझता था और उन मजबूरियों पर उनकी ताईद भी करता रहा हूं। अभी इस सरकार को बने थोड़े ही दिन हुये हैं। इस बात को यह सदन जानता है कि बजटिंग का एक पेचीदा काम है और शुरू में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। ऐसा मालूम होता है कि पहली सरकार के समाने की रूपरेखा के आधार पर ही यह बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि वित्त मंत्री जी को और इस सरकार को यदि अधिक समय मिला होता तो संविद के घोषित कार्यक्रमों के अनुरूप इस बजट में धन का प्राविधान किया गया होता। श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि किस प्रकार से फिजूलखर्ची की मदें इस अनुपूरक अनुदान में रखी गयी हैं। यह इस बात का भी प्रमाण है कि पुरानी सरकार के निर्णयों के आधार पर ही यह बजट बनाया गया है। मैं इसके सम्बन्ध में एक उदाहरण आपकी आज्ञा से, प्रस्तुत करना चाहूंगा। श्रीमन्, आप देखें कि अनुदान संख्या २६ में पीपुल्स कालेज, हल्द्वानी (जिला नैनीताल) जो कि एक एच्छिक संस्था है, उसके प्रान्तीयकरण का निर्णय शासन ने किया है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इस कालेज के प्रान्तीयकरण का निर्णय मौजूदा सरकार का नहीं होगा, जाहिर है कि यह पिछली सरकार का ही होगा, जिस सरकार में हमारे माननीय तिवारी जी मंत्री के रूप में थे। हमारे प्रदेश में आज अनेकों प्रसार प्रशिक्षण के केन्द्र बने हुए हैं और उनमें रूपये का अपव्यय हो रहा है क्योंकि कोई समुचित प्रशिक्षण का प्रबन्ध नहीं है। आज बी० डी० ओज० और ए० डी० ओज०, ग्राम सेवक जिनकी १२–१२ साल की सेवायें हो गयी हैं उनको अधिकारी गण २ महीने के प्रशिक्षण लेने हेतु विवश करते हैं। रबी के कार्यक्रम को छोड़ और खरीफ के कार्यक्रम को छोड़ बलात प्रशिक्षण में भेजा जाता है आज बख्शी के ताल और अनेकों प्रशिक्षण प्रसार केन्द्र हैं, लेकिन देखा गया है कि वहां पर प्रशिक्षण देने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में एक और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना फिजूलखर्ची की योजना है। कई बार यहां पर सवाल उठाये गये कि हमारे जो पहाड़ी, पूर्वी जिले या जो बुन्देलखंड के (माननीय शर्मा जी का इलाका है) इलाके हैं, उनका समुचित विकास किया जाय और हमारी सरकार ने उनके विकास का भार भी लिया है क्या ही अच्छा होता यदि ६ लाख का अपव्यय वाले इस मद को काट कर पौड़ी में एक डिग्री कालेज खोल दिया जाता जिसकी विभाग द्वारा संस्तुति भी की गयी है और जो सरकार के विचाराधीन भी है, उससे तो पहाड़ी इलाके के लोगों का सही फायदा होता। पिछली सरकार ने अनुचित तरीके से पौड़ी, जो कि कमिश्नरी का मुख्यालय है और जिसके ३०–४० मील के आसपास कोई उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं उसके स्थान पर कोटद्वार को प्राथमिकता दी गयी है जिसके १२–१६ मील के फासलें पर नजीबाबाद में एक डिग्री कालेज भी है। यह हमारे पहाड़ी इलाके का महत्व का स्थान है। पिछली सरकार ने यह अन्याय किया था पौड़ी में कालेज न खोलने के निर्णय द्वारा। मैं चाहूंगा कि अगर अब भी संभव हो सके तो वर्तमान सरकार इस पीपुल्स कालेज के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र की योजना को रोके और पौड़ी में एक कालेज खोल दिया जाय जो उसे कम खर्च में स्थापति किया भी जा सकता है वहां के लोगों लाभ होगा और पहाड़ के लोगों में जो उदासी और निराशा की भावना व्याप्त है, वह भी दूर होगी और वहां के निवासी भी यह समझने लगें कि वे भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और शासन को उनका ध्यान है।

अब आप अनुदान संख्या ८ देखने का कष्ट करें। इसमें २० विधान सभा रक्षकों के अस्थायी पदों का स्थायीकरण का प्रश्न सन्निहित है। यहां पर छोटे कर्मचारी की वेतन वृद्धि का प्रायः सवाल उठाया जाता है लेकिन इन रक्षकों का वेतनक्रम जो निर्धारित किया गया है वह ६०–१–८० है। इस मंहगाई के जमाने में दिन भर यहां पर वर्दी कस कर अपने सचिवालय में जो लोग खड़े रहते हैं, उनको केवल ६० रुपये देंगे, और थोड़ी मंहगाई देंगे। उनके भरण पोषण के लिये क्या यह मुनासिब नहीं था कि जो नये पदों का सृजन किया जा रहा है उनका वेतन मान उचित निश्चित किया जाता जो इस आदरणीय सदन में प्रहरी का काम भी करते हैं, उनको समुचित वेतन देना आवश्यक है, क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये था।

मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें और रक्षकों के वेतन पर फिर से विचार करें। विधान सभा सचिवालय में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो बारह-बारह साल से नौकरी करते हैं लेकिन आज भी अस्थायी हैं। एक महीने की नोटिस पर उनकी नौकरी जा सकती है। क्या यह उचित है? जहां हम रोज इस सदन में विधान मंडल के खर्चे में बढ़ोत्तरी करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करते हैं, क्या यह उचित नहीं है कि हमारे साथ कार्य में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनके वेतन क्रम को हम सुधारें। उनके लिये कोई सर्विस रूल्स बनावें। उनकी नौकरी के लिये उनकी सुविधा के लिये कोई नियम बनावें। हम समझते हैं कि यह लज्जा की बात है कि जो इस सदन की सेवा में लगे हुए कर्मचारी हैं जिन्हें हम उत्तर प्रदेश की सरकार का कर्मचारी नहीं मानते हैं, उनकी सेवा-सुविधा का हम ध्यान न रखें। मैं चाहूंगा कि आप इस सरकार के जमाने में ऐसे उपाय करें कि जितने अस्थायी कर्मचारी विधान सभा सचिवालय में काम करते हैं जिनकी सेवा तीन साल से अधिक हो गई है उन सारे कर्मचारियों को आप तुरन्त स्थायी कर दें। उनकी नौकरी पक्की हो जाय ताकि वे निश्चिन्तता पूर्वक आपकी सेवा ईमानदारी से कर सकें। साथ ही उनके वेतन क्रम को भी फिर से सुधारे ताकि उनको अच्छा वेतन मिल सके। अनुदान संख्या १८ में जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेन्टर के लिये एक लाख रूपये का प्राविधान है। जो कंगाल प्रदेश है, जो प्रदेश स्वयं देहली से भीख मांगता है वही प्रदेश देहली में जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेन्टर के लिये एक लाख रुपया दे रहा है। जब लखनऊ में, आपके प्रदेश के नगरों में आपके नौजवानों के लिये कोई व्यवस्था उनके खेलने कूदने की नहीं है, उनकी विकास का कोई प्रबन्ध नहीं है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि इस एक लाख रुपये का दो तीन जिलों के हेडक्वार्टरों में आप कोई ऐसा सेन्टर कायम करते, जिससे यूथ सेन्टर के माध्यम से हमारे प्रदेश के जो पिछड़े इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां के नौजवान उन केन्द्रों से लाभान्वित होते और प्रदेश की सेवा के लिये अपने को योग्य बनाते। श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अनुदान संख्या १० को देखें। उसमें ३६,१०० रु० का प्राविधान है। वह खर्च कर दिया गया है। वह स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया गया है। जो प्रतिनिधि-मंडल जापान, थाई लैन्ड और हांगकांग गया हुआ था जिसमें हमारे दो भतपूर्व मंत्री, दो सचिव महोदय और बड़े किसान लोग गये थे, उनके जाने में जो व्यय हुआ उसके प्राविधान के लिये यह मद रखा गया है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जापान की यह विशेषता है कि वहां छोटी छोटी जोत के किसान हैं वे अपनी उसी छोटी जोत से ही स्वावलम्बी बने हुए हैं और उसी के माध्यम से वे अपने गृह उद्योग चलाते हैं। क्या यह उचित नहीं था कि ऐसे प्रतिनिधि मंडल में ऐसे किसान जाते जो कम जोत वाले होते। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोग प्रतिनिधि मंडल में गये थे वे सब पढ़े किसान गये थे। जो बड़े बड़े फार्मर थे, बड़े अफसर थे जिनको न समझने का और न सोचने का मौका मिला होगा या जो दो चार साल में रिटायर हो जायेंगे। ऐसे सड़ियल लोगों को भेज कर प्रदेश की गाढ़ी कमाई का रुपया आप क्यों अपव्यय कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि जो गलत काम हुआ उसका दंड मिल गया। एक हमारे साथी बड़े अजीजी मित्र हैं वे मंत्रि पद से च्युत कर दिये गये जिसमें एक कारण जापान की यात्री की अनियमितता थी, श्रीमन्, जिला बलिया में बलिया बेरिया रीवलगंज मार्ग पर माझी रेलवे स्टेशन के पास घाघरा नदी पर एक पीपे के पुल के निर्माण की जो व्यवस्था इस बजट में की

[श्री मैनेजर सिंह]

गयी है उसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस पूर्वी क्षेत्र में इसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। इससे वहां के रहने वालों को बड़ी सुविधा होगी। कृषि की दृष्टि से भी यह पुल अत्यन्त आवश्यक है। इस पुल के बन जाने से आप चाहें तो कम समय में आसाम पहुंच सकते हैं। यह पुल दूसरी रक्षा पंक्ति का काम भी करेगा। अतः इस कार्य क लिये मैं इस सरकार को बधाई देता हूं।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, २९ करोड़ के जो यह अनुपूरक अनुदान मांग गये हैं मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब प्रदेश में कोई कानून और कोई व्यवस्था ही न रह जाय तो फिर जो भी पैसा खर्च किया जायगा वह व्यर्थ ही जायगा। मैंने गाजियाबाद के बारे में कई बार यह शिकायत की कि वहां पर काली कार बड़ी लूटपाट मचाये हुये हैं, वह बच्चों को उठा कर ले जाती है, उसने बड़ा आतंक मचा रखा है। बीसियों धमकी भरे पत्र उसने दिये हैं और उसमें हजारों ल ख़ों रुपये की मांग की गयी है और कहा गया है कि अगर वे इतना-इतना धन नहीं देंगे तो उनके परिवार को ही नष्ट कर दिया जायेगा। इस सब के बावजूद भी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। ऐसी हालत में इन अनुदानों को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। अभी फरवरी में पंजाब नेशनल बैंक का साढ़े १८ हजार रुपया जाली खाता खोल कर निकाल लिया गया। यह भी साबित हो गया कि उसमें मैनेजर और सुपरवाइजर का हाथ था। मगर उस केस में भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी। उसके ३ महीने बाद फिर ५२०० रुपया जाली तरीके से निकाला गया। तो जहां कोई कानून ही न रह जाय, गैर कानूनी काम इस हद तक बढ़ जायें, वहां एक भी पैसा स्वीकृत करना न जनता के हित में है और न प्रदेश के ही हित में है।

श्रीमन्, एक ओर सरकार कहती है उत्पादन बढ़ाओ। दूसरी ओर किसान के लिये न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न उसको समय से खाद आदि ही मिल पाता है। फिर कैसे पैदावार बढ़ेगी। कहा जाता है कि प्रदेश के मजदूरों के हित में बहुत कुछ किया जा रहा है, मगर गाजियाबाद में मजदूरों के आवास तक की व्यवस्था नहीं है। वहां पर केवल ७५० क्वार्टर हैं जो शून्य के बराबर है। मिलों में ३०-३० दुर्घटनायें रोज होती हैं, मगर उनके इलाज के लिये अस्पताल तक नहीं है। मास्टर प्लान आदि सब मेरठ के लिये बन रहे हैं। वहां तो यहां तक हुआ कि एक जाति के लोगों की सारी जमीनें छोड़ दी गयीं। और जहां दूसरी जाति के किसानों की जमीन थी, सारी की सारी एक्वायर कर ली गयी है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री, और सन् ६५-६६ के तत्कालीन स्वशासन मंत्री ने अपनी जाति के किसानों की जमीनें छोड़ दीं। यूनिवर्सिटी के लिये जो जमीन एक्वायर की गयी है उसका मुआवजा तो ८ रुपये गज मिला और वहीं पर दूसरी जाति के किसानों की जो जमीन थी उसका मुआवजा ८० पैसे गज मिला है। यह कहां का न्याय है कि जाट की जमीन के लिये तो उसे ८ रुपये गज मुआवजा मिले और दूसरी जाति के किसानों के लिये ८० पैसे गज मुआविजा तय हो। जिस सरकार में इतना पक्षपात होता हो, इस तरह का भाई भतीजावाद और बिरादरीवाद हो, उस सरकार के अनुदान को हम कैसे मंजूर करें। गरीबों के मकान एक्वायर कर लिये गये, मेरठ में हरिजनों की आबादी एक्वायर कर ली गयी है और उसे गिराने की तैयारी हो रही है लेकिन दूसरी तरफ जो बंजर जमीन है, उसको इसलिये छोड़ा जा रहा है कि वे उनकी जाति के बड़े बड़े आफिसरों के हैं। जो महा उपजाऊ जमीन है जिसकी शानी हिन्दुस्तान में दूसरी जमीन नहीं है, उसको एक्वायर किया जा रहा है और उसके लिये भी ८० पैसे गज मुआविजा तय है। तो जो सरकार इतना पक्षपातपूर्ण कार्य कर रही हो, और जिस सरकार के जमाने में कोई व्यवस्था न रह गयी हो, उसके अनुदान को हम किस तरह से मंजूर करें। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ही केवल यह बात नहीं है, पुलिस विभाग को ले लीजिये कोआपरेटिव विभाग को ले लीजिये या किसी दूसरे विभाग को ले लीजिये, हर जगह यही स्थिति है। मैंने अनेकों बार जिलाधीश से शिकायत की, ए० आर० से शिकायत की, और घोड़ा

खोसाल के संचालक मंडल के खिलाफ भी शिकायत की लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ए० आर० वहां से १८ मार्च को चार्ज दे कर चला गया और २२ मार्च को उसने किसानों के खिलाफ डिग्री दे दी। चार्ज देने के बाद डिग्री देने की बात किस कानून के अन्तर्गत आता है, यह सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि करीब करीब ३ लाख नाम जाली हैं, कागज पर लिखा हुआ है, और संचालक मंडल सिर्फ अपने हित में उसका प्रयोग करता है, उसका इस्तेमाल करता है और उसकी जांच तक नहीं होती है। मसोला, खंगोडा और डाकला में लाखों रुपये का गबन है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग तो इस मामले में पुलिस विभाग या दूसरे विभागों को छोड़ कर उन सब से आगे निकल गया। जो किसान या भूमिहीन मजदूर एक बार भी १०० रुपये कर्जा ले लेता है, सारी जिन्दगी उस पर से वह कर्जा उतरता नहीं है बल्कि वह बराबर बढ़ता ही जाता है। इस तरह के जाली नामों में किसका सहारा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। श्री बनारसी दास, श्रद्धा जी, और वित्त मंत्री जी सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा करोड़ों रुपये दिये गये हैं जो काफी हजम भी हो गये हैं। जिस सरकार के जमाने में इतना जाली काम होता हो, गरीब किसान मजदूरों की कोई सुनवाई न होती हो, उस सरकार के लिये हम कैसे २९ करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर करें। इस सरकार के जो घटक संयोपा, जनसंघ और सिन्डीकेट कांग्रेसवाले हैं, उन्होंने पहले बराबर अध्यादेश को वापस लेने की बात कही लेकिन जब विद्यार्थियों सम्बन्धी अध्यादेश को वापस लेने की बात होती है तो उस सम्बन्ध में सारे घटक चुप हैं और जब उनके लिये कोई कुछ कहता भी है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी हंसी उड़ायी जाती है। उनके दल के सदस्यों की जबान को जैसे काठ मार गया है, लकवा मार गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस सरकार के जमाने में इतनी अनियमितता होती हो और जो केवल अपने दल की प्रतिष्ठा को ही बनाये रखना चाहती हो, और सिवा इसके दूसरा काम न हो, उस सरकार के लिये २९ करोड़ के अनुदान को मंजूर करने के प्रस्ताव का हम घोर विरोध करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान की मांग का विरोध करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र––

मान्यवर, यह अनुपूरक अनुदान लगभग ३० करोड़ रुपये का है। सिद्धान्ततः सरकार को सप्लीमेन्टरी बजट लाने का अधिकार है और लाया करती है और इसलिए यह पास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक मौलिक प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष हमने लगभग ३०० करोड़ रुपये का बजट पास किया है और इस बार यह सप्लीमेंटरी बजट ३० करोड़ रुपये का आ गया। मान्यवर, इस सदन में हजारों रुपये के व्यय के सम्बन्ध में अत्यन्त तीव्र वाद विवाद होता है किन्तु यह खेद की बात है कि ३० करोड़ रुपये के सप्लीमेंटरी बजट को केवल २ घंटे या ३ घंटे के अल्पकाल में पारित करा लिया जायगा। इस अनुपूरक बजट को लाने के दो कारण बताये गये हैं। एक तो यह कि ऐसी मदें जिन पर आकस्मिक व्यय करना पड़ा है, जिसकी सरकार पहले से कल्पना नहीं कर सकती थी। दूसरा कारण यह है कि कुछ नई मदों पर व्यय अनिवार्य हो गया था। यदि केवल आकस्मिक व्यय का ही प्रश्न होता और पुरानी मदों पर कुछ अधिक खर्च करने की बात होती, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता न होती, लेकिन नई मदों के लिये भी रुपया मांगा जा रहा है। और उनको देखा तो मुझे दुखः हुआ। मान्यवर, इस सरकार ने आते ही एक खास दिशा में सोचने का क्रम किया और उन्होंने कहा कि जितने पिछड़े इलाके हैं, निर्धन इलाके हैं, उपेक्षित इलाके हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जायगा और इसी हेतु पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री ने इसी प्रकार के उपेक्षित क्षेत्र की तीन मीटिंगें लखनऊ के कौंसिल हाउस में की हैं। तो मैंने अपेक्षा की थी कि सम्भवतः माननीय मुख्य मंत्री जी की जो चिंता है, संविद सरकार का जो इरादा है उपेक्षित क्षेत्रों के बारे में, उसकी परछाई इस बजट में भी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे अत्यन्त खेद और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसे देखकर मुझे अत्यन्त निराश इस विषयमें होना पड़ा है।

आज तक बुन्देलखण्ड में, कुल प्रदेश के व्यय का, केवल ५ प्रतिशत व्यय पिछली तीन योजनाओं में हुआ है। जबकि उसका क्षेत्रफल इस पूरे प्रदेश का दसवां भाग है। माननीय, बिजली में वहां पर व्यय ढाई प्रतिशत है, व्यवसाय और उद्योग में तो अत्यन्त हीन अवस्था है, यानी केवल एक प्रतिशत व्यय हुआ है। बुन्देलखंड से ज्यादा पिछड़ा प्रदेश अन्य कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है, जिसे सरकार

[श्री कृष्ण चन्द्र]

जानती है। उसका दावा है कि उसे उसकी चिंता है, इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं....

एक सदस्य—

लेकिन आबादी कितनी है ?

श्री कृष्णचन्द्र —

सिंचाई की व्यवस्था आबादी के हिसाब से नहीं हुआ करती, क्षेत्रफल के हिसाब से होती है। यह उल्टी गणित आपको किस गणितज्ञ ने सिखा दिया ?

एक सदस्य—

दोनों एक ही जगह पढ़े हुए हैं।

श्री कृष्णचन्द्र—

लेकिन मैं पास हो गया हूं और वह फेल हो गये हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता था कि जब उपेक्षित क्षेत्रों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार दावा करती है कि उसका कल्याण किया जायगा तो हमारी आशाएं जागृत हो जाती हैं। लेकिन मान्यवर, जब बजट को देखता हूं तो शून्य है। झांसी जिले के लिए एक प्राविधान किया गया है डी० आई० जी० के कार्यालय के व्यवस्था के लिए। हमारी वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, समाजवाद की कल्पना है, विकास और निर्माण की कल्पना है, किन्तु उसके संदर्भ में बुंदेलखंड को नहीं देखा जा रहा है। पुलिस स्टेट के दृष्टिकोण से ही बुंदेलखंड को देखा जा रहा है। डी० आई ०जी० साहब के अमले के खर्च के लिए व्यवस्था अवश्य है। मुझे निराशा हुई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं समझता था कि बिजली के उत्पादन का कोई प्राविधान होगा। बुंदेलखंड में माताटीला बांध है वह हमारे जो आज नेता विरोधी दल हैं वह बना गये। उस माता-टीला से बिजली कानपुर तक जाती है और दूसरे जिलों में जाती है। लेकिन बुन्देलखंड के क्षेत्र में वह बिजली नहीं है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

इसके उत्तरदायी भूत पूर्व बिजली मंत्री हैं या कोई और है ?

श्री कृष्णचन्द्र—

मैं कल्पना लोक में नहीं रहता। इसके उत्तरदायी वह हैं जो सामने बैठे हैं। जो चले गये उनसे क्या शिकवा शिकायत करूंगा। इसी प्रकार से सड़कों का, सार्वजनिक निर्माण विभाग का हाल है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

जो अच्छा काम करते हैं उनके नेता करते हैं, जो बुरा काम करते हैं वह इधर ठोंक देते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र—

आप मुझे टोक रहे हैं यह बुरा काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

समय नहीं है। टोकाटाकी बन्द हो।

श्री कृष्णचन्द्र—

हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष गया। हमने रुपया भी मंजूर किया है। लेकिन आज संविद सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इसको रिकास्ट, रिकंसीडर करेंगे। इससे एक अराजकता पैदा हो गयी है। उसकी वजह से जो रुपया प्रोवाइडेड है वह भी खर्च नहीं किया जा रहा है। अधिकारी समझते हैं कि अगर रिकंसीडर और रिकास्ट होना है तो रुपया क्यों खर्च करें। मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र रिकंसीडर करके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सदन के सामने रखें। अगर इसको नहीं कर सकते तो इस तरह की बातें करना छोड़ दें। इन शब्दों के साथ मैं इस सम्लीमेंटरी बजट का विरोध करता हूं।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं इसके पूर्व कि मैं उस पर कुछ संक्षेप में कहूं, माननीय सदस्य गाजियाबाद ने दो सवाल मेरे साथियों का नाम लेकर और मेरा नाम लेकर कुछ आक्षेप किये हैं, उनके आक्षेप इतने हवा में हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे ख्याल से उन दोस्तों का जो नाम लिया गया है, उनको भी कोई जानकारी नहीं है। वैसे इस सदन की परम्परा के अनुसार ही हो यदि किन्ही के नाम लेकर आक्षेप लगाया जाय तो उसकी पुष्टि हो जानी चाहिए।

मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने इस तरीके से जैसे आम सभा में आरोप किये जाते हैं किये हैं श्रीमन्, वह निराधार हैं। मैंने आज बजट पर माननीय सदस्यों को सुना, क्योंकि इसके लिये निर्धारित समय समाप्त होने वाला है, मुझे विस्तार सेकहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ है कि जिस तरीके से बजट के समय सामान्य चर्चा होती है उसी रूप में अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई। माननीय सदस्यों को भलीभांति ज्ञात है और मेरे सम्मानित सदस्य तिवारी जी भलीभांति जानते हैं कि अनुपूरक बजट एक विशेष परिस्थित में आता है। या तो जिस मद में कुछ रुपया रक्खा गया है उसमें कम धन हो या कोई आकस्मिक तरीके से खर्चा करना पड़ता हो। उसको अनुपूरक बजट द्वारा किया जाता है और श्रीमन् इस वजह से एक प्रणाली रक्खी गई है कि वैसे तो कोई भी पैसा बिला इस सदन की स्वीकृति के खर्च नहीं हो सकता है लेकिन ऐसी आकस्मिक कठिनाइयों को देखकर और निरन्तर आवश्यकताओं को देख कर एक आकस्मिक निधि रक्खी जाती है जिसमें कि शासन को यह अख्तियार होता है कि वह खर्च कर ले। माननीय मैनेजर सिंह जी ने यहां एक शंका उपस्थित की थी कि संभवत: जो बहुत सी मदें रक्खी गई हैं वह इससे पूर्व जो सरकार थी और मुझ से पूर्व जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा की गई थीं। उनकी शंका सही है क्योंकि जो आकस्मिक निधि की सीमा थी जब मैं आया तो सुनने को मिला कि वह समाप्त होने वाली है, बहुत थोड़ी रह गई है। मुझे इस बात में कोई एतराज नहीं है क्योंकि जो भी कोई काम करेगा और जिसका भी उत्तरदायित्व होगा वह उस समय आवश्यकताओं को देखते हुए अवश्य निर्णय लेगा और खर्चा भी करना पड़ेगा और उसका जो कोई भी आगे आने वाले है उत्तरदायित्व लेगा और उसको उसी रूप में लेना पड़ेगा, इसलिये मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्रीमन्, माननीय सदस्य तिवारी जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं। उन्होंने अपने अनुभव से या जो समान्य रूप में अनुभव होता है उससे कुछ चर्चा की है, उसके उपचार के सम्बन्ध में मैं सहमत हूं। उनके बाद में भी जो सुझाव आयेंगे उनका मैं स्वागत करता हूं और जो दोष हम महसूस करते हैं उनका कुछ उपाय निकाला जाना चाहिये। रुपया लैप्स हो जाता है और पुन: प्रक्रिया करनी पड़ती है। बहुत सा रुपया मार्च के महीने में व्यय करते हैं वह नहीं होना चाहिये। किसी तरीके से उसका उपचार निकलना चाहिये कि व्यय ठीक तरीके से होता जाय। इस बात की भी चर्चा की गई है कि जो अनुपूरक अनुदान उपस्थित किये गये हैं उसमें बहुत बड़ी निधि खाद और फर्टिलायजर्स के लिये है। यह सुझाव अच्छा है कि हमारी जो संस्थायें बन गई है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश प्रकाश]

उन संस्थाओं के द्वारा पूंजी कहीं से उपलब्ध की जा सके तो ठीक है । इनको बनाने की मंशा भी यही है । इस कारण जब भी इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि वह संस्थायें जो स्वतः इस काम को कर सकती हैं और कहीं से संस्थाओं को पूंजी मिल सकती है तो वह लें किन्तु श्रीमन् यह भी सही है कि इन संस्थाओं को आवश्यकता के अनुसार कभी कभी पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाती है । जैसा कि यह फर्टीलाइजर का मामला है । एक लक्ष्य बनाया गया है कि इस साल में इतना फर्टीलाइजर वितरित किया जाय । वितरित किये जाते हैं यू० पी० कोआपरेटिव फैडरेशन के द्वारा, एग्रो इंडिस्ट्रियल कारपोरेशन के द्वारा और जो संस्थाएं कृषि क्षेत्र में बनी हैं उनके द्वारा और कुछ व्यक्तिगत के द्वारा । जब यह देखा कि इन सब के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है और वह धन उपलब्ध नहीं कर सकते हैं तो विकल्प यह था कि या तो पूरा उत्तरदायित्व उनके ऊपर छोड़ देते या फिर यह कि जो धन की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था की जाय । श्रीमन्, यह उचित समझा गया कि विकास का कार्य रुके नहीं और लक्ष्य बनाये गये हैं उनकी पूर्ति हो । इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि रुपया देना भी पड़े तो उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिये और इन संस्थाओं को, अगर ये कहीं से पूंजीगत रुपया उपलब्ध कर सकती हों तो उस बात में उपलब्ध करने की चेष्टा करनी चाहिये । जो सुझाव आये हैं उनका स्वागत है और जिन माननीय सदस्यों को सुझाव देने का अवसर नहीं मिला तो उनसे भी स्वागत है जिससे कि इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति के विकास में हम सहयोग दे सकें । मेरे सामने बैठे हुए मेरे मित्र श्री कृष्णचन्द्र जी ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में कुछ निकला नहीं और उन्हें कुछ इस बात की भी शंका हुई कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो दो तीन पिछड़े क्षेत्रों की चर्चा की है और जो विचार व्यक्त किये हैं वे केवल विचार तक सीमित थे । मैं अपने मित्र को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई कार्य जो इस सदन में किया जाता है या माननीय सदस्यों के द्वारा कराया जाता है या माननीय सदस्यों के विचार सुनने की चेष्टा की जाती है वह बेकार हवा के लिए नहीं होता । कितना कर सकते हैं वह एक बात दूसरी है । लेकिन उनको किसी भ्रम में डालनेके लिये या ढोल पीटने के लिए किया जाता हो तो श्रीमन् न तो मुख्य मंत्री जी की यह चेष्टा हो सकती है, उनका यह स्वभाव ही नहीं है, और न सरकार की ही यह चेष्टा हो सकती है । मैं एक सार्वजनिक कर्त्ता के नाते, वित्त मंत्री के नाते नहीं, इस बात की जानकारी रखता हूं कि बुन्देलखंड जो एक पिछड़ा इलाका है उसको विकसित होने की आवश्यकता है । और मैं इस बात से भी सहमत हूं, जैसा कि उन्होंने कहा, कि केवल आबादी के आधार पर चीजों को नहीं देखा जा सकता है । अगर हमें विकास करना है तो वहां की भौगोलिक स्थिति पोटेन्शियलिटी को भी देखना होगा । माननीय सदस्य को स्वयं इस बात की जानकारी होगी कि जब कभी मुझे उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का सदस्य रहकर कार्य करने का मौका मिला तब इस बात की चेष्टा की कि उन इलाकों की प्रगति हो । जैसी मेरी जानकारी है, तिवारी जी की अच्छी जानकारी होगी कि करीब १ करोड़ रुपया बजट में उपलब्ध है जिसे इस तरह के पिछड़े इलाकों के लिये खर्च करें । दूसरे जो इस अनुदान में है वह फ्लड के लिए है । अगर कहीं बाढ़ आ गयी तो वह आकस्मिक चीज है । सरकार का उत्तरदायित्व है, और माननीय सदस्य भी चाहेंगे, कि अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई दैवी आपत्ति आती है तो सरकार सचेत रहे । सरकार अपने काम करें इसको माननीय सदस्य भी चाहेंगे और उसके लिये अनुपूरक अनुदान आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है । मुझे ब्योरे में जाने की समय नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री कैलाश प्रकाश---

इस लिये जो अनुपूरक अनुदान आपके सामने उपस्थित है । कुछ सदस्यों ने यह कहा कि इस सरकार के द्वारा या उस सरकार के द्वारा कुछ बातें की गई । मैं आपसे अनुरोध करता हूं

कि आपको इसका कोई भ्रम न हो । यहां पर सरकारें भी इतनी जल्दी बदलती हैं परन्तु जो कार्य सरकार करती चली आ रही है उसको करना सरकार का उत्तरदायित्व है, परन्तु फिर भी जो सदस्य इस बात को विशिष्ट रूप में कहना चाहते हैं तो उनको विशिष्ट रूप में ही इसको अंकित और इंगित करना चाहिये । केवल यह कहना कि इस बात को सरकार ऐसे करती है तो उसके लिये सरकार २९ करोड़ रुपया कैसे दे सकती है । माननीय सदस्य स्वयं इस बात से सहमत होंगे । इन शब्दों के साथ अनुपूरक मांगें उपस्थित की जायेंगी और मैं आशा करता हूं कि उनका समर्थन हमको मिलेगा ।

श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

जो ७०–७१ का बजट पास हो चुका है और जो योजनाएं पास हो चुकी हैं वे अभी तक जिलों में नहीं गई हैं । अब वह रुपया किस मद में खर्च किया जायगा मैं इसको जानना चाहता हूं ।

श्री कैलाश प्रकाश—

मान्यवर, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है । अगर मेरे माननीय सदस्य इस बात को मेरे सामने लायेंगे तो मैं उसको देखने की चेष्टा करूंगा और जो रुपया स्वीकृत हो चुका है और उसको खर्च होना है तो उसमें देर नहीं लगानी चाहिये । इसको मैं देखूंगा ।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्वीकृत धन पड़ा है । वहां पर बाढ़ भी आई और सूखा भी पड़ता है । रुपया मंजूर होकर पड़ा है और उस पर कार्य नहीं आरम्भ करवाया गया है ।

१९७०–७१ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–

अनुदान संख्या २—भू-राजस्व

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीप नारायण मणि)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २–भू-राजस्व के अन्तर्गत ५६,०३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २–भू-राजस्व के अन्तर्गत ५६,०३,१०० रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी

आबकारी मंत्री (श्री हिम्मत सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ६०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४—बिक्री कर

वित्त उपमंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर के अन्तर्गत ८३,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर के अन्तर्गत ८३,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल

विद्युत् उप मंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहिनी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ३५,५१,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ३५,५१,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन

न्याय राज्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २,५६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २,५६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५—पुलिस

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत ५३,६७,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत ५३,६७,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्रीमती कुदसिया बेगम)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत ९५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत ९५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत १,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

*श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—यह शिकायत करना कि संगठन कांग्रेस, जनसंघ एवं संसोपा द्वारा विरोध के बावजूद विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, १९७० वापस नहीं हुआ ।

मान्यवर, शिक्षा मंत्री ने जो अनुपूरक अनुदान में धनराशि मांगी है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, उसका मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा काला कानून लाया गया जिसका विरोध उधर की बैठने वाली अधिकांश पार्टीज ने किया था । इस सम्बन्ध में एक बार १९५३ में अध्यादेश जारी हुआ था जिस पर सारे सूबे के अन्दर विद्यार्थियों का आन्दोलन हुआ और उस आन्दोलन में विषम घटनायें भी घटीं और एक विद्यार्थी की जान भी उसमें गयी । उसके बाद सरकार को कुछ सबक मिला और विद्यार्थियों को जो हक हासिल था उसको फिर १९५३ में उन्होंने प्राप्त किया । अब जब पिछली बार सरकार बनी भारतीय क्रान्ति दल और कांग्रेस (आर) की तो उस सरकार के द्वारा एक अध्यादेश पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये निकाला गया । जिस समय यह अध्यादेश जारी किया गया, जिस की कोई आवश्यकता नहीं थी, उस समय विधान सभा की बैठक नहीं थी । उस वक्त कांग्रेस (संगठन), जनसंघ और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य प्रवक्ताओं ने जिनमें कृष्णानन्द राय जैसे लोग सम्मिलित थे, इन सब पार्टियों के लोगों ने मिल कर यह कहा कि उत्तर प्रदेश में इस अध्यादेश के द्वारा काला कानून लाया गया है । उन्होंने इसका विरोध किया और यह घोषणा की कि सरकार को इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिये । किन्तु कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि कांग्रेस (आर) और बी० के० डी० के बीच कुछ मुद्दों पर तफरका उत्पन्न हुआ और उसमें अध्यादेश की बात भी थी । मान्यवर, सरकार का पतन हुआ, दूसरी सरकार बनी । तो मेरी समझ में सारे प्रदेश के लोगों में और खास तौर से हमारे विद्यार्थियों में एक प्रकार का संतोष उत्पन्न हुआ कि जो दल हमारे इस अध्यादेश के विरोधी थे वह आज सरकार में शामिल हैं । तो श्रीमन, जब वे सरकार में शामिल हो गये तो स्वाभाविक था कि उनकी आशा और उनकी उम्मीद बढ़ती । इन दलों के सरकार में शामिल हो जाने से यह जो अध्यादेश है, जिसे कि काले कानून की संज्ञा दी गई है और कहा गया है कि हुकूमत सालाजार की है, तानाशाही पर चल रही है, इससे उन विद्यार्थियों की आकांक्षा बन गई थी कि आज जो सरकार गठित हो रही है या गठित हुई है वह इस अध्यादेश को वापस ले लेगी । मान्यवर, जहां तक कार्यक्रम और दूसरी चीजों की बात थी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी बराबर इस बात की चर्चा रही कि जो ५ घटक सरकार में शामिल हो रहे हैं, वे उसी कार्यक्रम के आधार पर सरकार चलायेंगे, यह बात महत्वपूर्ण अवश्य थी क्योंकि हम लोगों के साथी एस० एस० पी० के लोग कुछ इस माने में ज्यादा अगुवाई कर रहे थे तो उससे ऐसा लगा कि जिस प्रकार से एस० एस० पी० के लोग जिसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है कि सवा छः एकड़ लगान की माफी पर हमने पिछली बार सरकार को तोड़ा और आज हमने सवा छः एकड़ लगान की माफी करवाई उसी के तहत एस० एस० पी० से यह भी आशा थी कि जहां आप अपने उसूल पर, अपनी बात पर अपने कार्यक्रम पर दृढ़ रहते हैं और जिसके तहत आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं संभवतः उसी का पालन करते हुये ये लोग उसको भी मनवाने का प्रयास करेंगे । मान्यवर, यही नहीं, उनके राष्ट्रीय नेता श्री मधुलिमये ने यह चाहा था कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का अधिवेशन जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन तक यदि यह आर्डिनेन्स वापस नहीं होगा तो हमारे मंत्री उस दिन सरकार में नहीं रहेंगे । और इस्तीफा दे देंगे । मान्यवर, ७ तारीख से यह अधिवेशन चल रहा है और यह बात नहीं हुई इससे एक शंका पैदा होती है । जैसा आप जानते हैं कि जहां तक इस यूनियन की सदस्यता का सवाल है, प्रदेश या देश में जो एक्सपर्ट कमेटीज़ बैठी हैं, उनकी भी राय ऐसी नहीं थी कि इनकी सदस्यता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न रखी जाय। चाहे वह कोठारी आयोग का सवाल आये या दूसरी कमेटियों का सवाल आये, किसी ने इसकी सिफारिश नहीं की। इससे सिद्ध होता है कि यह किसी एक्सपर्ट की सिफारिश या किसी संस्था की राय नहीं थी, किसी विद्यार्थी ऐसोसियेशन की मांग नहीं थी बल्कि यह केवल एक व्यक्ति के दिमाग की उपज है जिसके लिये वे कहते हैं कि यह विद्यार्थियों के लिये बहुत अच्छा कानून उन्होंने बनाया है जिससे उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा सारी जगहों में हो। मान्यवर, मैं ऐसा मानता हूं कि जिसकी तारीफ, स्वयं को ऐसा महसूस हो कि, लोग नहीं करते वह स्वयं अपनी तारीफ करता है। इस सम्बन्ध में हमारी भोजपुरी में एक कहावत है कि लोग अपने आप अपनी पीठ की तारीफ करते हैं। तो मान्यवर, ऐसा करके पिछली सरकार ने यह किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसोपा के भाइयों से, जनसंघ के भाइयों से और कांग्रेस संगठन के भाइयों से जो भी इस पक्ष के हैं, उन सब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वायदा उन्होंने सरकार में आने से पहले किया था वे उस वायदे को निभायें और हमारा जो कटौती का प्रस्ताव है उसमें वह साथ दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारे माननीय तिवारी जी यहां नहीं हैं, मैं उनसे एक बात जानना चाहता था और कुछ बताना भी चाहता था। लोक शक्ति के लिये विश्वास बढ़ाने की चीज होती है। अगर विश्वास नहीं होगा तो लोक शक्ति नहीं बढ़ेगी, उसका जागरण नहीं होगा। आज जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने १,५०० रु० की मांग की है वह किस की थैली से गया था। वह माननीय नारायणदत्त तिवारी जब वित्त मंत्री थे, उनकी थैली से गया था। अपनी पाकिट से उसको खर्च किया और उसी के विरुद्ध आज अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

मैं माननीय राम करन जी को भी बताना चाहता हूं कि वे अभी धैर्य को न खोयें। अगर आप धैर्य को खो देंगे तो विवेक को खो देंगे और अगर विवेक खो गया तो न जाने आपका रुख किधर को हो जाय, कहीं बैलों की तरफ न चला जाय। अगर भाई राम करन जी इस अनुदान संख्या को पढ़े होते तो वह कटौती का प्रस्ताव न लाये होते। आप इसको देखे कि इसमें जो अनुदान मांगे गये हैं उसमें १—मंहगाई भत्ता देने के लिये है, २—राजकीय कन्या इन्टरमीडियेट कालेज, वाराणसी को भवन निर्माण हेतु दिया जा रहा है, ३—कुछ न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह रुपया सरकार को देना होगा। क्या न्यायालय का निर्णय न माना जाय? ४—राष्ट्रीयकरण की बहुत चर्चा की जाती है। राष्ट्रीयकरण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिये रुपया रखा गया है। ५—पारिश्रमिक का रुपया दिया जा रहा, ६—सचल दल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के लिये रुपया मांगा जा रहा है जिससे इम्तहानों में जो गड़बड़ होती है वह न हो। ७—इलाहाबाद बहुधंधी संस्था में डिप्लोमा पाठयक्रम के प्रारम्भ करने के लिये रखा गया है। क्या इन अनुदानों को आप नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो फिर यह कटौती का प्रस्ताव क्यों रखा गया है? दूसरी बात यह है कि इन अनुदानों में अध्यादेश कहां से आ गया। उसमें तो कुछ खर्चा ही नहीं हुआ। मैं भूतपूर्व वित्त मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि इस मद में उन्होंने कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया। शिक्षा मंत्री जी भी उन्हीं के थे—माननीय चतुर्भुज शर्मा जी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय त्रिपाठी जी ने कह दिया कि हमारे मंत्री लोग तो इससे सहमत थे लेकिन हमारा दल सहमत नहीं था। अच्छी व्याख्या हुई? उनके यहां मंत्री और दल का क्या रिश्ता है, यह समझ में नहीं आया। मैं दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो अध्यादेश जारी हुआ वह कैबिनेट की सर्वसम्मति से हुआ। मैं तो अपने जिले के उप मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि जब वे बलिया गये तो उनसे पूछा कि यह अध्यादेश जो छात्रों का जारी हुआ है उससे आप सहमत थे

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

या नहीं ? हमारे जिले के उप मंत्री जी ने दृढ़ता के साथ कहा था कि हमने जो अध्यादेश पास किया है वह सर्व सम्मति से पास किया गया है। आप फिर आज क्यों भाग रहे हैं? यदि आप अध्यादेश के लिये राजी नहीं थे तो कुर्सी छोड़ दिये होते। लेकिन आप बराबर कुर्सी से चिपके रहे। जब तक राज्य पाल का आदेश नहीं आ गया तब तक यह कुर्सी से बराबर चिपके रहे।

मान्यवर, मैं अपने भाई माननीय रामकरन जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। अगर वे किताबों को पढ़ें तो हमारी बात उनकी समझ में आ जाय क्योंकि हमारी नियमावली उनके यहां रहती है। लेकिन शायद वे उसको कभी पढ़ते नहीं है। नियमावली के नियम १२० में लिखा हुआ है कि कोई भी अध्यादेश चाहे वह गलत हो या सही हो उसको इस आदरणीय सदन के पटल पर लाना सरकार का कर्त्तव्य है। संसोपा, जनसंघ और अन्य दलों के हमारे भाई चाहे सहमत हों या न हों, लेकिन आपके कुकर्मों को हमें सदन के पटल पर लाना होगा। इसीलिये हमने सदन के पटल पर रख दिया ताकि जनता जान जाये कि आपको हमदर्दी क्या है और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि छात्रों को भी असलियत मालूम हो गई। जब इस अध्यादेश के खिलाफ नारे लग रहे थे और आपके कथनानुसार उनके ऊपर डंडे लग रहे थे तो आप लोग यहां आकर गीदड़ की तरह बैठ गये। छात्रों को भी मालूम हो गया कि आप कहां हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह नहीं कह सकते हैं कि गीदड़ की तरह यहां आकर बैठ गये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मैंने किसी एक आदमी के लिये नहीं कहा और किसी का नाम नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन के किसी भी माननीय सदस्य को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं आपके आदेश को मानता हूं। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर अध्यादेश आ गया होता। अगर सरकार कुछ खर्चा दिखाती। लेकिन उसका मौका ही नहीं आया। सरकार उसको पटल पर रखेगी या नहीं। यह पता नहीं है। मैंने तो साफ कहा था कि वह सदनके पटल पर आने वाला नहीं है। यदि वह यहां नहीं आया तो अपने आप समाप्त हो जायगा। रोज आप चर्चा करते हैं कि इस बात की शंका है कि सदन कल तक चलेगा या परसों तक चलेगा। अगर यह आप आपकी शंका है और वह सदन के पटल पर नहीं आता है तो अपनें आप समाप्त हो जायगा।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप छात्रों में भ्रम फैला कर उनकी मनोवृत्ति को बिगाड़ रहे हैं। आज जो विश्वविद्यालय हमारे यहां बंद हैं और छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज दिसम्बर का महीना है, फरवरी-मार्च आ रहा है और आप यह भ्रम छात्रों में फैला रहे हैं इसके माने यह हैं कि आपको हम दर्दी छात्रों के साथ बिलकुल नहीं है। हमारे अन्य मंत्रियों ने जो अनुदान पेश किये वे मिनटों में पास हो गये लेकिन इस पर इतनी बड़ी चर्चा हुई। उनको कहीं चिल्लूभर पानी भी नहीं मिलता। मैं अपने भाई माननीय रामरकरन जी का आदर करता हूं, वे मेरे पड़ोसी जिले के हैं, मैं आशा करता हूं कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें लें और अनुदान को पास कराने में मदद करें।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय रामकरन जी ने जो कटौती का प्रस्ताव सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती के प्रस्ताव के बारे में, जैसा कि इस सदन को मालूम है, वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिर्फ इसलिये रखा जाता है कि सरकार की नीतियों की कुछ चर्चा की जाय। मुझे खुशी है कि आज माननीय शम्भूनाथ जी ने आज उस सरकार के बजट का समर्थन किया है जिस सरकार की वह लगातार मुखालिफत करते रहे। अच्छा है, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ ? आज तक इस सदन के अन्दर उस सरकार और उस दल के, जो दल कि आज विरोध पक्ष में है, उस दल और उस सरकार के कार्यों, का आपके शब्दों में कुकर्मों का आप समर्थन कर रहे हैं और हम लोग जो उस सरकार की तब भी मुखालिफत करते थे आज भी विरोध करते हैं। हम जब कटौती का प्रस्ताव रखते हैं इस चीज को कहने के लिये कि उस सरकार ने जो कार्य किये उनको स्वीकार करने के लिये हम तैयार नहीं हैं तो आप उनको स्वीकृति देना चाहते हैं। इससे यह अन्दाजा निकलता ह कि हम कुछ और दूसरे कारणों से भी इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

शिक्षा विभाग एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। यह एक ऐसा विभाग है जिसके जरिये हम पूरे प्रदेश और देश का भावी निर्माण करना चाहते हैं। इस सरकार में जितने भी दल आज शामिल ह उन तमाम दलों की कुछ बुनियादी नीतियां रहीं हैं; शिक्षा के बारे में। सरकार को गठित हुये आज इतने दिन हो चुके परन्तु उन नीतियों का क्या हुआ ? पहला प्रश्न था सदन के तमाम दलों का जब वह विपक्ष में बैठते थे कि हमारे प्रदेश की शिक्षा कामर्शियलाइज होती जा रही है। स्कूल स्कूल नहीं हैं बल्कि भ्रष्टाचार के अड्डे बने हैं, चाहे विश्वविद्यालय हों, डिग्री कालेज हों या हायर सेकेंडरी स्कूल हों। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के अन्दर हैं सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। हर दल की यह मांग रही है और माननीय शम्भूनाथ जी का जो दल है, जो आज सरकार के अन्दर शामिल है, उसकी भी यह मांग रही है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

एक सदस्य---

आज भी है।

श्री गोविन्द सिंह---

मैं स्वागत करता हूं। लेकिन क्यों नहीं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के जरिये इसकी घोषणा सदन में कराते हैं। इसके ऊपर यह सरकार खामोश है। दूसरा प्रश्न यह है कि माध्यमिक शिक्षकों को सरकारी खजाने से तनख्वाह मिले। जनसंघ और संसोपा मित्रों ने यह मांग इस सदन में रखी। और अगर मैं गलती नहीं करता तो माननीय कृष्णानन्द राय जी जब इधर बैठते थे तो उन्होंने भी यह मांग इस सदन के अन्दर रखी थी।

*सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)---

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १९५ की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें अनुपूरक अनुदान के सिलसिले में अथवा अपर अनुदान या अतिरिक्त व्यय के सिलसिले में जो १९४ में उपबन्ध हैं उसके अतिरिक्त १९५ में यह कहा गया है कि अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा और जब तक विचाराधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। आप देखें कि जो अनुपूरक अनुदान उपस्थित किया गया है उसमें जो कटौती का प्रस्ताव आया है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। और इस नियम के अनुसार यह न तो कटौती का प्रस्ताव वैध है और न इस पर चर्चा हो सकती है।

श्री गोविन्द सिंह---

यह प्रस्ताव सदन के सामने आ चुका है। अगर माननीय मन्त्री जी को आपत्ति थी तो उस समय ही उठानी चाहिये थी कि जब प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था। अब चूंकि उस प्रस्ताव पर बहस हो चुकी है तो अब इस पर मेरे मित्र आपत्ति नहीं उठा सकते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं अपने मित्र गोविन्द सिंह जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहता था कि क्या नियमावली में कुछ ऐसे भी नियम हैं कि यदि कोई गलत बात उन्होंने कह दी तो वह रोकी नहीं जा सकती ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको पहले समय से उठाना चाहिये था जब कि प्रसंग से यह प्रस्ताव आया था ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

कोई भी व्यवस्था का प्रश्न तभी पैदा होता है जब वह प्रश्न सामने आता है । उस वक्त भी यह बात कही जा सकती थी लेकिन गलती तो किसी क्षण सही की जा सकती है । यहां तक आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि अगर कोई गलती नोटिस में आ जाय कि यह बात नियम के विपरीत हो गई, वोटिंग होने के बाद भी तो उसको भी ठीक कर सकते हैं । अभी तो इस बात पर चर्चा हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है यह बात नहीं है । सवाल यह है कि समय से आपने इसको नहीं उठाया । अब आपको यह बताना पड़ेगा कि जब कोई विवाद चल रहा है तो उसको चलते रहने देना है ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, आप नियम १९२ का (२) देखें जिसमें यह लिखा है "कि ऐसी मांगों पर सभा में उसी प्रकार कार्यवाही होगी जिस प्रकार राज्य व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर होती है और इस विषय से सम्बद्ध नियम ऐसे रूप भेदों सहित जो अध्यक्ष आवश्यक समझें ऐसी मांगों पर लागू होंगे । तो इन मांगों के लिये भी उसी प्रकार से कार्यवाही होगी जिस प्रकार से जब बजट प्रस्तुत होता है तब कार्यवाही होती है । उपाध्यक्ष महोदय आपको इस प्रकार के अधिकार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इसको समय से नहीं उठाया ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अगर मंत्री जी तीसरी लाइन पढ़ते तो यह साफ हो जाता । उसमें यह है कि "उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो ।" इसका निर्णय माननीय अध्यक्ष जी अपनी ओर से देते हैं कि इसके ऊपर बहस की आवश्यकता है । उसी आधार पर यह बहस हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न उठाया गया है और जिसका रियासत हुसैन साहब ने समाधान किया है उस संबंध में मुझे इस सदन का ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय हो चुका है । यह निर्णय हुआ है कि २ बजे तक ६ मांगों तक निपटारा हो जायगा । तो इन संशोधनों पर जो बहस होगी वह ४ बजे तक चलेगी । मैं उस समय नहीं था । अगर आप यह समझते हैं कि मैंने गलत समझा तो आप कह सकते हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

सदन में इस पर नियम १९५ निलम्बित कर दिया जाय और इस प्रक्रिया को चालू रखा जाय ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है । न नियम को निलम्बित किया गया है । जब तक नियम निलम्बित न किया जाय तब तक ऐसी बहस चलाई नहीं जा सकती है । आप जानकारी

कर लें । मेरा निवेदन यह है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ और न सदन ने कोई इस प्रकार का निश्चय ही किया है कि इस नियम को निलम्बित करके इस पर चर्चा की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं देखता हूं कि क्या निर्णय हुआ है ।

श्री गोविन्द सिंह--

आप इस पर व्यवस्था तो दे चुके हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रश्न सदन के सम्मुख आया और सरकारी पक्ष की ओर से श्री शांति प्रपन्न जी ने यह स्वीकार किया कि इस पर चर्चा हो और दोनों पक्षों की सर्वसम्मति से यह कार्यक्रम तय हुआ । अब प्रस्ताव हुआ हो या न हुआ हो, यह सदन सर्वाधिकार सम्पन्न है, दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया तभी यह किया गया उस समय किसी ने आपत्ति भी नहीं की और न कोई दूसरी कोई बात की ।

विद्युत् मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)--

तय तो यह हुआ था कि शिक्षा पर कटमोशन मूव होगा लेकिन उस पर क्या चर्चा होगी यह बात नहीं हुई थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

मतलब यह है कि अगर कोई फैसला बन गया है तो यह बात सही है कि नियमानुसार उस पर कार्यवाही होनी चाहिये, ऐसा नहीं है कि जो चाहे फैसला कर लें और पास कर लें, चाहें सर्वसम्मति से करें या बहुमत से करें । मेरा श्री कल्पनाथ सिंह से कहना है कि उन्होंने वह समय से क्यों नहीं उठाया और जब यह उठा और मैं ने स्वीकार किया और कटौती का प्रस्ताव आ गया .... ;

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, आप की यह व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होगी । मेरा निवेदन यह है कि आप कस्टोडियन हैं हाउस के और अच्छा यही है कि जो सदन के नियम हैं उन को आप न टूटने दें चाहे आप अपनी व्यवस्था कल ही दें । मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था, आप चाहें जो व्यवस्था दें लेकिन सदन के जो नियम हैं नियमावली के अनुसार उनको टूटने से बचायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह आश्वस्त होना चाहता हूं कि आप ने समय से सूचना दी या नहीं । आप ने आपत्ति समय से नहीं की और उस से पहले सदन का कार्य तो पहले से तय हो जाता है । बाकी नियमों की स्थिति तो असन्दिग्ध है अगर पहले आप का प्रस्ताव होता तो बात दूसरी थी, अगर आप ने शुरू में ही किया होता तो मैं विचार करता ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

श्रीमन्, मैं दो बातें निवेदन करूंगा इस संबंध में । यह सदन में जरूर तय हुआ कि इस कटौती पर बहस हो इसमें कोई एतराज किसी को नहीं है लेकिन क्या नियम १९५ के अन्तर्गत इस बहस की परिधि यह हो सकती है जो सदन में चल रही है । नियमों के उल्लंघन का प्रश्न तो सदन में कभी भी उठाया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन यह बतायें कि यदि एक नियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही चल रही है तो उस कार्यवाही के चलने के बीच में बहस को रोकने क्या अधिकार है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

यह कहा जा सकता है कि बहस जो चल रही है वह नियम १९५ के विरोध में चल रही है १९५ की परिधि के बाहर चल रही है । यह एतराज हर समय कभी भी उठाया जा सकता है, यह जरूरी नहीं है कि वह केवल आरम्भ में ही उठाया जा सकता हो । एक प्रकार से इस एतराज को उसी वक्त श्री शम्भूनाथ चौधरी ने उठाया भी था । हमारे मित्र ने तो यह भी नहीं देखा कि किस चीज की कटौती पर वह बोल रहे हैं और जो मदें पढ़कर सुनाई और जिनके लिये रुपया लिया गया है...

श्री उपाध्यक्ष---

आप यह ज्यादती कर रहे हैं कि श्री शम्भूनाथ जी ने किसी प्रकार से यह सवाल उठाया था ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

वह परोक्ष रूप से उठाया था प्रत्यक्षतः नहीं, लेकिन यह प्रश्न सदन के सामने जबतक वादविवाद चलेगा कभी भी उठाया जा सकता है कि क्या यह वादविवाद नियमों के अन्तर्गत है । हमें कोई एतराज नहीं है कि अगर नियमों के अन्तर्गत इस कटौती के संबंध में वादविवाद चले लेकिन नियम १९५ के अनुसार जो विषय परिधि के बाहर है उसको सदन में लाया जाय तो वह अनुचित होगा । जैसा कि श्री कल्पनाथ सिंह जी ने कहा यह विषय अत्यन्त गम्भीर है । और जो आपकी विशिष्ट शक्तियां हैं, किसी चीज के बारे में, किसी विशेष विषय के बारे में नियमों में कहीं भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है तो आप विशिष्ट शक्तियों के आधार पर आप निर्णय दे सकते हैं कि यह एतराज हर समय उठाया जा सकता है ।

जहां तक नियमों के उल्लंघन का प्रश्न है, वह हर समय उठाया जा सकता है । इसी प्रकार से नियम १९५ की परिधि के उल्लंघन का प्रश्न भी हर समय उठाया जा सकता है ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो एतराज सरकार के पक्ष की ओर से उठाया गया है, यह उस समय क्यों नहीं उठाया गया । आपकी ओर से प्रस्ताव किया गया था । इस ओर से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया और यह कहा गया कि उसका विषय यह वह होगा । देने के बाद यह कहा गया कि इस पर २ घंटे चर्चा होगी । हम लोग मानते हैं कि उसके बाद यह तय हुआ कि यह दे दिया जायगा । एक और कानून और विवाद का बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा व्यापक दृष्टिकोण यह है कि एक कानून, ला होता है जिसे ला आफ स्ट्रौपिल होता है । कोई व्यक्ति अपनी ओर से उठे और कहे कि ऐसा ऐसा होना चाहिये तो उसे इस बात का अधिकार नहीं होता है कि वह उससे मुकर जायं । पहले तो वह फांस लें कि चर्चा कर लेंगे और फिर कानूनी प्वाइंट उठायें कि चर्चा नहीं होनी चाहिये । बहस ही न सुनना चाहते हों तो दूसरी बात है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । जिस समय मैंने यह प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से रखा था कि अनुदान पर चर्चा हो, मैंने कटौती के प्रस्ताव का पूरा उल्लेख कर दिया था और मैंने यह कह दिया था कि युनिवर्सिटी के बारे में जो अध्यादेश निकला है उस पर जिक्र होगा । उस समय माननीय अध्यक्ष ने माननीय

संसदीय मंत्री से भी पूछा था और उन्होंने यह कहा था कि विरोधी दल को यह अधिकार है । उस समझौते के आधार पर ही सारे कार्य का निर्धारण हुआ है । यदि उस समय कोई आपत्ति उठायी जाती और माननीय अध्यक्ष रूलिंग दे देते तो दूसरी बात होती लेकिन अब जबकि उस समझौते के आधार पर ८ ग्रांट्स पास हो चुकी हैं, उनमें सामान्य प्रशासन जैसी मांगें भी सम्मिलित थीं तो अब हमें कटौती के प्रस्ताव पर इजाजत न देकर हमें क्यों बंचित रखा जा रहा है । श्रीमन्, नियम १८६ में जो दिया हुआ है वह अनुपूरक अनुदानों पर भी लागू होता है। १९४(२)में दिया हुआ है कि अध्यक्ष सदन नेता से परामर्श करके ऐसी मांगों पर चर्चा एवं मतदान के लिये एक या अधिक दिन नियत करेंगे । इन प्रकरणों में उसी प्रक्रिया का जो नियम १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९० तथा १९१ में निर्धारित की गयी हैं ऐसे रूप भेदों सहित जो अध्यक्ष आवश्यक समझें अनुसरण किया जायगा ।

तो श्रीमन्, नियम १८६ भी लागू होता है अनुपूरक अनुदानों के संबंध में इसमें कटौती का प्रस्ताव करने के लिये ३ प्रक्रियायें दी हुयी हैं । एक तो कटौती के प्रस्ताव की नीति अनुमोदन कटौती कहा जायगा । उसमें यह भी है कि सूचना में संक्षेप में और सुतथ्य तथा वह विशेष विषय दर्शाया जायेगा जिस पर चर्चा उठानी हो "और नीचे 'ग' में यह है कि ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिए जो शासन के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हों" । तो शासन के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में भी जो दोनों कटौतियां हैं वे दोनों नियमों के अन्तर्गत आती हैं । मैं यह आग्रह करूंगा कि अब जब आपका कार्य निर्धारण इस आधार पर हो गया है और अध्यक्ष महोदय ने नियम १९४(२) के अन्तर्गत इसकी अनुमति दे दी है तो श्रीमन यह विवाद जारी रहना चाहिये ।

श्री राममूर्ति "अंचल" (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, आचार्य लक्ष्मीरमण जी ने यह कहा कि यह नियमों के विपरीत है । लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय सदन ने यह अस्वीकार किया था उसी में यह लिखा हुआ है---"कि अनुपूरक अनुदानों पर वादविवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा और जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो उसी समय सदन ने आवश्यक समझा कि चर्चा हो । नियम १९५ से ही उन्हें सन्तुष्ट हो जाना चाहिये । यह सदन की बात है । एक व्यक्ति और अध्यक्ष की बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक समझा कि चर्चा हो । "आवश्यक" शब्द जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर आप और सदन सन्तुष्ट होगा ।

श्री दीपनारायण मणि---

मान्यवर, एक कायदे की बात है और सदन को चलाने की बात है । इन्हीं नियमों के अन्दर आप उपाध्यक्ष बने हुए हैं। माननीय तिवारी जी ने तर्क किया कि मद संख्या १० पर बहस होगी और उस पर कटौती का प्रस्ताव आयेगा । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों पक्ष जब तक नियम १९५ को निलम्बित न कर दें तब तक नियमित बहस नहीं चल सकती । माननीय कल्पनाथ सिंह ने यह कहा था कि नियमों के प्रतिकूल होने पर ही कोई सदस्य यह आपत्ति उठा सकते हैं और आपत्ति के अनुसार आप देखें कि यह नियमानुकूल है या नहीं । बहस के लिए सार्वभौमिक अधिकार है । लेकिन आप व्यवस्था दें कि क्या होना चाहिये । मेरा विश्वास है कि इसके लिये यह आपत्ति नहीं करनी चाहिये । बहस एक या दो घंटे हो, यह तो विरोधी दल का प्रिविलेज है । नियम के विरुद्ध बहस चलाना अप्रासंगिक है । आगे के लिये इससे गलत परम्परा चलेगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मेरा निवेदन है कि कोई काम हम अज्ञानतावश गलत कर रहे हैं । करते करते हमको ज्ञान हो गया कि यह गलत है । उस समय यह काम सुधारा जाय या न सुधारा जाय । इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, उदित नारायण जी ने जो ला-आफ-स्टापेल समझाने की कोशिश की है मुझे उसी पर कहना है।

(विरोध पक्ष से मेजों की थपथपाहट शुरू हो गई)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

नियम १९५ के अन्दर, यह नियम बिल्कुल निश्चित है। जो मद है उसके बाहर बहस नहीं होगी। यह बात तय है। श्रीमन्, आधा सत्य सामने आया है। यह बात सही है कि यह स्वीकार किया गया कि डेढ घंटे की बहस मद संख्या १० के अन्दर होगी। लेकिन यह स्वीकार नही किया गया कि आपका जो कटौती प्रस्ताव है। उस कटौती प्रस्ताव क ऊपर बहस होगी। एक बात श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं (व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि अगर कानून या नियम के खिलाफ दो पार्टियां समझौता कर लें, कोई कांट्रैक्ट कर लें, तो वह कांट्रक्ट भी वैलिड नहीं है चाहे आप ला-आफ स्टापल जितना भी समझाईये अगर दोनों मिल कर यह तय कर दें कि एक आदमी का कत्ल कर दिया जाय, मान्यवर, तब भी कानून की वह अवहेलना होगी। इसलिये कानून अथवा नियमों क विरुद्ध अगर कोई एग्रीमेंट है तो वह नहीं माना जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इस प्रश्न पर दोनों पक्षों की राय को सुना। पहले तो यह आपत्ति सवेरे ही उठानी चाहिये थी और जैसा माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखूं और बहस चलती रहे तो बहस तो चलेगी लेकिन मैं नियमों के उल्लंघन के संबंध में यदि आपका कोई भी समझौता है, यदि उससे नियम का उल्लंघन होता है, तो तब तक उस पर अमल नहीं हो सकता जब तक कि आप उस नियम को निलम्बित न कर दें। बिना नियम को निलम्बित किये मैं उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। लेकिन नियम की स्थिति अपनी जगह पर है। मैं मानव को मानव के नैतिक अधिकारों से भी वंचित नहीं करना चाहता। अगर आपने कोई समझौता किया है तो मैं सरकारी पक्ष से कहूंगा कि उनकी तरफ से उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिये। आज बहस तो चलेगी, मैं अभी अपनी व्यवस्था नहीं दे रहा हूं, व्यवस्था इसके बारे में कल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री गोबिन्द सिंह—

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मैं इसके लिये आपको बधाई देता हूं। मान्यवर, माननीय कल्पनार्थसिंह जी, माननीय नित्यानन्द स्वामी तथा उधर के जिन मित्रों ने प्रक्रिया संबंधी प्रश्न यहां खड़ा किया मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है। मान्यवर, उन बेचारों की परेशानी क्या है। परेशानी यह है कि आखिर कैसे जिन बातों को वे इधर विरोध पक्ष में बैठकर कहते थे, अब सरकारी पक्ष में बैठकर कहें। आज मान्यवर, शासन सत्ता उनके हाथ में है। संभवतः सदन का बहुमत भी उनके साथ है। तो मैं पूछता हूं कि यह सरकार उन नीतियों के बारे में, जिनकी चर्चा वे विरोध पक्ष में बैठकर लगातार किया करते थे, स्पष्ट घोषणा क्यों नहीं करते। उनके मार्ग में कौन-सी कठिनाइयां हैं? माध्यमिक शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन दिलाने की घोषणा आप क्यों नहीं करते? (व्यवधान) यूनिवर्सिटी के अध्यापकों, डिग्री कालिजों के अध्यापकों की जो मांग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सिफारिश को स्वीकार करने के बारे में रही है उसको शिक्षा मंत्री जी क्यों नहीं स्वीकार करते? सरकारी स्कूलों के टीचर्स की भांति अन्य स्कूलों के टीचर्स को भी वही वेतन क्रम देने में आपको क्या परेशानी है? जो महंगाई भत्ता सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों को दिया जाता है वह उनको दिया जाना चाहिये लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना

पड़ता है कि वे तमाम घटक जो इस मांग को लगातार उठाते रहे हैं, आज उन्होंने इन मांगों के संबंध में अपनी आंखें मूंद ली हैं । यही नहीं कि उनकी आंखें बन्द ह, अभी परसों ही इस आदरणीय सदन के बाहर हमें एक दृश्य देखने को मिला । विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी अपनी फरियाद लेकर इस सरकार तक पहुंचना चाहते थे, इस सदन के माननीय सदस्यों तक पहुंचना चाहते थे और इस सचिवालय के बाहर खड़े रहे तथा भूख हड़ताल कर रहे थे । इसके सिवा वे कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं कर रहे थे । जनसंघ के मेरे एक माननीय सदस्य मित्र उनसे मिलने के लिये गये । किस लिये मिलने गये, वह इसलिये मिलने गये कि आखिर कौन-सी कठिनाई है जिन कठिनाइयों को लेकर उनको भूख हड़ताल करनी पड़ी, इसकी जानकारी प्राप्त करें । वे माननीय सदस्य जो इस सरकार के घटक हैं, जो इस सरकार के प्रमुख अंग हैं, उन्होंने उनकी मांगों को स्वीकार किया था और उनसे हमदर्दी जाहिर की थी, उनके पास जाते हैं लेकिन उसी सरकार की पुलिस जिस बेरहमी के साथ उन्हीं माननीय सदस्य के सामने उनको पकड़-पकड़ कर मोटर में डाल दिया गया । आखिर यह आपकी किस प्रकार की और क्या नीति है । मैं उन तमाम दलों से पूछता हूं कि जो उन कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हैं, मेरे संसोपा के मित्र आज मंत्रिमंडल में मौजूद ह, हमारे जनसंघ के मित्र मंत्रिमंडल में मौजूद हैं, संगठन कांग्रेस के मित्र आज मंत्रिमंडल में मौजूद हैं और उन सब की हमदर्दी कर्मचारियों की मांगों के साथ रही है, इस सदन के अन्दर और इस सदन के बाहर भी, तो फिर आज जब कि वे मंत्रिमंडल में मौजूद हैं तो उन्होंने कौन-सी नीति का अनुसरण कर लिया है, क्या उनकी यही नीति है कि जब वे अपनी मांग को उठावेंगे तो उनको पकड़-पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिया जायगा ? क्या वे अपनी हमदर्दी को भूल गये ? मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र जो आज सरकार के अन्दर मौजूद हैं, इस मसले के बारे में चर्चा करें ।

(व्यवधान)

बंगाल में ऐसी स्थिति नहीं है, अगर वैसी स्थिति में आप बाहर कोई बात करते तो हम दिखला देते । वहां इस तरह की बात करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता । मुझ यह देखकर अफसोस होता है, कि मेरे संसोपा के मित्र जिनको हमारे साथ मिल कर लड़ाई लड़नी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा । इन तमाम मांगों को लेकर, क्या वे उधर बैठ कर अपनी बातों को भूल गये ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लोग जिनकी हमदर्दी हमेशा जनता के संघर्ष के साथ रही, वे मित्र उधर जाकर रास्ता ही भूल गये ? सही बात है कि आज वे सरकार के अन्दर हैं लेकिन कल इधर भी आ सकते हैं । इन मांगों के संबंध में हम और आपको साथ साथ फिर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है । अगर हमने इन मांगों को छोड़ दिया तो हम कहां तक अपने को सच्चा साबित कर सकते हैं ।

जहां तक विश्वविद्यालय यूनियन का प्रश्न है, यह सही है कि इस मामले में पिछली सरकार ने कुकर्म किया और इस सरकार को उसे टेबिल पर रखना पड़ा है । यह सही है कि यह पिछली सरकार का कृत्य था लेकिन तमाम पार्टीज ने पहले इसके संबंध में इस सदन में और बाहर भी विरोधी आवाज उठायी थी कि यह आर्डिनेंस दल विरोधी है, यह आर्डिनेंस प्रजातंत्र विरोधी है और वे सारी चीजें रिकार्डस में हैं । लेकिन आज तक उन तमाम पार्टीज ने जिन्होंने कल तक इसका विरोध किया था, उन्होंने अपनी राय नहीं बदली और आज भी उनकी मांग है और रहेगी कि आज के दिन इस आर्डिनेंस को वापस लिया जय । सही बात है कि पुरानी सरकार का कृत्य था जिसको आपने आज सदन की मेज पर रखा । लेकिन यह आपकी सरकार है जिसमें आपके तमाम दल कांग्रेस (संगठन) दल, जनसंघदल संसोपा पार्टी, आप इस सरकार में बैठे हुये हैं, १८ अक्टूबर को यह सरकार बनी थी । आज दो महीने के लगभग हो गये जब से आप इस सरकार में बैठें हुए हैं । फिर इन दो महीने के अन्दर इस दल विरोधी आर्डिनेंस को क्यों नहीं वापस लिया गया । भूतपूर्व मंत्री श्री चरण सिंह के लिये किस किस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसको मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं । उस दल के शिक्षा मंत्री जी यहां

[श्री गोविन्द सिंह]

मौजूद हैं । उनके दल को छोड़ कर सभी ने इस आर्डिनेंस को दल विरोधी और प्रजातंत्र विरोधी बतलाया है।

कौन-कौन से अलंकार इस्तेमाल किए थे हमारे माननीय मित्रों ने जो आज सरकार में बैठे हुए हैं । मैं उनका प्रयोग आज यहां नहीं करना चाहता हूं । इसके बावजूद भी आज वह आर्डीनेंस इस प्रदेश में मौजूद है । उसी का नतीजा है कि आज हमारे विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं रहे गए है, सरस्वती के मन्दिर नहीं रह गये है । आज वहां जाइये वहां पर आपको आज एकेडमिक एटमासफियर नहीं मिलेगा । ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी सेन्ट्रल जेल में पहुंच गए है । पी० ए० सी० की बटालिएनें और पुलिस वहां पड़ी हुई है, पी० ए० सी० के ट्रक जगह जगह खड़े है उनके नौजवान चारों और डटे हुए है, एक आतंक और भय का वातावरण बना हुआ है । आज वहां पर कोई छात्र संगठन अपनी सभा नहीं कर सकता है, कोई अपनी बैठक नहीं कर सकता, अपने विचारों का अभिव्यक्ति नहीं कर सकता । हमारे शिक्षा मंत्री कहेंगे कि उनके अंदर अनुशासन है, और उनको हम अनुशासन सिखाना चाहते हैं । मान्यवर, बदकिस्मती है इस प्रदेश की कि पुरानी पीढ़ी ने हमेशा नई पीढ़ी को गाली दी है और अपने को भुला दिया है । उनको स्मरण होना चाहिये कि उनके ही समय की युवा पीढ़ी ने साम्राज्य शाही का मुकाबला करके पुलिस और पी० ए० सी० की लाठियां खाकर इन छात्र यूनियनों को बनाया था और उन्होंने साम्राज्यशाही के विरुद्ध जो लड़ाई हुई है, उसकी अगवानी की है । कौन सा ऐसा शिक्षा शास्त्री है जिसने इनका विरोध किया है । राधाकृष्णन् कमीशन रहा, उसने यूनियनों की सदस्यता कम्पलसरी बनाये रखने पर बल दिया है, आप्शनल नहीं। इंगलैंड के अन्दर आक्सफार्ड विश्वविद्यालय है वहां पर भी यूनियनें हैं और उनकी सदस्यता भी छात्रों के लिए अनिवार्य है । यदि उनके संगठन में या प्रबन्ध में कुछ गड़बड़ियां है तो क्या उसका अर्थ यह होगा कि हम उनको पूरी तरह से समाप्त कर दें ।

आज मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं, आप भावी नागरिकों को गाली देते है, लेकिन क्या आप इस बात को अस्वीकार करेंगे कि हमारे यह नौजवान, हमारी यह भावी पीढ़ी हमारे ही आचरणों से शिक्षा लेती है । क्या हम ईमानदारी से कह सकते है कि पुरानी पीढ़ी वालों के आचरण इस प्रकार के हैं जिनको लेकर युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है ? और उसके द्वारा वह आगे बढ़ेंगे ? इस सदन के बड़े बड़े राजनैतिक नेताओं ने केवल मुख्य मंत्री पद के लिए दलों को बदला है, बिना किसी कार्यक्रम को लेकर, बिना किसी नीति को लेकर । यहां मिसाल आप भावी पीढ़ी के सामने पेश करना चाहते है । दल बदल की परम्परा कोई अच्छी परम्परा नहीं है । फिर भी इस प्रदेश में दलबदलुओं की समस्या एक राजनीतिक समस्या बनी हुई है । यदि यह बुराई हमारे संसदीय प्रजातंत्र में आ गई है, तो क्या इसका यह अर्थ होगा कि विधान सभा भंग कर दिया जाए और देश से प्रजातंत्र का खत्मा कर दिया जाए । ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होना कदापि उचित नहीं होगा । कुछ भी हो हमें प्रजातंत्र को कायम रखना पड़ेगा । यूनियनों का विधिवत चुनाव होता है, उनकी एक चुनाव प्रणाली होता है, कार्य करने की एक प्रक्रिया और प्रणाली होती है जिसके अनुसार वे कार्य करती है। विद्यार्थी वहां पर प्रजातंत्र की पहली और प्रेक्टिकल शिक्षा ग्रहण करते हैं । आप प्रजातंत्र की उस शिक्षा से इन विद्यार्थियों को वंचित क्यों रखना चाहते है । विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अधिकार है कि वे इस असेम्बली केसदस्यों को चुने और उनको अधिकार है कि पार्लियामेंट के सदस्यों को चुने, लेकिन आज उनको यह अधिकार नहीं है कि वे अपने प्रेसिडेन्ट को चुनें, सेक्रेटरी को चुने और अपनी एक्जीक्यूटिव को चुनें । इसके पीछे कारण क्या है ? माननीय शिक्षा मंत्री कहेंगे कि इन यूनियनों के पीछे छात्रों का हाथ नहीं राजनीतिज्ञों का हाथ है । मैं इसके विरोध में कहना चाहता हूं कि इन यूनियनों को इस लिए नहीं खत्म किया जा रहा है कि इन में राजनीतिज्ञों का इंटरफेरेंस है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा भारी राजनीतिक षड़यन्त्र है । मिल मालिक तरह तरह की अपनी यूनियनें खड़ी करते है और जो असली यूनियनें है उसको मान्यता नहीं दी जाती । जो मालिक की यूनियन है उसको मान्यता दी जाती है । आप मानें चाहे न मानें यह हकीकत है कि इस प्रदेश के युवाजन, विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों के अन्दर

भारतीय क्रान्ति दल का कोई समर्थन नहीं है । उनमें अपना समर्थन पैदा करने के लिए भारतीय क्रान्ति दल जानबूझ कर चाहता था कि वहां अपनी कुछ यूनियनें बनाएं उनको मान्यता दें और किसी तरह से विद्यार्थी वर्ग के अन्दर जा कर फूट डालें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामकरन ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करता हूं और उन तमाम दलों से जिन्होंने इन तमाम अध्यादेशों की मुखालिफत की है उनसे निवेदन करता हूं कि या तो आप सरकार से यह स्पष्ट घोषणा करवा दें कि यह आर्डिनेंस वापस ले लें या अगर यह घोषणा नहीं की जाती तो मैं उनसे कहूंगा कि इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय रामकरन जी ने उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन , जो अनुदान की मांग है वह ज्यों की त्यों स्वीकार हो यह मेरा निवेदन है । जो विरोधी पक्ष में हमारे कुछ बड़े सम्मानित सदस्य बैठे है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय तिवारी जी, माननीय विकल जी, माननीय गेंदासिंह जी । परन्तु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं और वह यह है कि विरोध पक्ष की ओर से बठ कर कोई बात बड़े जोर शोर से कही जा सकती है । उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है । कि क्या बात कहें, और क्या न कहें । एक सीधा-सा प्रश्न है और वह यह है कि आप उस शासन के अन्दर सम्मिलित थे । आप क्यों भूल जाते हैं । आपके मंत्रियों का अनुपात उस समय १३ और बी०के०डी० का १० था । इस बात का आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया, चौधरी साहब ने कहा है कि उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण यह किया कि हमारी पार्टी इस अध्यादेश के विरुद्ध थी । लेकिन सारा देश जानता है, समाचारपत्रों और सभी प्रकार से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इन दो पार्टियों में प्रेमालाप था । वह इस अध्यादेश के कारण नहीं टूटा । वह इस कारण टूटा कि बी० के० डी० का विलय कांग्रेस में नहीं हुआ । मैं कहता हूं कि जिन पार्टियों ने अध्यादेश का विरोध किया आज भी वह अध्यादेश का विरोध करती हैं । हम शब्दों के साथ बंधे नहीं हैं । हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की शिक्षा हो । कालेजों के अन्दर ऐसे लोग सम्मिलित न हों जो उनकी पढ़ाई को खराब करना चाहें । माननीय गोविन्द सिंह नेगी भाषण दे रहे थे । आज उनकी कोई भी दलील हिन्दुस्तान के कालेजों के अन्दर नक्सलवादियों को पनपने नहीं देगी । हम इस बात का विरोध करेंगे । अध्यादेश के अन्दर यदि ऐच्छिक प्रतिबन्ध की बात कही गयी है तो अनिवार्यता किसी न किसी रूप में लायी जा सकती है । आप उन शब्दों के फेर में न पड़ें । हम विद्यार्थियों से दूर नहीं हैं । हम जानते हैं और आप भी जानते हैं । हम भी विद्यार्थियों से सम्बद्ध रहते है । हमारे बच्चे भी स्कूल और कालेजेज में पढ़ते हैं । मैं कैसे उनके साथ अन्याय कर सकता हूं । कौन-सी सरकार विद्यार्थियों के साथ अन्याय करके टिक सकती है । हमारे विचार इस सम्बन्ध में अध्यादेश के बारे में सदन में आने वाले हैं किन्तु आप उसके पहले ही कटौती का प्रस्ताव ले आये । हमें छूट दे दी गई कि वह लेबर से लेकर बंगाल तक की चर्चा कर दें । आज सभी लोग चाहते हैं कि जो हमारे नवयुवक हैं उनका ऐसा विकास हो कि वह अमेरिका और रूस के वैज्ञानिकों का मुकाबला कर सकें । इस देश के अन्दर जो लोग रूस के इशारे पर काम कर रहे हैं वह ऐसा नहीं चाहते हैं ।

श्रीमन्, यह जो अनुदान है इसके बारे में बहुत समाजवाद की बात कही गई । मैं आपका आभारी हूं कि आपने थोड़ी-सी छूट दे दी है कि हम लोग इस विषय में चर्चा कर लें ।]

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने ऐसा नहीं किया है, आपने स्वयं कर लिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं आपका आभारी हूं । एक बात बड़े जोर शोर से कही जाती है और वह यह है कि जो लोग उस ओर बैठे हैं वह देश की तरक्की के लिये चाहे वह विद्यार्थी हों, अध्यापक हों, और चाहे यूनिवर्सिटी के गैर शिक्षक कर्मचारी हों, उनके लिये उनको बड़ी भारी चिन्ता है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली असेम्बली का रिकार्ड देख लिया जाय । उसमें सरकार के कारनामें देख लिये जायं । मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब तक वह इस सरकार में रहे विद्यार्थी, अध्यापक या गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिये कुछ भी नहीं किया है । यदि कुछ किया है तो उनके विरोधी में किया है। जब कि हमारी भावना यह है और इस की घोषणा भी हो गई है कि अध्यापकों को समय पर वेतन मिलेगा । इसी तरह यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को भी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के अनुसार वेतन देने पर विचार हो रहा है और वह उनको मिलेगा । जो विद्यार्थियों को बन्दी बनाया गया हम उस सम्बन्ध में अपनी जबान बन्द नहीं करेंगे । इसी तरह से गैर शिक्षक कर्मचारियों को जब बन्दी बनाया गया तो हमने इसका विरोध किया और बराबर इसका विरोध करेंगे लेकिन श्रीमन् इस पर विचार किया जाय कि यह जो अनुदान हैं उसमें महंगाई भत्ता बढ़ना है । हमारे मित्र कहते हैं कि हम महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाते हैं तो हम उस अनुदान को ला रहे हैं लेकिन उसका भी विरोध कर रहे हैं और कटौती का प्रस्ताव लाये है । तो मान्यवर ऐसा तो अकल का दिवाला निकलने पर ही किया जा सकता है ।

विद्यार्थियों की यूनियनों की अनिवार्यता के बारे में यहां बहुत कुछ कहा गया है । अध्यादेश के बारे में हमारी पार्टी के जो विचार हैं और अन्य पार्टीज के जो विचार है वह आपके सामने हैं । लेकिन आज जो हमारे सामने विषय है वह यह है कि जो छात्र हैं, अध्यापक हैं उनकी बेहतरी कैसे हो । माननीय तिवारी जी ने जो आज मुख्य सचेतक विरोध पक्ष में हैं आपके सामने कुछ दलीलें रक्खी थीं । उन्होंने कहा था कि जो अनुदान आया है उसमें सरकार की नीति और कार्य कलापों का प्रतिबिम्ब नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इन अनुपूरक मांगों के अन्दर प्रतिबिम्ब देखना चाहते हैं लेकिन जब आपने कुछ समय पूर्व एक मोटा बजट रक्खा था तो उससे नीतियों का प्रतिबिम्ब तो क्या उसकी छाया भी नहीं थी । आज आप समाजवाद की बात कहते हैं लेकिन आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे विद्यार्थियों या अध्यापकों का लाभ हुआ हो । आपके समय में महंगाई भत्ते में दो रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया है ।

मैं यह जानता हूं कि पिछली सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों के नये वेतन के अन्दर जो वृद्धि की थी उसको भी पिछली सरकार ने लागू नहीं होने दिया और उसका कार्यकलाप समाप्त हो गया ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, आपने अभी एक माननीय सदस्य को पौन घंटे का समय दिया और मेरे पांच मिनट बोलने पर लाल बत्ती जला दी । कोई तो मापदंड होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

पौने चार बजे माननीय मंत्री बोलेंगे और ४ बजे वोट होगा समय कम है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो ट्रेनिंग दी जा रही है दूसरों को न बोलने देने की यह ठीक नहीं है । हम श्रीमन् हमेशा जब उस ओर से माननीय सदस्य बोलते हैं तो सुनने का प्रयत्न करते हैं । परन्तु यदि यह ट्रेनिंग उधर से दी गयी तो मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र की बात कांग्रेस के मुंह से अच्छी लगती है । साम्यवादी लोगों के मुंह से तो वह यों ही अच्छी नहीं लगती क्योंकि वहां तो उसका नाम लेने वाले को गोली मार दी जाती है ।

श्रीमन्, एक अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त करूंगा । राष्ट्रीयकरण की बात कही गयी कि शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । यहां सदन में कहा गया कि जब कभी राष्ट्रीय-

करण की बात होती है तो हम में से कुछ लोगों को चिढ़ होती है । श्रीमन् मैंने उस दिन भी कहा था कि राष्ट्रीयकरण के नाम से कोई आपत्ति नहीं, राष्ट्रीयकरण करें लेकिन कुछ सीमाएं निर्धारित करनी होंगी कि राष्ट्रीयकरण किस हद तक हो, किन किन चीजों का हो । बैंक का राष्ट्रीयकरण किया । नतीजा यह है कि डिपाजिट्स कम हो गये, एफीशिएन्सी कम हो गयी, नुकसान में काम जाने लगा । आप राष्ट्रीयकरण करना चाहते है शिक्षा का, आप कर दें लेकिन आपके पास कोई आधार है कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर भ्रष्टाचार नहीं है । पब्लिक सेक्टर के अन्दर अगर भ्रष्टाचार करोड़ का है तो प्राइवेट सेक्टर के अन्दर लाख का होगा । भ्रष्टाचार दोनों के अन्दर है । इन दोनों इविल्स में से हमें छांटना है । आप राष्ट्रीयकरण के सब पहलुओं पर विचार कर लें । हम तो कहते हैं कि शिक्षा को अध्यापकों के सुपुर्द कर दें और इसका अध्यापकीकरण कर दें । सरकार के हाथ में देने की आवश्यकता ही नहीं है । यह राष्ट्रीयकरण की बीमारी सब जगह नहीं चल सकती । आपने कहा कि कुछ रजवाड़ों की प्रीवी पर्स खत्म कर दी । मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के हाथ में, संजीव गांधी के हाथ में स्माल कार का कारखाना देकर संजीवीकरण कर दिया है, एक और रजवाड़ा क्रिएट कर दिया है ।

(व्यवधान)

इनको संजीव गांधी के नाम से, इन्दिरा गांधी के नाम लेने से बड़ी चिढ़ लगती है, अगर मुझसे यह कहें कि उनका नाम लेना छोड़ दूं तो छोड़ दूंगा लेकिन श्रीमन् मेरा निवेदन यह है कि हर चीज का एक ही इलाज राष्ट्रीयकरण नहीं होता । इसलिये मेरा निवेदन है कि शिक्षा के बारे में जो सुझाव दिया है उस पर विचार करें और एक एक्सपर्ट कमेटी के सुपुर्द करें और उसके बाद निर्णय दें । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस कटौती के प्रस्ताव के विषय में मैंने माननीय शम्भूनाथ चौधरी और नित्यानन्द स्वामी जी के सुझाव सुनें । इस प्रदेश के अध्यापकों को १५०० रु० मंहगाई भत्ता देकर प्रदेश के अध्यापकों को तिलक भी नहीं लग सकता । अगर तिलक भी लगाया जाय तो वह तिलक भी नहीं लग सकता । १५०० रु० देकर आप बड़ा भारी महंगाई भत्ते का श्रेय लूटना चाहते है । सस्ती प्रसंशा आसानी से मिलने वाली नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शम्भूनाथ चौधरी ने एक आक्षेप किया कि त्रिपाठी जो विरोध करते रहे और उनके मंत्री मंत्री बन रहे इस अध्यादेश को पास करने पर । यह चीज तो वास्तव में शम्भू नाथ जी पर अधिक घटित होती है । जिस समय एस० एस० पी० के सदस्य जेलों में जाते रहे वे यहीं सरकार में बैठे रहे । आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार केवल दो बातों पर ही जिन्दा है एक तो यह कि हम मिनिस्ट्री का एक्सपेन्शन करें । वह कहते है कि हरियाणा में यह बढ़ गई ।

(व्यवधान और शोर)

उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह जैसे इस प्रदेश के नेता का मैंने बयान सुना है और मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब उसका खंडन कर दें ।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि खर्च कैसे कम हो और इसको कैसे कम किया जाय । चौधरी साहब कहते हैं कि छोटी कोठी, छोटी कार और छोटी कैबिनेट होगी और यह कह रहे है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा । मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि क्या यही नीति है कि हम खर्च में कमी करें । मान्यवर, जिस दिन यह निश्चित हो जायेगा कि यह सरकार किस तारीख तक बढ़ेगी क्या उसके बाद यह सरकार टिकेगी । निश्चित तिथि तय हो जाने के बाद यह सरकार कभी नहीं टिक सकती । (व्यवधान और शोर ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामचन्द्र विकल]

मान्यवर, मैं एक बात विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई आदमी बीमार पड़ गया। उसको सौंफ, सनाय और शक्कर का नुक्सा बता दिया गया और उसने उसको खा लिया। उसका पेट साफ हो गया। अब वह हकीम बन गया अब तो उसने यह जान लिया हर एक मर्ज के लिये यह नुक्सा अच्छा है और उसका वह हर मर्ज के लिये प्रयोग करने लगा। मान्यवर, मैं मंत्रियों के भाषण सुनते-सुनते तंग आ गया कि केन्द्र सरकार नहीं कर रही है और केन्द्र सरकार ही उनका एक नुस्खा बन गई है चाहे सवाल कोई भी क्यों न हो। मान्यवर, अभी तक तो मैंने सुना था कि मरने के बाद कोई भूत बनता है परन्तु इन्दिरा गांधी तो जिन्दा ही इस प्रदेश के लिये भूत बन गई है चाहे योजना का सवाल हो अथवा अन्य कोई भी सवाल को उठा लें लेकिन उसका राजाओं के प्रीवीपर्सों से क्या सम्बन्ध हो सकता है, इस बात का जवाब दें। यहां तो प्रदेश की शिक्षा की प्रगति का सवाल है।

(शोर)

एक सदस्य—

हम प्रधान मंत्री की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, परन्तु कोई भी माननीय सदस्य स्वयं उनको भूत कहकर सम्बोधित करे, यह हम सहन नहीं कर सकते। माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस लें।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं शब्द को वापिस लेने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की कुछ नीतियों की घोषणा माननीय शम्भू नाथ चौधरी करते हैं और कुछ घोषणायें हमारे माननीय नित्यानन्द स्वामी जी करते है कि सरकार इस विधेयक को दूसरे शक्ल में ला रही है और उसको वापिस ले लेगी, लेकिन मान्यवर ऐसी कोई घोषणा सरकार की ओर से किसी जिम्मेदार मंत्री ने नहीं की। अगर आज यह घोषणा हो जाय अध्यादेश के वापिसी की तो हम भी अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि शिक्षण संस्थायें बन्द है, विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं इसमें हमारा कसूर है.....

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

निश्चित रूप से आपका कसूर है।

(शोर)

श्री रामचन्द्र विकल—

श्री जगदीश गांधी की बात सही हो सकती है क्योंकि यह भी तो एक पाये हैं सरकार के, मिनिस्टर की ओर से एलान कर सकते है। इनको तो चीफ मिनिस्टर से ज्यादा अधिकार है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह विधेयक जिस शक्ल में आया है उसे आप पास नहीं करा सकते। इस गलत अध्यादेश के जरिये प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में, प्रदेश के विद्यार्थी वर्ग में जो असन्तोष है, उसके लिये यह अध्यादेश दोषी है, इस अध्यादेश को लाने वाले दोषी हैं और इसका समर्थन करने वाले दोषी हैं। आपको या तो अध्यादेश को वापिस लेना होगा अन्यथा आप उसे पास नहीं करा सकते हैं।

एक शब्द और निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो विद्यार्थियों को मजबूर करने के लिये यह अध्यादेश ला रहे हैं, आप इस बात को भी ध्यान में रखिये कि आप अपना राजनैतिक संगठन

इन विद्यार्थियों के द्वारा ही चलवा सकते हैं, चाहें वह जनसंघ हों या चाहें कम्युनिस्ट हों। विद्यार्थियों से आप अपने संगठन चलवा सकते हैं लेकिन विद्यार्थी अपनी मरजी से अपना यूनियन नहीं चला सकते। आज विद्यार्थी गुमराह नहीं है। आज विद्यार्थी इस बात को समझता है कि आप उन्हें राजनैतिक हथकंडा बनाने के लिये कुछ आदमी यूनिवर्सिटी में बनाना चाहते हैं। मैं सच्चाई से यह कह देना चाहता हूं कि इस अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव रखूंगा और मैं निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं कि या तो यह अध्यादेश वापिस होगा या तो यह सरकार खतम हो जायगी। कोई दूसरी बात नहीं हो सकती।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राम करन जी के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीपति मिश्र---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर मेरी बात सुनने की कृपा करें। अभी-अभी विकल जी ने अपनी बात खत्म करते हुये अध्यादेश और यूनियन के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हऔर जो विचार उन्होंने व्यक्त किये मुझे ऐसा लगता है उनका यह कहना कि छात्र यूनियन और अध्यादेश पास ही नहीं हो सकता तर्क संगत नहीं है। ५ पार्टीयों की यह सरकार इधर बनी हुई है। अपनी पार्टी से तो फेल होता नहीं। एक पार्टी वह बैठी हुई है जो पहले सरकार में थी। तीन पार्टीज जरूर शेष रह गयी हैं जिनमें से एक के नेता विकल जी हैं, दूसरी के नेता श्री नेगी तथा तीसरी के श्री रामकरन जी (व्यवधान) अब आप समझें कि ४२५ के हाउस में तीन पार्टीज के ७ सदस्य अगर इस अध्यादेश के खिलाफ हों तो कैसे हम यह समझें कि उनके खिलाफ होने से यह नहीं चलेगा, हमारी समझ में तो यह आता नहीं। मैं तो समझता हूं कि जरूर चलेगा।

मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि बच्चों के बारे में एक बात बराबर कही गयी कि साहब हमने उनको अनिवार्य सदस्यता से वंचित कर दिया है। इससे प्रजातन्त्र का हनन हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यादेश है क्या, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया आगे होगी? दो मिनट में मैं उसे बतलाऊंगा और अन्त में शेष बातों का वर्णन कर दूंगा।

एक बात माननीय विकल जी ने यह कही १,५०० रुपयों में अध्यापकों के टीका भी नहीं लगेगा लिहाजा इस अनुदान को मंजूर करके क्या होगा? इधर से एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि आप तो मंत्रि परिषद् में रह चुके हो, ऐसा नहीं कहना चाहिये। यह तो प्रतीक मांग है और यह वह मांग नहीं है जो होगी। इसलिये इससे आप यह न समझें कितनी वह मांग होगी इसको आपको समझना चाहिये था लेकिन आपने नहीं समझा तो मैं क्या कह सकता हूं?

इसके बाद मैं सभी साथियों से यह निवेदन करूंगा कि जितनी शिक्षण संस्थायें हैं, जितने हमारे नौजवान साथी उन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रहे हैं एक प्रक्रिया उसमें यह थी कि यूनियन के लिये कम्पलसरी फीस जमा की जाय जब उनसे फीस ली जाय। इस अध्यादेश में कम्पलसरी फीस को बन्द करने की बात नहीं हुई है। इस अध्यादेश में यह बात की गयी कि हम इस अध्यादेश के द्वारा हमने यह अधिकार लिया कि हम विश्वविद्यालयों तथा उनकी यूनियन्स के सम्बन्ध में स्टैट्यूटस बनायेंगे, परिनियम बनायेंगे (व्यवधान) इस अधिकार को लेने के पश्चात् यह तय हुआ कि इसके संबंध में परिनियम बनाये जायं और इस बीच में चूंकि सरकार ने इस अध्यादेश के द्वारा परिनियम बनाने के लिये अधिकार लिया था, इस बात का उपक्रम किया कि किस तरह से ये परिनियम छात्र यूनियन के सम्बन्ध में बनाये जायं और चूंकि एक नये परिनियम बनाये जा रहे थे। इसलिये उसी बीच में यह आदेश जारी हुआ कि उनका जो कम्पल्सरी पैसा या फीस है वह वसूल न हो और उसके अन्तर्गत यहा तब तक रोका गया जब तक इसका परिनियम बनकर नहीं आये। वह अभी आपके सामने नहीं आया है। मेरे इधर के कुछ साथियों ने यहां पर यह भी कहा है और ठीक ही कहा है कि वह अभी तक आपके सामने नहीं आया है जब वह बनकर आ जायेगा तब कहना।

[श्रीपति मिश्र]

मैं कहता हूं कि जब वह परिनियम बनकर आपके सामने आ जायेगा तब आपको मौका मिलेगा देखने का कि यह विद्यार्थियों के हित में है या नहीं । बिला उसको देखे और बिला उसके सामने आये जो कि वास्तविक नियम है जिसके अनुसार ये यूनियनें चलेंगीं उसकी वास्तकिता को देखे बिना इस कानून को वापस लेने के अधिकार की बात आप हमसे कहते हैं तो मैं कहता हूं कि जब वह नियम बनकर आपके सामने आ जाय, उसे आप देखें, उसे समझें और यदि उसमें आप को कोई ऐसी चीज दिखाई पड़े जो कि क्षात्र के हित में न हो या आप उसको देखकर इस नतीजे पर पहुंचें कि इससे विद्यार्थियों को लाभ नहीं है तो आप मुझे सुझाव दें मैं उसको मानने के लिये तैयार हूंगा । बिना यह सोचे समझे सिर्फ यह कह देना कि आर्डिनेन्स वापस लो, आर्डिनेन्स वापस लो और इसी के नारे के पीछे आप दौड़ते रहें तो वहां जाकर हम आपका पीछा नहीं करेंगे । आप केवल इस नारे के पीछे दौड़ रहे हैं । वास्तविक बात तो यह है कि जब इसका परिनियम बनकर आ जायगा, उसको आप देखें कि उसमें क्या है, क्या-क्या खामियां उसमें हैं, छात्रों का उससे हित होता है या नहीं तो इसको देखे बिना बार-बार यह नारा लगाते रहना कि इसको वापस लो, अच्छी चीज नहीं होगी ।

श्रीमन्, मैं तीसरी चीज आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं यह समझता हूं और पार्टी के लोग भी इस चीज को समझते हैं कि छात्रों के बारे में जो यह आप सस्ती सिम्पैथी रखते हैं उससे हमको नुकसान हो सकता है हम समझ सकते हैं कि छात्रों के प्रति दुर्भावनायें फैलाकर आप नुकसान पहुंचा सकते हैं इस बात को ध्यान में रखकर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा वातावरण बनायें जिससे छात्रों को नुकसान न पहुंचे । छात्रों में एटमोस्फियर बनाने की बात है । यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि छात्रों में एडमोस्फियर नहीं बना है । (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जो अपनी राय प्रकट कर रहे हैं या सरकार की राय प्रकट कर रहे हैं । क्या एस० एस० पी० के लोग भी इस राय से सहमत हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र---

मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब मंत्रि-परिषद् का कोई व्यक्ति बोलता है तो वह किसकी राय प्रकट करता है ? सरकार की ही वह राय होती है ।

श्रीमन्, में आपसे आगे यह कहना चाहता था कि अध्यापकों के बारे में, शिक्षकों के बारे में, गैरशिक्षकों के बारे में और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के बारे में केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी यही सबसे बड़ी बात होगी कि उस तरफ बैठने के साथ-साथ आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उधर बैठकर आप क्या बोल रहेहैं, आपके बोलने से कहीं बैलेंस तो खराब नहीं हो जायेगा । माननीय नेगी जी को उधर बैठने में दिक्कत हो रही है इसीलिये वे समझते हैं कि अधिक बोलने से शायद बैलेंस ठीक हो जाय । तो श्रीमन्, यहां पर राजनीतिक षड़यंत्र की भी बात कही गई है । राजनीतिक षड़यंत्र से और विशेष रूप से कहा गया है कि बी० के० डी० इस आर्डिनेन्स को लाना चाहता है । मैं साफ कह देना चाहता हूं कि बी० के० डी० का विद्यार्थियों में कोई यूनियन बनाने का निश्चय उसका नहीं है । वह विद्यार्थियों में कोई यूनियन नहीं बनाना चाहता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें किसी तरह का षड़यन्त्र नहीं हो सकता ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

यह युवक क्रान्ति दल क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जो सदन में बात आ चुकी है मैं उसका जबाब देने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। दूसरी बात का जवाब बाहर अगर चाहेंगे तो अवश्य दूंगा ।

अब अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि अध्यापकों और विद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के बारे में हमने निर्णय लिये हैं । गैर शिक्षक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता के बारे में हमने निर्णय लिया है । प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के महंगाई भत्ते के बारे में हमने निर्णय लिया है । अध्यापकों का वेतन खजाने मे मिले या बैंक से मिले, उनको पूरी तनख्वाह मिले और समय से मिले, इसके बारे में भी हमने निश्चय किया है । उसके बारे में हम इसी सत्र में आने के लिये तैयार हैं । इन बातों के बारे में हमने निर्णय लिया है फिर भी आप कहें कि वे तो हमने आपके दबाव के कारण किया या हमने कुछ किया ही नहीं, अगर आप इस प्रकार का भ्रम फैलायेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है।

अब मैं आपसे केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सारे साथियों के लिये यही एक कसौटी है । एक ओर तो हम राजनीति में रह कर बच्चों को राजनीति सिखाना चाहते हैं और दूसरी ओर अपने बच्चों के बारे में यह सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी संस्थाओं में पढ़े जहां शांति के साथ अध्यापन का कार्य होता हो । हम अपने बच्चों के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचते कि हमारे बच्चे झंडा लेकर १४४ भंग करें लेकिन दूसरों के बच्चों को प्रजातन्त्र के नाम पर इस प्रकार से गुमराह करते हैं । क्या यही उपदेश आप अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं । आप अपने हृदय पर हाथ रख कर इस बारे में सोचें । अगर इस प्रकार की दुहरी बात हम करेंगे तो वह न विद्यार्थियों के हक में होगा न अध्यापकों के हक में होगा ।

(इस समय ३ बजकर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री अध्यक्ष---

अब मैं कटौती के प्रस्ताव पर मत लिये लेता हूं ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मुझे जवाब का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

अब नहीं मिल सकता । वह तो मंत्रीजी के बोलने के पहले ही मिल सकता था ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई ।)

जो माननीय सदस्य जानते हों कि बाहर के लोग यहां मौजूद हैं कृपा करके उनसे कह दीजिये कि वे बाहर चले जायं ।

श्री सुखपाल पांडेय---

श्रीमन्, मंत्री लोग प्रभाव डालते हैं । इसलिये वे अपनी जगह पर बैठ कर मतदान करें। ऐसा प्रबन्ध करने की कृपा कीजिये ।

श्री गोविन्द सिंह---

श्रीमन्, कल के तजुर्बे के आधार पर निवेदन यह है कि बक्से यहां मंगा लिये जायं और सदन के अन्दर मतदान हो । कल शिकायत आई कि झूठे दस्तखत किये गये हैं । इसलिये "हां" और "ना" के बक्से सदन में रखवा दिये जायं । यह प्रक्रिया पहले भी एक दफा हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष--

आज बदल नहीं सकता है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान कल की घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं । कल माननीय पन्नालाल जी की बड़ी खींचतानी मची जिससे उनका नाखून खुल गया । पन्नालाल जी मौजूद हैं यदि आप चाहें तो वह दिखा सकते हैं इस आधार पर जो कुछ हो रहा है वह नहीं होना चाहिये । जो मंत्री लोग घूम रहे हैं उनको मार्शल के जरिये बुलवाइये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक दूसरे के गले में हाथ न डालें, यह गलत चीज है ।

(व्यवधान)

आप अपनी जगह पर कृपा करके बैठिये । मैं फिर से पुट किये देता हूं ।

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और विभाजन की प्रक्रिया जारी होने पर)

श्री रामचन्द्र विकल--

अध्यक्ष जी, आपने कल के मतदान के सम्बन्ध में कहा था कि मै सभी पार्टियों के नेताओं को बुला कर मशिवरा करूंगा । आपने वह भी नहीं किया । हम यह मांग करते है कि आप यहां डिब्बे रखवाइये और उसके बाद वोटिंग कराइये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं बता रहा हूं ताकि आप देख लें कि कोई जाली दतस्खत न हों । १३ सदस्य नहीं हैं ।

(१) श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह,
(२) श्री विक्रम सिंह,
(३) श्री हरिहरबख्श सिंह,
(४) श्री गुप्तारसिंह,
(५) श्री रामलखन शुक्ल,
(६) श्री राजेन्द्र सिंह,
(७) श्री जगनप्रसाद रावत,
(८) श्री कृपादयाल,
(९) श्री शिवसम्पत्ति शर्मा,
(१०) श्री आनन्द ब्रह्मशाह,
(११) श्री शेर अली खां,
(१२) श्री ऋषिपालसिंह,
(१३) श्री नरोत्तम ।

ये फिलहाल अभी नहीं है सूचना के अनुसार । देख लीजिये कहीं दस्तखत न हो जायं ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

इन्होंने जो लिस्ट बताई है वह लिस्ट गलत है। श्री ऋषिपालसिंह बैठे हुए हैं।

श्री सुखपाल पांडेय—

सदन में जिनके नाम तिवारी जी ने बतायें हैं कृपया उनको हमारे मंत्री जी बुला लें।

श्री अध्यक्ष—

आप नाम बताये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री विक्रम सिंह.....श्री.....

(शोर और व्यवधान के बीच)

(सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

पक्ष में—१७३

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अब्दुल, गफ्फार हाशमी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी, श्रीमती
काजी मसूद, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चेत राम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
तेज नारायण, श्री
तेजपाल, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री

दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (मुजफ्फर नगर)
धर्मसिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाब)
पन्नालाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रकाशनारायन, गुप्ता डाक्टर
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बच्चा पाठक , श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल श्री
भगौती सिंह, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री

राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेश्वरसिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शमीम आलम, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवा नन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री

शुकरू, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीशचन्द्र, श्री
सजीवन लाल, श्री
सन्तराम, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरवंश प्रसाद, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री

विपक्ष में--२२४

अजबसिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
कोरी सुखलाल, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
घासीराम, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री

दीपनारायण मणि, श्री
दवन्द्र सिंह, कुंवर
धर्मवीर, श्री
धमवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धूम प्रसाद, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नतरामसिंह, श्री
ननसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
परसाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बदनसिंह, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री, (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला बाराणसी)
बजराज सिंह, श्री
भगवतदयाल सिलोइया, डाक्टर
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसालीदेवी, श्रीमती
महरमसिंह, श्री
महातम, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल रैदास, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघवीरसिंह यादव, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपालसिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुरीफे खां, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
बीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रसन्न शर्मा, श्री
शिवकैलाश, श्री
शिव दास, श्री
शिवपालसिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शेरसिंह दारू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्यामलाल, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्ता, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीरामसिंह, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियाराम, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनरायन, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने गलत सूचना देकर सदन का अवमान किया है, जगदम्बा प्रसाद का वोट उधर पड़ा है। त्रिलोकी सिंह जी मौजूद हैं, उनका वोट इधर पड़ा है। मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने मेरा नाम भी लिया है, जबकि मैं यहां मौजूद हूं, मैं भी उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैंने विक्रम सिंह जो मेरठ के हैं उनके लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत १,५०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—चिकित्सा

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास कपूर)—

मैं अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत ३,६४,००० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत ३,६४,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास

कृषि राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ४,७०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत ४,७०,१०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन

पशुपालन मंत्री (श्री बिशन लाल)—

श्रीमन्, राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत १९,७७,७०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत १९,७७,७०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४--सहकारिता

सहकारिता उप मंत्री (श्री महीलाल)---

श्रीमन्, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४--सहकारिता के अन्तर्गत २,०८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न है यह कि अनुदान संख्या २४--सहकारिता के अन्तर्गत २,०८,३०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५--उद्योग

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)---

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५--उद्योग के अन्तर्गत २०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--उद्योग के अन्तर्गत २०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उपमंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)---

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १८,४२,८०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६--नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १८,४२,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सागर)---

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९--अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत १,५७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत १,५७,९०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ५,००,००० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत ५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताप करता हूं कि अनुदान संख्या ३२–सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत १२,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२-सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत १२,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत ४,०२,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत ४,०२,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार

श्री रामधारी शास्त्री---

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--- संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३५--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान

श्री रामधारी शास्त्री---

मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता

राजस्व उपमंत्री (श्री रामवचन यादव)---

मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--- दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ३,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८---दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ३,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४१--लेखन सामग्री और मुद्रण

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)---

मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१--- लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय

सहकारिता उपमंत्री (श्री महीलाल)—

मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह)—

मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५-नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—नागरिक सुरक्षा और अन्य संगठन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

कृषि राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप)—

मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १०,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १०,००,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८––औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८-औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ११,२४,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष----

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८––औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ११,२४,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री कल्पनाथ सिंह––

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १३,३७,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०––सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १३,३७,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१––सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री रामधारी शास्त्री––

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२––सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्रीमती इन्द्रमोहिनी––

मैं राज्यपाल, महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुद संख्यान' ५२–सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २०४४,६०० रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २०,४४,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त राज्य मंत्री (श्री रामसिंह खन्ना)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५–ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १३,८३,९५,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५– ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १३,८३,९५,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के लिए स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७०

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाश प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

विधेयक का नम्बर भी १९७० है ?

श्री कैलाश प्रकाश—

विनियोग विधेयक, १९७० है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अभी तो विचार किया जायगा ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३ अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७०

३१ मार्च, १९७१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९७०–७१ के लिए २९,५५,५५,४०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९७१ ई० को समाप्त होने वाल वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग २९,५५,५५,४०० रुपये (केवल उन्तीस करोड़ पचपन लाख पचपन हजार चार सौ रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९७१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं ।

अनुसूची

(धारायें २ व ३ देखिये)

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२	भू-राजस्व ..	५६,०३,१००	५,५००	५६,०८,६००
३	राज्य आबकारी ..	६०,०००	..	६०,०००

१	२	३		
		रु०	रु०	रु०
४	बिक्री-कर ..	८३,४००	..	८३,४००
८	राज्य विधान मंडल ..	२००	२५,०००	२५,२००
१०	सामान्य प्रशासन ..	३६,१००	..	३६,१००
११	आयुक्त और जिला प्रशासन	३५,५१,३००	४८,२००	३५,९९,५००
१३	न्याय प्रशासन ..	२,५६,१००	..	२,५६,१००
१५	पुलिस ..	५३,६७,१००	१४,४००	५३,८१,५००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	९५,०००	..	९५,०००
१८	शिक्षा ..	१,५००	१,६९,८००	१,७१,३००
१९	चिकित्सा ..	३,६४,०००	९७,५००	४,६१,५००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	४००	..	४००
२१	कृषि संबंधी विकास ..	४,७०,१००	..	४,७०,१००
२३	पशुपालन तथा मत्स्य पालन	१९,७७,७००	२,६००	१९,८०,३००
२४	सहकारिता ..	२,०८,३००	..	२,०८,३००
२५	उद्योग ..	२००	१,१००	१,३००
२६	नियोजन और समन्वय ..	१८,४२,८००	४,५००	१८,४७,३००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	१,५७,९००	..	१,५७,९००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	५,००,०००	..	५,००,०००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	१२,००,१००	..	१२,००,१००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ..	४,०२,८००	५०,०००	४,५२,८००
३४	संचार साधनों का सुधार ..	१००	..	१००
३५	सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान	१००	..	१००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	३,००,००,०००	..	३००,००,०००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण	१००	..	१००
४३	प्रकीर्ण व्यय ..	४००	..	४००
४५	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन ..	२००	..	२००
४७	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	१०,००,००,०००	६,२००	१०,००,०६,२००
४८	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	११,२४,३००	..	११,२४,३००
५०	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	१३,३७,८००	४७,७००	१३,८५,५००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	१,५००	..	१,५००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	२०,४४,६००	..	२०,४४,६००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	१३,८३,९५,७००	..	१३,८३,९५,७००
	योग ..	२९,५०,८२,९००	४,७२,५००	२९,५५,५५,४००

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २,३ अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाश प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनयोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज कोई कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं है लेकिन ५१ के आये हैं :

(१) काशीपुर, जिला नैनीताल की पुलिस द्वारा श्री नन्द किशोर को पीटने तथा फलस्वरूप उसकी मृत्यु होने के संबंध में मैंने प्रार्थना की है कि कल इसको उपस्थित करें ।

(२) जिला वाराणसी में कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी के कार्यालय पर आक्रमण करने, सामग्री लूटने तथा आग लगाने के संबंध में छांगुर राम का प्रस्ताव है । मैंने १८ तारीख के लिए इसको मंजूर किया है ।

(३) माननीय रामगोपाल संड ने राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता न मिलने के कारण कर्मचारियों द्वारा १५ जनवरी, १९७० से हड़ताल घोषित करने के संबंध में प्रस्ताव रक्खा है। यह मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

(४) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने भारत हैवी एलेक्ट्रीकल लिमिटेड हरिद्वार के लिए ली गई जमीन का मुआवजा किसानों को न देने तथा अप्रयोजनार्थ पड़ी जमीन को, किसानों को वापस न करके, उसे भूमिहीनों में वितरित करने के सरकारी फैसले के संबंध में लिखा है । सन् ६१ का मामला है । मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है।

(५) श्री रघुनाथ सिंह ने कानपुर जिले में रामगंगा नहर से निकली माइनर के बहाव का मार्ग बदल जाने के फलस्वरूप माइनर के लिये अधिगृहीत जमीन को किसानों को वापस दिलाने के संबंध में लिखा है । इसके लिये मैंने केवल वक्तव्य देने की इजाजत दी है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैंने जो राज्य कर्मचारियों के लिए दिया था उस पर मुख्य मंत्री जी से एक वक्तव्य तो दिलवा दीजिये । १६ जनवरी को वे मास कैजुयल लीव लेने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप कल फिर दे दीजिये । मैंने दो स्वीकार कर लये हैं ।

श्री रामचरन (जिला आगरा)—

मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत कल सूचना दी थी ।

गन्ना उत्पादकों का मिलों पर बकाया तथा एच० आर० शूगर फैक्टरी द्वारा गन्ने की पर्चियों पर कीमत न डालने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मेरे दफ्तर में आप दूछ लें।

अब यह है गन्ना उत्पादकों के मूल्य का मिलों पर बकाये तथा एच० आर० शुगर फैक्टरी द्वारा गन्ने की खरीद की पर्चियों पर कीमत न डालने के सम्बन्ध सर्वश्री गेंदा सिंह, चेतराम गंगवार तथा भानु प्रताप सिंह द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य। मैंने दोनों को मिला दिया है।

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उपमंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली ने पेराई हेतु गन्ने की खरीद २ दिसम्बर, १९७० से मिल द्वारा तथा ३-४ दिसम्बर, १९७० से बाहरी क्रय केन्द्रों पर प्रारम्भ की थी। मिल ने २, ३, व ४ दिसम्बर, सन् १९७० को की गई खरीद पर कीमत नहीं डाली थी। उनका कहना था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सीजन के लिये निर्धारित की गई कीमत के विरुद्ध उन्होंने अपील कर रखी है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सीजन के लिये इस मिल के क्षेत्र में रु० ७.५० मिल द्वारा तथा रु० ७.१८ बाहरी केन्द्रों पर गन्ने की कीमत निर्धारित की गयी है जब कि गत वर्ष मिल द्वारा पर रु० ७.३७ तथा बाहरी केन्द्रों पर रु० ७.०५ प्रति कुन्टल का भाव था। जैसे ही इस बात का पता लगा, सम्बन्धित अधिकारियों ने मिल प्रबन्धक से कह कर के ६ दिसम्बर, १९७० से पर्चियों पर निर्धारित कीमत लगवानी शुरू कर दी। १, २, ३ व ४ दिसम्बर में खरीदे गये गन्ने की कीमत भी निर्धारित दर से ही मिल ने समितियों को जिलाधीश के माध्यम से अदा कर दी है ५ दिसम्बर, १९७० को मिल ने कोई खरीद नहीं की।

बरेली चीनी मिल पर ३० नवम्बर, १९७० को १२.७० लाख रुपया गन्ना मूल्य तथा २.७६ लाख रुपया कमीशन का बकाया था जिसमे से क्रमश: केवल ५ ७३ लाख रुपया गन्ना मूल्य, २.६१ लाख रुपया सोसाइटियों कमीशन का ३० जून, १९७० से पहले की गन्ना खरीद का है और ६.९७ लाख रुपया गन्ना मूल्य तथा ०.१५ लाख रुपया सोसाइटी कमीशन जुलाई, १९७० में किये गये गन्ने के खरीद का है।

बकाये के वसूली के लिये जिला अधिकारी ने इस मिल के वास्ते ४ मार्च, १९७० को रिसीवर की नियुक्ति कर दी थी। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने फैसले दिनांक १९ मई, १९७० के द्वारा यह आदेश दिये कि रिसीवर इस मिल से हटा लिया जाये परन्तु यह मिल ३ जून, १९७० तक १० लाख रुपया जमा कर देगी, ३ जुलाई, १९७० तक ५ लाख रुपया जमा करेगी उसके बाद एक लाख प्रति माह यह मिल बकाये की और देती रहेगी। यह मिल उक्त आदेशों के अनुसार भुगतान कर रही है। साथ ही साथ यह भी आदेश था कि मिल गन्ना मूल्य जो गन्ना पेरा जावेगा समय से देगी। ३० जून के बाद मिल गन्ना नही पेरना चाहती थी क्योंकि इसकी रिकवरी बहुत कम हो गई थी और जुलाई के माह में इसकी रिकवरी केवल ४.०५ प्रतिशत रही है। अत: सम्बन्धित समितियों ने मिल के प्रबन्धक से यह तय किया था कि जुलाई में खरीद किये गये गन्ने का मूल्य व कमीशन का भुगतान अगले सीजन (१९७०–७१) के शुरू होने पर कर दिया जावेगा। जुलाई, सन् १९७१ के इस मिल ने १–११ लाख कुन्टल गन्ना पेरा यदि यह मिल जून के अन्त में बन्द ही जाता तो काश्तकारों को अति हानि होती।

गन्ना उत्पादकों का मिलों पर बकाया तथा एच० आर० शूगर फैक्टरी द्वारा गन्ने की पर्चियों पर कीमत न डालने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

इस मिल के ऊपर क्रय कर का २०–८० लाख रुपया ब्याज एवं शास्ति छोड़कर ३० नवम्बर १९७० तक अवशेष था ।

भारत सरकार ने इस मिल की जांच के वास्ते इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन ऐक्ट के अन्तर्गत बिना १०–११–१९७० को एक पैनल भी नियुक्त किया है । जिसने जांच कार्य आरम्भ कर दिया है ।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का कुल गन्ना मूल्य तथा क्रय कर का जो रुपया १–११–१९७० को देना बाकी था उसकी स्थिति निम्न प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

(१)	गन्ने का मूल्य	९११.७१
(२)	गन्ना कमीशन	१०३.१५
(३)	गन्ने के मूल्य एवं कमीशन पर सूद	१३०.५०
(४)	उप कर क्रय कर सूद व शास्ति को छोड़कर .	६४०.९५ (३०–११–७० तक)

२––जहां तक गन्ना मूल्य का प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि १९६९–७० में चीनी मिलों ने रु० १२८ करोड़ का गन्ना खरीदा था और उसमें से रु० ११९.८ करोड़ अदा होकर अब केवल रु० ८.१२ करोड़ बाकी हैं । इस रु० ८.१२ करोड़ में से रु० ३.९६ करोड़ उन मिलों पर बाकी था जिनमें या तो हाई कोर्ट आदेश से रिसीवर को कार्य करने से रोक दिया गया है या रिसीवर इस समय भी कार्य कर रहें है । २१ मिलों ने १९६९–७० का पूरा गन्ना मूल्य नवम्बर, १९७० तक अदा कर दिया था ।

३––इसके पहले कि राज्य सरकार द्वारा इस बकाया की वसूली के लिये जो कार्यवाही की गई है उसका उल्लेख करूं, मैं यह अवश्य समझता हूं कि चीनी उद्योग में जो असाधारण स्थिति न केवल इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश में पिछले मौसम में व्याप्त हो गई थी उसका वर्णन कर दूं जिससे कि इस मसले की कुल तसवीर देखी जा सके । गत वर्ष प्रदेश में और पूरे देश में गन्ने का औसत से कहीं अधिक उत्पादन हुआ । साधारणतया: चीनी मिलें ३३–३४ प्रतिशत गन्ना प्रदेश के आरक्षित क्षेत्र का पेरती है और बाकी गुड़ बनाने, रस निकालने और बीज इत्यादि के लिये काम में आता है । किसी अच्छे सामान्य (normal) वर्ष में लगभग १२–१३ करोड़ कुन्टल गन्ना चीनी मिलों द्वारा पेरा जाता है । पिछले वर्ष के अधिक उत्पादन और गुड़ के दाम कम होने की वजह से मिलों के ऊपर इस बात का बहुत दबाव रहा कि वे अधिक से अधिक गन्ने को पेराई करें । गन्ना उत्पादकों की मदद के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों ने मिलों को कई ऐसी रियायतें दी थीं जिनसे वे पेराई जल्दी प्रारम्भ करें और ज्यादा से ज्यादा देर तक चालू रखें । इस बारे में मिलों ने अच्छा सहयोग प्रदान किया और लगभग १८ करोड़ कुन्टल से अधिक गन्ना मिलों ने पेरा जो आरक्षित क्षेत्र के गन्ने का ३८ प्रतिशत से अधिक था । जुलाई, १९७० के प्रारम्भ में ७१ में से ३७ मिलें पेराई कार्य कर रहीं थीं, हालांकि जुलाई में रिकवरी कम होकर ५ प्रतिशत या उससे भी कम हो गई थी । देर तक पेराई कार्य की वजह से मिलों को आर्थिक हानि हुई । इसके अतिरिक्त चीनी का अधिक उत्पादन होने के कारण इस वर्ष चीनी के उठाने की गति बहुत धीमी है और मार्जिन मनी जिससे बकाया भुगतान किया जा सकता था, मिलों को बहुत ही धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है । चीनी के धीरे-धीरे उठने के कारण मिलों को ब्याज भी अधिक देना होता है और धन की उपलब्धि और भी कम हो जाती है । बैंकों से कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में मिलों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं । इन सभी कारणों से उद्योग में एक नई स्थिति पैदा हो गई है ।

[श्रीमती इन्द्र मोहिनी]

४—गन्ना मूल्य की बकाया का शीघ्र भुगतान कराने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की एक प्रस्ताव भेजा था कि एक बफर स्टाक बना लिया जाय और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो एक रिजर्व स्टाक बनाया जाय जिसके जरिये चीनी के स्टाक पर मिलने वाला मार्जिन मिलों को प्राप्त हो जाय और गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को अभी तक नहीं माना है। इसके अतिरिक्त १९६९-७० सीजन में वास्तविक रिकवरी एवं सीजन की अवधि पर आधारित १९६९-७० सीजन में बनी चीनी के मूल्य का पुनर्निर्धारण जो अगस्त या सितम्बर तक हो जाना चाहिये था अब तक नहीं किया गया, इस वजह से भी कुछ दिक्कतें हो गयी हैं।

५—जिलधिकारियों से सितम्बर में यह अनुरोध किया गया था कि वे मिल मालिकान की एक मीटिंग बुलाकर उनसे गन्ना मूल्य और दूसरे बकायों के शीघ्र भुगतान के बारे में तरीकों पर विचार करें। अधिकांश मिलों में बैंक तथा मिल मालिकान के साथ ऐसा इन्तजाम हो गया है कि गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी के उठने से जो मार्जिन मिलता है उससे, और नये सीजन में बनी चीनी पर मिलने वाले अग्रिम से किया जा सके। जहां आवश्यकता हुई है वहां यू० पी० केन (रेगुलेशन आफ सप्लाई एण्ड परचेज) रूल्स, १९५४ के नियम ४८-ए के अन्तर्गत औपचारिक समझौता भी कर लिया गया है।

६—जहां यह अनुभव किया गया कि उपरोक्त कार्यवाही अपर्याप्त होगी वहां रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं और जिलाधिकारियों द्वारा सम्पत्ति की कुर्की इत्यादि उत्पीड़क कार्यवाही की जा रही है। सदन को ज्ञात है कि १८ चीनी मिलों में जिलाधिकारियों द्वारा मार्च, १९७० में सरकारी रिसीवर नियुक्त किये गये थे। ७ मिलों ने बकाया अदा कर दी और रिसीवर वापस ले लिये गये। ७ अन्य मिलों ने हाई कोर्ट में रिट याचिकायें दायर कीं और हाई कोर्ट ने एक अन्तरिम आदेश द्वारा बकाया की किश्तें बांध दी और रिसीवर को कार्य करने से रोक दिया। इस समय उन २ मिलों को छोड़कर जिनमें १९६९ में सरकारी रिसीवर नियुक्त किया गया था और सरसावा सहकारी चीनी मिल को भी छोड़कर ४ मिलों में रिसीवर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने २ मिलों में इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट के अन्तर्गत अथराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त कर दिये हैं और ३ अन्य मिलों के बारे में यह जांच प्रारम्भ कर दी गयी है कि इन मिलों पर अथराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त किये जांयं अथवा नहीं? राज्य सरकार इस सदन को यह आश्वस्त कराना चाहती हैं कि गन्ना उत्पादकों के बकाया को दिलवाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर और सब पहलुओं को देखते हुये कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जायगी।

७—जहां तक सरकार के क्रय कर का प्रश्न है, ३०-११-१९७० को रु० ६.४० करोड़ बाकी था जिसमें से रु० २.५५ करोड़ १९६९-७० सीजन का था। रु० ७०.५ लाख की वसूली न्यायालय के आदेश से स्थगित है और रु० ८९.६ लाख इन मिलों के संबंध में है जिनमें हाई कोर्ट ने बकाया की अदायगी की किश्तें बांध दी हैं। रु० २.३१ करोड़ रिसीवर शिप वाली एवं अथराइज्ड कन्ट्रोलरशिप वाली मिलों पर बाकी है। यह आशा की जाती है कि जो बकाया वसूली के योग्य है वह सभी वर्तमान सीजन में अदा हो जायगी। क्रय कर के बकाया पर ब्याज की दर ६ प्रतिशत से बढ़ाकर ९ प्रतिशत कर दी गई है और अब १२ प्रतिशत की जा रही है।

८—मैं यह भी बता दूं कि अतिरिक्त गन्ना मूल्य का भी कुछ बकाया है जो १९५८ से १९६२ के बीच का है तथा जिसका निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। अब तक इसकी रु० २.०८ लाख की धनराशि को अन्तिम रूप दिया जा चुका है जिसमें से रु० ११०.६४ लाख मिलों ने अदा कर दिया है। बाकी बचे रुपया १०३ लाख में से रु० ७३.८२ लाख की वसूली न्यायालय के आदेशों के कारण नहीं की जा सकी और रु० २९.६२ लाख की वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है।

नया सीजन शुरू हो गया है। जैसे जैसे चीनी बनकर उस पर मिलों को बैंकों से अग्रिम मिलेगा और पुरानी चीनी उठकर उस पर मार्जिन मनी मिलता जायगा, वैसे-वैसे स्थिति में सुधार होने की आशा है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि एच० आर० शुगर के मिल, बरेली के मिल मालिकों ने जो २, ३ व ४ दिसम्बर, १९७० को पर्चियों पर कीमत नहीं डाली थी और उनका यह कहना था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सीजन के लिये निर्धारित की गई कीमत के विरुद्ध उन्होंने अपील दायर की थी तो मैं यह जानना चाहूंगा, क्या ऐसे आदेश कि कीमत उस पर न लिखें इस सम्बन्ध में कोई स्टे आर्डर केन कमिश्नर से उन्होंने प्राप्त कर लिये थे? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको इस बात के लिये दोषी समझती है कि उन्होंने कानून के विरुद्ध कार्यवाही की और इसके लिये उनको क्या दंड देने का विचार सरकार का है?

विद्युत मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

यह बात सही है कि उन्होंने पूछा नहीं था लेकिन बाद में उनसे उनके दाम दिलवा दिये गये। इसमें कुछ गलतफहमी हो गयी थी। काश्तकार को उसके दाम मिल गये। इसलिये दंड देने का सवाल उत्पन्न नहीं होता।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

सरकार को किस जरिये से मालूम हुआ है कि गन्ने की कीमत अदा हो चुकी है जब कि मेरी सूचना यह है कि गन्ने की कीमत अभी तक अदा नहीं हुई है?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

इसकी सूचना आ गयी है कि कीमत अदा हो गयी है।

श्री चेतराम गंगवार—

गन्ना किसानों को कितना रुपया दे दिया गया है?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जो दाम पर्ची में नहीं लिखे गये थे उसी के हिसाब से दाम दिलाने के लिये कह दिया गया और शायद अदा भी हो गये।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

टोटल देख कर मैं बतलाये देता हूं कि १८ करोड़ ८८ लाख सारी मिलों पर बकाया नहीं है, लिहाजा कितनी मिलों पर बकाया है यह सरकार कृपा करके बतलायेगी? और क्या यह सही है कि जिन मिलों पर रुपया बकाया है उन मिलों ने अपनी चीनी स्टाक में रखी है और उसके ऊपर एडवांसेज बैंकों से ले रखे हैं और क्या सरकार ने हिसाब लगा रखा है कि जो चीनी बिकेगी उससे १८ करोड़ ८८ लाख रुपया अदा हो सकेगा?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह सवाल चेतराम जी का बरेली की शुगर मिल के सम्बन्ध में था लेकिन आपने एक दूसरा सवाल उठा दिया कि ८ करोड़ रुपया गन्ने का दाम मिलों पर क्यों बाकी है? इस प्रदेश में इस साल

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

बहुत ज्यादा गन्ना हुआ और उतना गन्ना उससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब या तो यह किया जाता कि गन्ना पिरवा देते अथवा बीच में मिलों को रुकवा देते। बागपत मिल से एक नोट आया कि नुकसान हो रहा है। फैक्टरी चलायें या नहीं। ५ परसेंट से ज्यादा चीनी नहीं निकल रही थी। काश्तकारों से कहा गया कि चीनी तो पिरवा दी जायगी लेकिन दाम नहीं दिये जा सकेंगे, अगले साल दिये जायेंगे तभी गन्ना पिरवाया जा सकता है। यह सरकारी मिल की बात है जो कोआपरेटिव सेक्टर में चल रही थी। काश्तकार के पास दूसरा जरिया नहीं था। गन्ना ऐसी चीज है जो खत्म हो जाती है। लिहाजा कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि उस गन्ने को पिरवाया जाय। काश्तकार से दरख्वास्त की कि अगले साल दाम दिलवा देंगे। यह पुरानी बात है। साधारणतया १२ करोड़ कुन्तल गन्ना चीनी मिलें पेरा करती थीं लेकिन इस साल १८ करोड़ कुन्टल गन्ना पेरा गया। पानी जो क्षमता थी वह बहुत ज्यादा थी। जुलाई तक मिलें चलीं। २८ करोड़ रुपये गन्ने के दाम हुए। मेरी जानकारी है कि गन्ने के दाम ८ करोड़ बाकी हैं और मैं गेंदा सिंह जी से सहमत हूं कि ८ करोड़ तो बहुत ज्यादा हैं एक पैसा भी बाकी काश्तकार का नहीं रहना चाहिये। ८ करोड़ में साढ़े ३ करोड़ रुपया उन मिलों के पास बाकी है जो सरकार के कंट्रोल में हैं और ४-५ करोड़ रुपया ऐसा है जो हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक नहीं दे सकती हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि जो भी दाम बाकी हैं उनको किसी न किसी तरह से दिलवायें। उसके लिये जो काम किये गये हैं उनको माननीय मन्त्रीजी ने आपको बताया भी। उनके अतिरिक्त अगर आप कोई और सुझाव देंगे तो उसको भी मान लेंगे।

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, ८ करोड़ रुपया तो पिछले साल का बाकी है। इसके अलावा सरकारी सैक्टर, गन्ने का और दाम कोआपरेटिव का कमीशन यह भी बाकी हैं जो सब मिलाकर १८ करोड़ ८८ लाख रुपया होता है। क्या इस दृष्टिकोण से इन फैक्टरियों का हिसाब देख लिया गया है कि उनके पास जो चीनी का स्टाक बाकी है और जो एडवान्स उन्होंने लिया है तथा जो पैसा उनके ऊपर बाकी है उससे वह पूरा हो जायगा या नहीं?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इस तरह से तो जांच नहीं हुई है, यह सुझाव अच्छा है उस तरह से भी जांच करा लेंगे। इसके अलावा जो कर्जा लिया जाता है उसमें एक मार्जिन मनी छोड़ दिया जाता है। वह पूरा होता है या नहीं, इसके लिये हमने उपाय किये हैं जो माननीय मंत्री जी ने आपको बताये। लेकिन आपने भी जो सुझाव दिया है उसके अनुसार भी दिखवा लेंगे।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या गन्ना मंत्रीजी बतायेंगे कि यह ५८ से ६२ का ११०.६४ लाख रुपया मिलों को सोसाइटीज का अदा करना है क्या गन्ना मंत्रीजी इसकी जांच करायेंगे?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

इसकी भी जांच करा लेंगे। अगर सोसाइटीज का रुपया बाकी है तो वह भी दिया जाना चाहिये।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

माननीया मंत्रीजी बरेली गयी थीं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शिकायत माननीय मंत्री जी से जनता ने की उस पर क्या कार्यवाही की गयी? और दूसरा प्रश्न यह कि अगर मिल का मूल्यांकन कराया जाय तो क्या जो कुल बकाया ३६.३३ लाख रुपया होता है तो क्या उसका मूल्यांकन उससे अधिक होगा?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

दाम तो अवश्य ही दुगने-चौगुने से भी ज्यादा होगा ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

श्रीमन, मेरा पहला प्रश्न छोड़ दिया । जो शिकायत जनता ने की उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने फरमाया, मैं बरेली जरूर गई थी । मगर उन्हें कुछ गलत फहमी हो गई है । मैं शाम को साढ़े आठ बजे बरेली पहुंची थी । मुझे वहां पर कोई भी आदमी इस सम्बन्ध में नहीं मिला किसी ने भी मुझसे इस गन्ने की खरीद के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की । हो सकता है इसमें कुछ गलत फहमी हो गई हो । मैं वहां पर साढ़े आठ बजे पहुंच गई थी और दूसरे दिन ७ बजे की ट्रेन से यहां आ गई थी । इससे अगर किसी को कठिनाई हो गई हो तो मैं उसके लिये माफी चाहती हूं । मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था । मैंने वहां इन्फारमेशन भी भिजवा दी थी कि मैं बरेली में शाम को साढ़े आठ बजे के लगभग पहुंच रही हूं ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो शिकायतें आई हैं वह हमारे सामने हैं । जो लोग यहां मिलने आये हैं वे मेरे पास आये और मैंने उनके लिये पास भी बनवाया है । मैं इसके लिये आपके पी०ए० के पास भी गया । ये लोग बरेली के रहने वाले हैं । अब यह दूसरी बात है कि इन लोगों का दौरा साढ़े आठ बजे के बाद लगता है.....

श्री अध्यक्ष—

आपको क्या भ्रम हो गया है कि यह बरेली है, लखनऊ नहीं है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

मेरा प्रश्न यह है कि जो डेपटेशन यहां भी मिलने आया है.....

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने विकल जी को बुलाया है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो यह ६११ लाख रुपये के लगभग चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है वह कब तक उनको निश्चित रूप से दे देंगे ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

गन्ने का जो बकाया है वह ८ करोड़ के करीब ही बकाया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसमें ९११ लाख ही छपा है ।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

यह सम्भव नहीं है कि सरकार आज कोई तिथि निर्धारित कर दे कि उस तारीख तक हम किसानों का पैसा दिला देंगे । जैसा कि मैंने आपको अभी बताया इसमें कोई दिक्कत नहीं है गन्ने का दाम मिलना बन्द हो जाय तो आप उस गन्ने का क्या करेंगे ? आज किच्छा में कोई शुगर फैक्टरी बन्द हो गई तो गन्ना सूख रहा है । यदि आप काश्तकार की वास्तव में भलाई करना चाहते हैं तो दोनों काम करने पड़ेंगे कि गन्ने का दाम भी मिलता रहे और उनका काम भी चलता रहे । मैं समझता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्क्वायरी कर रही है और वह वहां कोई अथारिटी एप्वाइन्ट कर सकती है । तो वह भी देख लिया जायेगा.....।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको एक सूचना दे दूं कि कल गन्ना मिलों के राष्ट्रीयकरण के विषय के ऊपर दो घन्टे की चर्चा हो रही है.....

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

अगर ऐसा है तो कल ही इसे लें, जैसी आपकी इच्छा हो ।

श्री चेतराम गंगवार—

जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने वक्तव्य में बतलाया कि ६.९७ लाख जुलाई तक का बाकी और १२.४७ लाख नवम्बर, १९७० का है । तो जब कीमत नहीं बतलाई गई थी तो क्या कोई कीमत निर्धारित की गई थी कि प्रति क्विंटल के हिसाब से जो यह १९ लाख रुपया बकाया है उसको मय सूद के किसानों को अदा करने की घोषणा करेंगे ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

वहां पर पर्चियों पर तीन दिन तक दाम नहीं पड़े हैं । यह सूचना अगर आप दे रहे हैं तो आपकी सूचना सबसे बड़ी है । आप माननीय सदस्य हैं । मैं आपकी बात मान लेता हूं ।

श्री चेतराम गंगवार—

आप मेरी बात को नहीं समझे । आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि ६.९७ लाख रुपया जुलाई का बाकी है और १२.४७ लाख रुपया ३ नवम्बर, १९७० तक का है । जुलाई में दाम निर्धारित नहीं हुये थे । यदि दाम आंक लिये तो पर क्विंटल क्या दाम रखे हैं और क्या वे काश्तकार को मय सूद के दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

दाम तो उतने ही बाकी हैं । पर्चियों पर दाम नहीं पड़े थे । यदि आपकी दूसरी सूचना है तो हम करेक्ट कर लेंगे । चार रोज ऐसे थे कि पर्चियों पर दाम नहीं डाले गये थे ।

श्री चेतराम गंगवार—

श्रीमन्, मैं जुलाई, ७० की बात कर रहा हूं । चार दिन का जो शेष है वह तो इस साल का है और इसकी कीमत निर्धारित हो गई है । लेकिन जुलाई में जो मिल चली तो ६.९७ लाख रुपया कैसे वक्तव्य में दे दिया है ? प्रति क्विंटल क्या कीमत तय की है और क्या वे काश्तकारों को मय सूद के दिलवायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पारसाल की सूचना मेरे पास नहीं है । इसका नोटिस देंगे तो मंगा लूंगा और वायदा करता हूं कि जो गन्ने के दाम नहीं मिले हैं वे उनको दिलाये जायेंगे और मिल मालिक मिनीमम दाम देने के लिये बाध्य हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिराई की रियायत के बाद भी मिल मालिकों के ऊपर गन्ने की काफी रकम बकाया है और उसका अच्छा डिफेंस उनकी तरफ से दिया गया है । आपने रिकवरी सर्टीफिकेट्स जारी किये और रिसीवर भी नियुक्त किये तो इसके बाद बकाया रकम में से कितनी रकम वसूल कर ली गई है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है । लेकिन दो काम आप एक साथ नहीं कर सकते हैं । जो फैक्टरी सरकार चला रही थी या कोआपरेटिव के द्वारा चल रही थी उनकी सूचना है कि रिकवरी ३ प्रतिशत हमने ५ प्रतिशत का एवरेज लिया । मिल मालिक इस पर मिल चलाने वाला नहीं लेकिन सरकार किसानों की भलाई के लिये मिल चलवा रही थी । सरकार चाहती थी कि किसानों का सारा गन्ना पिर जाय । अगर मिल वाले उनका गन्ना न लेते तो दूसरा कोई २ रुपये प्रति क्विंटल पर भी न लेता । इसलिये जब हमने उनको मजबूर किया तो कुछ न कुछ दाम दिलाने में ढिलाई करनी पड़ेगी । १२८ करोड़ रुपये में से १२० में करोड़ रुपया किसानों को मिल गया है और कुल ८ करोड़ रुपया बाकी है जो नहीं रहना चाहिये । लेकिन जब आप उनको मजबूर करेंगे तो कुछ न कुछ कनसेशन उनको अवश्य देना पड़ेगा । हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि किसानों को जल्द से जल्द दाम मिल जायं ।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्रीमन्, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि वे मिल मालिकों पर गन्ने के दाम दिलाने के लिये दबाव डाल रहे हैं । लेकिन जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है उससे अफसोस होता है कि १९५८ से लेकर १९६२ तक मिल के ऊपर काफी गन्ने का दाम बाकी हैं । वह अब तक क्यों नहीं दिलाये गये हैं और कब तक दिला देंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

वह काफी झगड़े का मामला है । कुछ तो हाईकोर्ट से स्टे हो गये हैं । ऐसी चीजें नहीं है कि वैसे ही उनको दाम न मिले हों ।

श्री नौनिहाल सिंह—

मान्यवर, क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जिन मिलों में रिसीवर नियुक्त हैं उनको रुपया अदा करने में परेशानी हो रही है और वे काश्तकार को रुपया नहीं दे पा रहे हैं ? इसका कारण यह कि मिल मालिकों ने काफी ओवर ड्राफ्ट ले रखा है । इसकी वजह से उसमें रुपया काट लिया जाता है और काश्तकार को रुपया मिलता इसके लिये क्या सरकार यह इन्तजाम करेगी कि अपनी ओर से कुछ रुपये का इन्तजाम कर दे रिसीवर्स को और उसमें से वह गन्ने के रुपये का भुगतान कर दें और जब मिल बन्द हो जाय तो सरकार अपना रुपया वापस ले ले और उसमें से जो नफा हो वह एडजस्ट हो जाय । मैं अमरोहा फैक्टरी की मिसाल दूंगा । उस मिल पर इतना बकाया है कि पिछले साल की कीमत भी अदा नहीं कर पाई और इस साल भी वही परेशानी हो रही है ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जब हम रिसीवर एप्वाइंट करते हैं तो यह बात नहीं है जैसा आपने कहा है क्योंकि रुपये का जब चालू इन्तजाम करते हैं तो वह उसी वर्ष के लिये करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इन्तजाम करने के बाद भी अगर नुकसान हो तो नुकसान उससे हो जायगा जो कैपिटल का इन्तजाम करेंगे। अमरोहा की और रामपुर की भी ऐसी फैक्टरी हैं कि जो गन्ने का दाम बाकी रह गया है वही परेशानी है.....

श्री नौनिहाल सिंह—

सवाल पिछले भुगतान का है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

उसमें से नहीं हुआ है। इस साल का हम इंतजाम जरूर कर रहे हैं कि जो रिसीवर को दिक्कतें वहां पड़ रही है उसमें गवर्नमेंट किस तरह से इन्तजाम करें। यह जरूर देखेंगे कि फैक्टरी चलें।

श्री चेतराम गंगवार—

मंत्रीजी ने अपने बयान में कहा है कि बरेली फैक्टरी के ऊपर इतना रुपया क्य कर का बकाया है। तो सरकार ने उस रुपये को फैक्टरी से वसूल करने के लिये अब तक क्या उपाय किये और अगर नहीं किये तो भविष्य में क्या इरादा है? वह फैक्टरी के मालिक कुंवर राम अवतार से दोस्ती निभाना छोड़ दें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

दोस्ती आपकी होगी, आप बरेली के रहने वाले हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया यह इन्क्वायरी कर रही है कि क्या यह मुमकिन है कि बरेली फैक्टरीमें आथोराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त किया जाय क्योंकि कुछ नियम होते हैं। दूसरे यह कि फैक्टरी वालों के हाई कोर्ट से इंस्टालमेंट्स बंधवा दिये। अगर वह इंस्टालमेंट्स नहीं देंगे तो दूसरा ऐक्शन ले सकेंगे। तो दोनों चीजें हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

केन्द्रीय सरकार ने ७.५० रुपये प्रति कुइंटल के हिसाब से फैक्टरी गेट पर और ७.१८ रुपये आउट सेंन्टर पर गन्ने की कीमत निर्धारित की थी। तो क्या सरकार को यह मालूम है कि पिछले साल भी केंन्द्रीय सरकार ने यही कीमत निश्चित की थी लेकिन बरेली मिल ने आउट सेन्टर्स पर ७.५ पैसे दिये थे और गेट पर भी इसी प्रकार से कम दिया था और इस तरह से कम से कम ६—७ लाख रुपये के करीब फैक्टरी वालों ने कम दिया? तो क्या इसकी भी जांच करायेंगे और आश्वासन देंगे कि जो बकाया बनता है उसको भी दिलायेंगे?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अगर यह शिकायत माननीय मंत्री जी (श्रीमती इन्द्र मोहिनी) को मिली है तो हम यह देखेंगे कि किस काश्तकार को कम दाम मिले हैं। वह उनको मिलना चाहिये।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

जो पिछले साल कम कीमत मिली है क्या उसको माननीय मंत्रीजी दिलवायेंगे और जो अधिकारी यह चीज सरकार की जानकारी में नहीं लाये हैं उनसे भी पूछा जाय कि क्यों नहीं काश्तकारों को दिलाया?

गन्ना उत्पादकों का मिलों पर बकाया तथा एच० आर० शुगर फैक्टरी द्वारा गन्ने की ८२३ पर्चियों पर कीमत न डालन के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मैं आपसे दोनों बातें कहता हूं। अगर किसी आदमी नें गफलत की है तो उसको सजा दी जायगी। अगर दाम भी कम मिले हैं और नियम के अनुसार जो दाम मिलने चाहिये वे नहीं मिले हैं तो जरूर दिलायेंगे।

श्री भानुप्रताप सिंह—

अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे।

श्री गेंदा सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कठोर कार्यवाही करना जो इस वक्तव्य में कहा गया है वह कठोर कार्यवाही कब और क्या होगी और जब तक कठोर कार्यवाही मिल मालिकों के ऊपर न हो तो जिनके दाम बकाया हैं, उनके लिये सरकारी देय मुल्तवी कर दिय जायंगे कि उनसे वसूल न किये जायं?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

हमने एक कहानी सुनी थी कि जो मुर्गी अंडा देती है उसको मारना नहीं चाहिये। अगर ऐसी कठोर कार्यवाही की जाय कि जिससे मिल बन्द हो जायं तो फिर आप ही कहेंगे कि मिल बन्द हो गई। किन्तु फिर भी यदि यह पासिबिल हुआ कि मिल बन्द करा कर काश्तकारों का दाम हम दिला सकें तो वह भी कार्यवाही करेंगे और दूसरी चीज कोई जो जरूरी होगी वह भी करेंगे लेकिन यह बात जरूर करेंगे कि मिल चलती रहे और काश्तकारों का जो पड़ा है वह भी मिल जाय।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१६ दिसम्बर, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२८ पर)

ओबरा परियोजना के कई प्रभारित कर्मचारियों की मांगों तथा उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण

मांगें	आख्या
१—छटनी तत्काल बन्द कर दी जाय तथा जो नियमित कर्मचारी या कार्य प्रभारित कर्मचारी निकाले गये हैं उन्हें तत्काल कार्य पर लिया जाय तथा जिस तिथि से निकाले गये हैं उन्हें नियमतः उसी तिथि से कार्य दिया जाय। इस संदर्भ में राज्यकीय आदेश सं० ३११७ए० एन०/२३/आई डी० ८८/६९ दिनांक २१ जुलाई, १९६९ को अमल में लाया जाय।	१—ओबरा बांध परियोजना का सिविल कार्य लगभग समाप्ति पर है। इस परियोजना के तीन खंडों को ३०-६-६९ से समाप्ति के कारण नियमित तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नोटिसें दी गई थीं। नियमित कर्मचारी जो अतिरिक्त पोषित किये गये थे उनको अन्य मंडलों को, जहां पर स्थान रिक्त थे, स्थानान्तरित कर दिया जाय। कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सूची उनके नाम, पद, योग्यता तथा अनुभव इत्यादि के पूरे विवरण सहित सिंचाई विभाग के समस्त मंडलों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि ओबरा के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों को, यदि उनके यहां रिक्त स्थान हों तो नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय। मांग में उल्लिखित शासनादेश में ऐसे ही आदेश दिये गये थे। कार्य प्रभारित कर्मचारियों की कुल सं० ४५० थी जिनमें से ३१९ व्यक्तियों को अन्य स्थानों पर नियुक्त किया जा चुका है कुछ व्यक्ति अन्य स्थानों को या अपने घरों को चले गये हैं। बाकी जो रह गये उनको भी नियुक्त कराने के प्रयत्न जारी हैं।
२—कार्य प्रभारित कर्मचारी या नियमित कर्मचारी को यदि ओबरा परियोजना में कार्य न हो तो सर्विस सीनियरिटी के साथ टी० ए० आदि देकर स्थानान्तरण किया जाय।	२—ऐसे कोई नियम नहीं हैं कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों को सर्विस सीनियारिटी के साथ टी० ए० आदि देकर स्थानान्तरित किया जाय। ओबरा की यूनियन ने यह स्पष्ट कह दिया था कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों को बाहर की नियुक्ति में कोई आपत्ति नहीं है और वे यात्रा भत्ता आदि भी नहीं चाहते हैं।

मांगें	आख्या
३—कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी पी० आर० सी० के अनुसार ही वेतन मिलता है, १ अप्रैल, १९६५ से जब कि एक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्य कर रहे राज्य विद्युत परिषद ओबरा के सभी कर्मचारियों को पी० आर० सी० के अनुसार ही वेतन मिलता है तथा सर्विस सीनियरिटी के साथ वेतन वृद्धि सहित जो कर्मचारियों को प्राप्य नहीं है उन्हें वह दिया जाय।	३—कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वेतन समय समय पर निर्धारित किया जाता रहा है। पी० आर० सी० के अनुसार कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वेतन देय नहीं है। जहां तक राज्य विद्युत परिषद का प्रश्न है उनका नियम तथा राज्य सरकार का नियम अलग अलग है। कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन आदि के सम्बन्ध में पी० आर० सी० ने कोई शिफारिश नहीं की थी। पी० आर० सी० रिपोर्ट से सम्बन्धित उद्धरण नीचे प्रस्तुत हैं :— "We have also not considered the emoluments etc, of work charged satff, as emoluments in their case are prescribed by various authorities to whom powers have been delegated to recruit such personnel in accordance with the market conditions and therefore, no standard rates of emoluments exist for such staff"
४—विधान के अनुसार कार्य प्रभारित कर्मचारियों को तीन वर्ष कार्यकाल के पश्चात स्थायी किया जाना।	४—कार्य प्रभारित कर्मचारियों को कार्य की आवश्यकता के अनुसार ही रखा जाता है। परियोजना पर कार्य समाप्त होने पर उन्हें रखने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ऐसे पदों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता ही नहीं रहती है।
५—जो रेगुलर कर्मचारी वर्कचार्ज किये गये हैं उन्हें तत्काल नियमित किया जाय तथा वर्क चार्ज होने पर भी लेबर ऐक्ट के मुताबिक रेगुलर कैडर कर्मचारी को वही वेतन दिया जाय जो रेगुलर में दिया जा रहा था।	५—ओबरा में कोई भी रेगुलर कर्मचारी वर्कचार्ज नहीं किया गया है।
६—जो कर्मचारी पी० आर० सी० के अन्तर्गत नहीं आ सके और किन्हीं कारण भूल वश वंचित रह गये उन्हें तत्काल पी० आर० सी० के अन्तर्गत वेतन दिया जाय जैसे मेकेनिक, इलैक्ट्रीसियन, पम्प आपरेटर या पलम्बर, पम्प एसिस्टेन्ट, प्रयोगशाला सहायक।	६—यह मामला शासन के विचाराधीन है।
७—सिंचाई विभाग ओबरा के कर्मचारियों को ओबरा प्रतिकर भत्ता दिया जाय। जब कि एक ही स्थान और एक ही कार्य में लगे राज्य विद्युत परिषद् के	७—ओबरा के नियमित कर्मचारियों को ओबरा प्रतिकर भत्ता २८-२-७१ तक स्वीकृत है।

मांगे	आख्या
कर्मचारियों को ओबरा प्रतिकर भत्ता प्राप्य है।	
८—कार्य प्रभारित कर्मचारियों को राजपत्रित एवं स्पेशल अवकाश दिया जाय।	८—कार्य प्रभारित कर्मचारियों को १४ दिन का आकस्मिक अवकाश तथा राजपत्रित अवकाश दिया जाता है। स्पेशल अवकाश देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।
९—यूनियन के साथ पत्र-व्यवहार एवं समस्याओं पर समय-समय पर वार्ता के लिये आदेश लागू किया जाय ताकि कर्मचारियों की समस्यायें आसानी से सुलझाई जा सकें। विभागीय आदेश की प्रतियां यूनियन पदाधिकारी को दी जांय और किसी भी प्रकार की कर्मचारी सम्बन्धी बैठक में यूनियन पदाधिकारी को सम्मिलित किया जाय।	९—शासन से इस यूनियन को मान्यता प्राप्त नहीं है अतः इसका कोई प्रश्न नहीं उठता।
१०—साइट के कर्मचारियों को कार्य और पद के अनुसार मौसमी वर्दी दी जाय।	१०—इसका कोई प्राविधान नहीं है।
११—नियम ऐक्ट के मुताबिक यूनियन पदाधिकारी को यूनियन कार्य करने के लिये स्पेशल अवकाश दिया जाय।	११—यह यूनियन शासन द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। अतः इसका प्रश्न नहीं उठता।
१२—श्री महेन्द्र पाल, मेकेनिक की नोटिस वापिस की जाय जो कि जून, १९६६ से रेगुलर मेकेनिक के पद पर बहुत ही निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य करते चले आ रहे थे परन्तु उन्हें फरवरी १९७० से कार्य से अलग कर दिया गया।	१२—ओबरा में मेकेनिक के पद की कमी के कारण श्री महेन्द्र पाल सिंह, जो कि सबसे कनिष्ठ थे, को उनकी सेवायें समाप्त करने हेतु दिनांक ९ फरवरी को एक माह की नोटिस दी गई थी।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर)

सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा परिषदों के अध्यक्षों तथा सचिवों की दिनांक २२/२३ जून १९७० के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों का सारांश

(१) प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक ४० प्रतिशत हो ।

(२) यदि कोई छात्र प्रत्येक विषय में ४० प्रतिशत अंक प्राप्त करे तो उसे उत्तीर्ण घोषित किया जाय ।

(३) यदि कोई छात्र एक विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों में ४० प्रतिशत अंक प्राप्त करे और उसके प्राप्तांक का कुल योग ३५ प्रतिशत हो, तो उसे उत्तीर्ण घोषित किया जाय ।

(४) यदि किसी छात्र को किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक मिले तो उसे उस विषय में विशेष योग्यता दी जाय । यदि सभी विषयों में प्राप्तांक का कुल योग ६० प्रतिशत, ५० प्रतिशत या ३५ प्रतिशत हो तो उसे क्रमशः प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा ततीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया जाय ।

(५) वे परीक्षार्थी जिनका समस्त विषयों में प्राप्तांक कम से कम ३५ प्रतिशत हो और केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हों उन्हें पूरक परीक्षा के योग्य माना जाय ।

(६) वे परीक्षार्थी जो दो विषयों में अनुत्तीर्ण हों उन्हें भी पूरक परीक्षा के योग्य माना जाय ।

(७) पूरक परीक्षा के योग्य परीक्षार्थियों को यदि वे चाहें तो आगामी परीक्षा में सभी विषयों में परीक्षा देने की सुविधा दी जाय ।

(८) पूरक परीक्षा के योग्य परीक्षार्थियों को आगामी पूरक परीक्षा में जब भी वह संचालित हो बैठने दिया जाय ।

(९) उपर्युक्त योजनानुसार उत्तीर्ण घोषित परीक्षार्थियों को, यद्यपि वे एक विषय में अनुत्तीर्ण हों, आगामी पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय और इस पूरक परीक्षा के परिणाम के आधार पर उन्हें नया प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(१०) प्रत्येक परीक्षार्थी को यदि वे चाहें तो, अपने श्रेणी सुधार के लिये आगामी परीक्षा में बैठने की सुविधा दी जाय ।

(११) छात्रों को हाई स्कूल, हायर सेकेंड्री (कक्षा १०-११) इंटरमीडिएट तथा प्री-यूनिवर्सिटी/प्री-डिग्री स्तर पर यदि यह दो वर्षों का हो, दो वर्षों की अवधि में खंडों में विषयों को उत्तीर्ण करने की अनुमति दी जाय ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४४ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री चौ० रामपाल सिंह यादव के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के उत्तर में उल्लिखित तालिका

फर्रुखाबाद जिले के मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जिनको ६९-७० में बालिकाओं की शिक्षा का क्षतिपूर्ति नहीं अनुदान नहीं दिया गया:—

१—आदर्श जूनियर हाई स्कूल खिमसेपुर ।

२—सार्वजनिक विद्यालय मंदिर, संकिसा ।

३—आदर्श जनता विद्यालय, महलई, खुग्मरपुर ।

४—जनता विद्यालय, खडिनी ।

५—जनता विद्यालय, अचरा खिलवारा ।

६—गांधी जनता विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, मुन्ना ।

७—बाबा हरीपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कसावा ।

८—रामाश्रय विद्यालय, श्यामनगर ।

९—गोवरधनी देवी जूनियर हाई स्कूल, गोधनी ।

१०—रमेश जनता जूनियर हाई स्कूल, विजाधरपुर ।

नत्थी 'घ'

सूची

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४६ पर)

राजाज्ञा संख्या २७४१/१५-ई०, दिनांक १४ अगस्त, १९७०

१—श्रीमती महेश कुमारी निगम
२—कु० जे श्री
३—श्रीमती सुधा दीक्षित
४—श्रीमती गायत्री श्रीवास्तव
५—कु० शाहनाज फातमा
६—कु० सावित्री अरोरा
७—कु० बीना श्रीवास्तव
८—कु० ऊषा सक्सेना
९—कु० सरिता
१०—कु० मालती शर्मा
११—श्री शिव कृष्ण जाटव,
१२—कु० मीरा कुमारी
१३—कु० विजय लक्ष्मी गुप्ता
१४—कु० सुमन तिवारी
१५—कु० पुष्पा दुबे
१६—श्री बाबू राम
१७—कु० मनोरमा रानी
१८—कु० लक्ष्मी शुक्ला
१९—कु० जानकी भट्ट
२०—श्रीमती आशा तिवारी
२१—श्रीमती शांती देवी
२२—श्री सिद्धि प्रताप सिंह
२३—कु० आशा लता बाजपेयी
२४—कु० स्नेह लता अरोरा
२५—कु० मृदला रस्तोगी
२६—श्रीमती कनक लता श्रीवास्तव
२७—कु० कुसुम महर
२८—कु० अनिल कुमारी माथुर
२९—कु० शैल कुमारी भार्गव
३०—कु० परवीन बानो
३१—कु० राम मूर्ति
३२—कु० देवकी पंत
३३—कु० मंजुला चटर्जी
३४—कु० चित्रा अग्रवाल
३५—कु० उर्मिला श्रीवास्तव
३६—कु० सुमन लता सक्सेना
३७—कु० ऊषा रानी अरोरा
३८—कु० मृदुला रोहतगी
३९—कु० राम प्यारी भोला
४०—कु० सिकन्दर आवदी
४१—कु० राम कुमारी मिश्रा
४२—कु० राका श्रीवास्तव
४३—कु० दमयन्ती श्रीवास्तव
४४—कु० किश्वर जहान
४५—कु० रशीदा बेगम
४६—श्री जहीर अहमद
४७—श्रीमती प्रेम कुमारी सिंह
४८—कु० कुसुम लता जायसवाल
४९—कु० माधुरी गुप्ता
५०—कु० कंचन श्रीवास्तव
५१—कु० अफरोज फातमा
५२—श्रीमती कलावती शुक्ला
५३—श्री श्रीदेव शर्मा
५४—कु० मंजू खरे
५५—कु० राज रानी टंडन
५६—श्री कृष्ण चन्द कक्कड़
५७—श्री बृज मोहन मिश्रा
५८—श्री सुरेश कुमार शुक्ला
५९—श्री गया प्रसाद
६०—श्री राम गोपाल शुक्ला
६१—श्री अशोक कुमार रस्तोगी
६२—श्री बिशाल मणि बहुगुणा
६३—श्री राम सूरति चतुर्वेदी
६४—श्री अवधेश प्रसाद सिंह
६५—श्री पूरन सिंह खंडापत
६६—कु० कुंता देवी
६७—कु० मोहनी देवी
६८—श्रीमती सरोज सिंह
६९—कु० सुल्ताना के माशूक
७०—कु० राज कुमारी मिश्र
७१—कु० कमल शर्मा
७२—श्रीमती हेम लता मालवीय
७३—कु० इंदिरा कुमारी बाजपेयी
७४—कु० चेतन रावत
७५—श्रीमती रीता रानी पांडेय
७६—श्रीमती शीला रानी श्रीवास्तव
७७—कु० मुन्नी देवी पांडेय
७८—कु० उर्मिला तिवारी
७९—कु० ऊषा सिंह
८०—कु० नजमा बेगम

८१—कु० किरन राठौर
८३—कु० मुकुल पुनेठा
८५—कु० हंसा शर्मा
८७—श्री श्रीराम सिंह
८९—श्री राय किशोर शुक्ला
९१—श्री जागरण सिंह
९३—श्री प्रमोद चन्द्र मिश्र
९५—श्री राजेंद्र सिंह
९७—श्री गनपत पंचाल
९९—श्री भैरव दत्त जोशी

राजाज्ञा सं० २८१६/१५-ई०-१४३०/७०,

१०१—श्री रवींद्र शुक्ल
१०३—कु० खुर्शीदा बानो इदरीसी
१०५—श्री आनन्द कुमार दीक्षित

संख्या २८७२/१५-ई१४३०/७० दिनांक २७ अगस्त, १९७०

१०६—श्री हृदय नारायण शुक्ल

संख्या २८८५/१५-ई-१४३०/७०, दिनांक २७ अगस्त, १९७०

१०७—श्रीमती सुशीला वर्मा

राजाज्ञा संख्या २९५७/१५-ई-१४३०/७० दिनांक ३१ अगस्त, १९७०

१०८—श्रीमती सुशीला पाठक
११०—श्रीमती प्रेमवती शुक्ला
१०९—कु० वीनस फ्रेंक
१११—कु० ज्योत्सना राठौर

राजाज्ञा संख्या ३०००/१५-ई-दिनांक १ सितम्बर, १९७०

११२—श्री श्रीनारायण मिश्र

राजाज्ञा संख्या २९८८/१५-ई०दिनांक १ सितम्बर, १९७०

११३—श्री संगम लाल द्विवेदी

राजाज्ञा संख्या २९१५/१५-ई-दिनांक ४ सितम्बर, १९७०

११४—श्री फतेह बहादुर सिंह

राजाज्ञा संख्या ३०८५ १५-ई-१४३०/७० दिनांक ४ सितम्बर, १९७०

११५—कु० निर्मला जोशी
११७—कु० विमल कुमारी श्रीवास्तव
११९—कु० राज कुमारी श्रीवास्तव
१२१—कु० रमा पाठक
१२३—श्रीमती रतना सक्सेना
१२५—श्री कैलाश नाथ मिश्र
१२७—कु० रफत यूसुफ
१२९—श्री गोबिन्द बल्लभ पैंतोला
१३१—कु० आशा माथुर
१३३—श्रीमती मेहरबानो
११६—कु० रागिनी सप्रू
११८—श्री रवींद्र कुमार खरे
१२०—कु० मंजु लता बुधवार
१२२—कु० अरुन कुमारी
१२४—कु० सुहेला इश्तबाक
१२६—कु० कुसुम केसर वानी
१२८—कु० रामावती
१३०—श्री भागीरथी
१३२—श्री त्रिलोक सिंह मेहता
१३४—श्री भगवती प्रसाद भट्ट

१३५—श्री विष्णु दत्त भट्ट
१३६—श्री रमापति अवस्थी
१३७—कु० सुधा जैतली
१३८—श्रीमती शकुंतला झींगरन
१३९—श्रीमती शकुंतला अग्रवाल
१४०—श्री बृजमोहन प्रकाश
१४१—कु० बीना जायसवाल
१४२—कु० गीता शुक्ला
१४३—कु० हरिन्दर कौर
१४४—कु० संतोष कपूर
१४५—श्री राम प्रकाश पालीवाल
१४६—श्री सुरेंद्र सिंह चौहान
१४७—कु० शशि बहुगणा

राजाज्ञा संख्या ३१०९/१५-ई-१४३०/७० दिनांक ९ सितम्बर, १९७०

१४८—श्रीमती कुमुद नागर
१४९—कु० कमला देवी डोंगरा
१५०—कु० बीना सक्सेना

राजाज्ञा संख्या ३२३३/१५-ई०-१४३०/७० दिनांक १० सितम्बर, १९७

१५१—कु० सुधा अस्थाना
१५२—श्रीमती इन्दु जुत्शी

राजाज्ञा संख्या ३१७०/१५-ई०-१४३०/७० दिनांक १५ सितम्बर, १९७०

१५३—कु० उमा देवी मिश्रा
१५४—श्रीमती बिट्टो देवी श्रीवास्तवा
१५५—कु० कामिनी मिश्रा
१५६—कु० विजय चौधरी
१५७—कु० शाबाना एजाज
१५८—श्रीमती माधुरी देवी वर्मा
१५९—कु० रेशम देवी सिंह

राजाज्ञा संख्या ३२६९/१५-ई०-१४३०/७० दिनांक १७ सितम्बर, १९७०

१६०—कु० लक्ष्मी खेमानी
१६१—श्रीमती शुभेश सिन्हा
१६२—कु० उमा श्रीवास्तव
१६३—श्रीमती विनोदिनी मिश्र
१६४—कु० मंजू श्रीवास्तव
१६५—कु० उर्मिला देवी श्रीवास्तव
१६६—कु० सुमन लता गहलौत
१६७—कु० प्रभा रानी मिश्र
१६८—कु० अलका रानी मिश्रा

राजाज्ञा संख्या ३२६१/१५-ई-७० दिनांक १८ सितम्बर, १९७०

१६९—श्री सत्य नारायण त्रिपाठी
१७०—श्री उमाशंकर शुक्ल
१७१—श्री ओम नारायण द्विवेदी
१७२—श्री सूबेदार मिश्रा
१७३—श्री राधा कृष्ण सिंह
१७४—श्री राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ
१७५—श्री रामन लाला गुप्ता
१७६—श्री गुलजारी जाटव
१७७—श्री अनुसूया प्रसाद पंत
१७८—श्री बृजमोहन बाजपेयी

राजाज्ञा संख्या ३४८५/१५-ई-७० दिनांक २५ सितम्बर, १९७०

१७९—कु० बीना गुप्ता
१८०—श्री सुरेश नारायण त्रिपाठी
१८१—श्री रामेश्वर यादव
१८२—कु० जुनेदिया उसमानी
१८३—श्री विनोद कुमारी शाक्य (काछी)

राजाज्ञा संख्या ३४९३/१५-ई-१४३०/७० दिनांक २५ सितम्बर, १९७०

१८४—श्रीमती अनवर जमाल
१८५—श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव
१८६—सुश्री उरूस फातमा
१८७—श्रीमती सरला देवी शर्मा
१८८—कु० रवि प्रभा जोशी

राजाज्ञा संख्या ३५५०/१५-ई-१४३०।७० दिनांक २९ सितम्बर, १९७०

१८९—कु० शाहनाज बानो खां १९०—श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव

राजाज्ञा संख्या ३५६४।१५-ई-७० दिनांक २९ सितम्बर, १९७०

१९१—श्री आसिम हुसेन सिद्दीकी

राजाज्ञा संख्या ३४९५/१५-ई-७० दिनांक २९ सितम्बर, १९७०

१९२—श्री महेश चन्द्र पाल

राजाज्ञा संख्या ३८२३/१५-ई-दिनांक १७ अक्टूबर, १९७०

१९३— श्रीमती लाली खरे

राजाज्ञा संख्या ३८८३/१५-ई-दिनांक २१ अक्टूबर, १९७०

१९४—श्रीमती रफिया सुल्ताना

प्रदेश सरकार

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५१ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वित्तीय सत्र १९७० के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री शम्भूनाथ चौधरी के अतारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्त में संदर्भित तालिका संख्या १ ।

बलिया बैरिया बांध पर गायघाट के सामने गंगा नदी की कटान को रोकने के लिए १ जनवरी, १९७० से २५ जुलाई, १९७० तक किये गये व्यय का ब्यौरा :—

(रुपयों में)

कार्य	धनराशि
१—ईंट की जाली बिनाई क्षावा भराई तथा क्रेटो का डालना :	
(क) मजदूरी	१९,६६९.००
(ख) क्षावा, जी० आई० तार, चूना, बांस आदि भंडार ..	४,२४,७५५.००
२—रिंग बांध पर मिट्टी का कार्य एवं स्लोप पर पिचिंग ..	१४,४९६.००
३—माडल अध्ययन	३४,४१५.००
४—अन्य विविध व्यय—	
(क) कार्य प्रभारित कर्मचारी	२,७००.००
(ख) विद्युत व्यवस्था	३,६३७.००
(ग) अस्थायी निवास व झोंपड़ी	७००.००
(घ) जीप की यात्रा पर व्यय	८००.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७० के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री शम्भूनाथ चौधरी के अतारांकित प्रश्न सं० ४ के उत्तर में संदर्भित तालिका सं० २ ।

क्रम-संख्या	वस्तु या कार्य	ठेके या वर्क आर्डर की संख्या व तिथि	मात्रा	दर
१—	ढांचा की आपूर्ति . .	अधीक्षक अभियन्ता अनुबन्ध श्री घनश्याम तिवारी के साथ १९७०-७१ दिनांक १-५-७० ।	२,००,००० घनफुट	६८.९०
		अधिशासी अभियन्ता अनुबन्ध श्री रामसिंह के साथ १९७०-७१ दिनांक ७-६-८० ।	१,००,००० ,,	७२.८१
		वर्क आर्डर नं० ४२/२६-५-७०	५,००० ,,	७२.८१
		वर्क आर्डर नं० ४३/२६-५-७०	१०,००० ,,	७२.८१
		वर्क आर्डर नं० ४४/२६-५-७०	५०० ,,	७२.८१
		वर्क आर्डर नं० ४५/२६-५-७०	१०,००० ,,	७२.८१
		वर्क आर्डर नं० ४६/२६-५-७०	१०,००० ,,	७२.८१
		वर्क आर्डर नं० ४७/२६-५-७०	१०,००० ,,	७२.८१
		वर्क आर्डर नं० १२/२६-६-७०	१०,००० ,,	७२.८१
		वर्क आर्डर नं० १३/२६-६-७०	१०,००० ,,	७२.८१
		वर्क आर्डर नं० ४२/२६-५-७०	१०,००० ,,	७२.८१
२—बून की आपूर्ति . .		वर्क आर्डर नं० ४१/१०७, दि० १३-५-७०	१०० मन	१०.००
३—पत्थर के बोल्डर की आपूर्ति		वर्क आर्डर नं० १३/१०, दि० २६-५-७० ।	४,००० घनफुट	१५०.००
			मी० टन	
४—८ एल० डब्लू० जी० जी० आई० तार की आपूर्ति ।		निदेशक, उपयोग, उ० प्र० द्वारा १२०५, १२०६/१/पंचशील और १६१२/२/आक्वायर्स दि० ४-३-७०/३ मोदी ।	६.५ ६०.११ ४०.००	२१४७.०० २३७०.०० २०५०.००
			अदद	बांस
५—३ इंच व्यास और २० फुट लंबे बांसों की आपूर्ति ।		अनुबन्ध २ १९७०-७१/२-५-७०	८००	२.८५
		अनुबंध १ १९७०-७१/२-५-७०	८००	२.८४
		वर्क आर्डर नं० ३१/१३-५-७०	१,०००	५.००
		वर्क आर्डर नं० ३८/१३-५-७०	५००	५.००
६—खाली बोरियों की आपूर्ति		अनुबन्ध सं० ९/१९७०-७१ दिनांक २७-६-७० ।	४०,०००	४६.९० प्रति सैकड़ा ।

पी० एस० यू०पी०—ए०पी०—२४१ एलल ए०—१९७१—८४५ ।